रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2011/चैत्र 15, 1933
No. 578] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2011/CHAITRA 15, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2011

आय-कर

का.आ. 693(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों के संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 12 में,—

(i) उपनियम (1) में,—

(क) "अथवा धारा 115बख की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित अनुषंगी फायदों की विवरणी" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "2010" अंकों के स्थान पर "2011" अंक रखे जाएंगे;

(ग) खंड (क) में, "सरल-II" शब्द और अंकों के स्थान पर, "सहज" शब्द रखा जाएगा;

(घ) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो कारबार आय व्युत्पन्न करने वाला व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, और ऐसी आय की संगणना, कारबार आय की संगणना के लिए अधिनियम की धारा 44कघ और धारा 44कङ में निर्दिष्ट विशेष उपबंधों के अनुसार की जाती है, प्ररूप सुगम (आ.क.वि.-4एस) में होगी और उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित की जाएगी ।";

(ङ) खंड (घ) में, "या खंड (ग)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्, "या खंड (गक)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(च) खंड (ज) का लोप किया जाएगा;

(ii) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) प्ररूप सहज (आ.क.वि.-1) या प्ररूप सं. आ.क.वि.-2 या प्ररूप सं. आ.क.वि.-3 या प्ररूप सुगम (आ.क.वि.-4एस) या प्रारूप सं. आ.क.वि.-4 या प्ररूप सं. आ.क.वि.-5 या प्ररूप सं. आ.क.वि.-6 में दी जाने के लिए अपेक्षित आय की विवरणी के साथ ऐसा एक विवरण, जिसमें विवरणी के आधार पर संदेय कर की संगणना दर्शित हो या ऐसे कर का, यदि कोई हो, जिसका स्त्रोत पर कटौती या संग्रहण किए जाने का दावा किया गया है, या अग्रिम कर या स्व:निर्धारण पर कर का, यदि कोई हो, जिसका संदाय किए जाने का दावा किया गया है, सबूत या कोई दस्तावेज या किसी लेखा या प्ररूप या संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति, जो अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन आय की विवरणी के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है, संलग्न नहीं किया जाएगा ।";

(iii) उपनियम (3) में, "या अनुषंगी फायदों की विवरणी", शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) उपनियम (5) में,—

(क) "या अनुषंगी फायदों की विवरणी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) "2009" अंकों के स्थान पर "2010" अंक रखे जाएंगे;

(ख) परिशिष्ट-2 में, प्ररूप सरल 2 (आ.क.वि.-1), आ.क.वि.-2, आ.क.वि.-3, आ.क.वि.-4, आ.क.वि.-5, आ.क.वि.-6, आ.क.वि.-7 और आ.क.वि.-V के स्थान पर, प्ररूप सहज (आ.क.वि.-1), आ.क.वि.-2, आ.क.वि.-3, सुगम (आ.क.वि.-4एस), आ.क.वि.-4, आ.क.वि.-5, आ.क.वि. 6, आ.क.वि.-7 और आ.क.वि.-V रखे जाएंगे ।

2011-12 आ.क.वि.-1, पृष्ठ 1

आ.क.वि.-1	सहज भारतीय व्यष्टि आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष 2011-12

ए.1 प्रथम नाम

ए.2 मध्य नाम

ए.3 अंतिम नाम

ए.4 स्थायी लेखा संख्या

ए.5 लिंग ☐ पुरुष ☐ स्त्री

ए.6 *जन्म तिथि (तिथि/मास/वर्ष)*

ए.7 आय-कर वार्ड/सर्किल

ए.8 फ्लैट / द्वार /भवन

ए.9 मार्ग/गली

ए.10 क्षेत्र/अवस्थान

ए.11 नगर/ शहर/ जिला

ए.12 राज्य

ए.13 पिन कोड

ए.14 ई मेल पता

ए.15 निवास/कार्यालय का एस0टी0डी0 कोड सहित फोन नं0

ए.16 मोबाइल नं0

ए.17 केवल एक भरें, यदि आप संबंधित है ▶ ☐ सरकार ☐ सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम ☐ अन्य

ए.18 केवल एक भरें ▶ ☐ प्रतिदेय कर ▶ ☐ संदेय कर ▶ ☐ शून्य कर शेष

ए.19 केवल एक भरें ▶ ☐ निवासी ▶ ☐ अनिवासी ▶ ☐ निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं

ए.20 केवल एक भरें : *फाइल की गई* ▶ ☐ नियत तारीख से पूर्व - 139(1) ▶ ☐ नियत तारीख के पश्चात् - 139(4) ▶ ☐ *पुनरीक्षित विवरणी* 139(5)
या सूचना के उत्तर में ▶ ☐ 142 (1) ▶ ☐148 ▶ ☐ 153क/153ग

ए.21 यदि पुनरीक्षित है, ▶ मूल विवरणी की रसीद सं0 और ▶ *(तिथि/ मास/ वर्ष)* मूल विवरणी फाइल करने की तारीख

भाग ख - सकल कुल आय

केवल संपूर्ण रूपए में

ख 1 वेतन/पेंशन से आय — ख 1

टिप्पण—पृष्ठ 2 पर दी गई "अनुसूची टीडीएस1" को भरना सुनिश्चित करे।

▼ यदि हानि दर्शित कर रहे हैं तो बाएं ओर कोष्ठक में नकारात्मक चिन्ह लगाए

ख 2 *एकल गृह संपत्ति से आय* — ख 2 ( )

ख 3 अन्य स्रोतों से आय — ख 3 ( )

टिप्पण—पृष्ठ 2 पर दी गई "अनुसूची टीडीएस2" को भरना सुनिश्चित करे।

ख 4 सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3) — ख 4 ( )

भाग ग - **कटौतियां और कराधेय कुल आय** ("आय-कर अधिनियम" के अनुसार कटौतियों की रकम संबंधी सीमाओं के लिए अनुदेशों को देखिए)

ग 1 से ग13	▶ ग1	80 ग	▶ ग2	80 गगग	▶ ग3	80 गगघ		
	▶ ग4	80 गगच	▶ ग5	80 घ	▶ ग6	80 घघ		
	▶ ग7	80 घघख	▶ ग8	80 ङ	▶ ग9	80 छ		
	▶ ग10	80 छछ	▶ ग11	80 छछक	▶ ग12	80छछग		
	▶ ग13	80 प						

ग 14 कुल कटौतियां (मद ग1 से ग13 को जोड़ें) ▶ ग14

ग 15 कराधेय कुल आय (ख 4 - ग14) ▶ ग15 ( )

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

यहा प्राप्ति नं0 की स्टंप लगाए

प्राप्तिकर्ता पदधारी की मुहर, तारीख और नाम

स्थायी लेखा संख्या

2011-12 आ.क.वि.-1, पृष्ठ 2

भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति

घ1 से घ3	कुल आय (ग15) पर संदेय कर ▶ घ1	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर ▶ घ2	कुल कर और उपकर (घ1 + घ 2) ▶ घ3
घ4 से घ6	धारा 89 के अधीन राहत ▶ घ4	धारा 90/91 के अधीन राहत ▶ घ5	राहत के पश्चात् अतिशेष कर (घ3 - घ4 - घ 5) ▶ घ6
घ7 से घ9	धारा 234क/234ख/234ग के अधीन कुल ब्याज ▶ घ7	कुल कर और ब्याज (घ6 + घ7) ▶ घ8	संदत्त कुल अग्रिम कर ▶ घ9
घ10 से घ12	संदत्त कुल स्वनिर्धारण कर ▶ घ10	कुल कटौती किया गया स्रोत पर कटौती कर ▶ घ11	कुल पूर्वसंदत्त कर (घ9 + घ10 + घ11) ▶ घ12
घ13 से घ14	संदेय कर (घ8 - घ12, यदि घ8 > घ12 है) ▶ घ13	प्रतिदाय (घ12 - घ8, यदि घ12 > घ8 है) ▶ घ14	

बैंक खाता ब्यौरे (सभी मामलों में आज्ञापक, चाहे प्रतिदाय शोध्य है या नहीं)

▶ घ15 खाता सं0 ▶ घ16 एम.आई.सी.आर.कोड

▶ घ17 खाते का प्रकार ▶ ☐ चालू ▶ ☐ बचत ▶ घ18 केवल एक भरे : प्रतिदाय ▶ ☐ चैक द्वारा, या ▶ ☐ आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके

▶ घ19 केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (लाभांश, 5,000 रु0 से < कृषि आय) ▶

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूं, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि विवरणी में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2011-2012 से सुसंगत पूर्व वर्ष की आय-कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं ।

स्थान तारीख यहां हस्ताक्षर करें➔

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत्त की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर

अनुसूची आयकर आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

	बीएसआर कोड (स्तंभ i)	निक्षेप की तारीख (स्तंभ ii) (तिथि/मास/वर्ष)	चालान सं. (स्तंभ iii)	संदत्त कर (स्तंभ iv)
आर 1				
आर 2				
आर 3				
आर 4				
आर 5				

टिप्पण ▶ (1) घ9 और घ 10 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर के योग प्रविष्ट करें ।
(2) यदि आप अनुसूची आयकर के भीतर नहीं भर सकते तो अनुपूरक अनुसूची आयकर में जारी रखें ।

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

	कर कटौती खाता संख्या (टैन) (स्तंभ i)	नियोजक का नाम (स्तंभ ii)	वेतन के अधीन प्रभार्य आय (स्तंभ iii)	कटौती किया गया कुल कर (स्तंभ iv)
एस 1				
एस 2				
एस 3				

टिप्पण (1) कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (iv) का योग घ 11 में प्रविष्ट करें ।
(2) यदि आप अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के भीतर नहीं भर सकते तो अनुपूरक अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 में जारी रखें ।

अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [कटौतीकर्ता (कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क के अनुसार]

	कर कटौती खाता संख्या (टैन) (स्तंभ i)	कटौतीकर्ता का नाम (स्तंभ ii)	कटौती किया गया कर (स्तंभ iii)	(iii) में से इस वर्ष दावा की गई रकम (स्तंभ iv)
टी 1				
टी 2				
टी 3				

टी 4			

टिप्पण (1) कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (iv) का योग घ 11 में प्रविष्ट करें ।
(2) यदि आप अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के भीतर नहीं भर सकते तो अनुपूरक अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 में जारी रखें ।

स्थायी लेखा सं. (पैन) निर्धारण वर्ष 2011-12

प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम

[redacted] (मुख्य प्रपत्र, आदि में अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 की मद एस1-एस3 के समाप्त होने के पश्चात् ही प्रयोग की जाए)

	कर कटौती खाता संख्या (टैन) (स्तंभ i)	नियोजक का नाम (स्तंभ ii)	वेतन के अधीन प्रभार्य आय (स्तंभ iii)	कटौती किया गया कर (स्तंभ iv)
एस 5				
एस 6				
एस 7				
एस 8				
एस 9				
एस 10				
एस 11				
एस 12				
एस 13				
एस 14				
एस 15				
एस 16				
एस 17				
एस 18				
एस 19				
एस 20				
एस 21				
एस 22				
एस 23				
एस 24				
एस 25				
एस 26				
एस 27				

एस 28				
एस 29				
एस 30				

प्ररूप	आ.क.वि-2	भारतीय आयकर विवरणी [ऐसे व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुंबों के लिए जिनकी आय कारबार या वृत्ति से नहीं है] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (संलग्न अनुदेश भी देखिए)	निर्धारण वर्ष 2011-12

[redacted] *साधारण*

व्यक्तिगत सूचना

प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	स्थायी लेखा सं. (पैन)

फ्लैट./ द्वार / ब्लाक सं0	परिसर/भवन /गांव का नाम	*प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ व्यष्टि ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुंब
मार्ग/गली/डाकघर	क्षेत्र/ अवस्थान	*जन्म तिथि (तिथि/मास/वर्ष) (व्यष्टि की दशा में)* / /
नगर/ शहर/ जिला	राज्य / पिन कोड	*लिंग (व्यष्टि की दशा में) (सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ पुरुष ☐ स्त्री
निवास/कार्यालय का एस0टी0डी0 कोड सहित फोन नं0	मोबाइल नं0	*नियोजन प्रवर्ग (सही का निशान लगाएं)*☑ ☐ सरकार ☐ सार्वजनिक सेक्टर एकक ☐ अन्य
ई मेल पता		आय-कर वार्ड/सर्किल

विवरणी की प्रास्थिति

विवरणी फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं0 7 देखिए]

☐ नियत तारीख से पूर्व - 139(1) ☐ नियत तारीख के पश्चात् - 139(4) ☐ पुनरीक्षित विवरणी 139(5)

या सूचना के उत्तर में ☐ 142 (1) ☐148 ☐ 153क/153ग

यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें ।*(तिथि/मास/वर्ष)*	/ /

निवास की प्रास्थिति *(सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं

क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइलो की जा रही है ? (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं

यदि हां है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -

(क)	प्रतिनिधि का नाम
(ख)	प्रतिनिधि का पता
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)

भाग - ख

[redacted] कुल आय की संगणना

कुल आय

1	वेतन (अनुसूची ध वेतन का 6)		1	
2	*गृह संपत्ति से आय* (अनुसूची गृसं का 3ग) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)		2	
3	पूंजी अभिलाभ			
	क	अल्पकालिक		
	i	*अल्पकालिक (धारा 111 क के अधीन) (अनुसूची पूंअ का क 5)*	3 क i	
	ii	अल्पकालिक (अन्य) *(अनुसूची पूंअ का क 6)*	3 क ii	
	iii	कुल अल्पकालिक (3 क i + 3 क ii) (अनुसूची पूंअ का क4)	3 क iii	
	ख	दीर्घकालिक (अनुसूची पूंअ का ख5) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3 ख	
	ग	कुल पूंजी लाभ (3 क iii + 3 ख) यदि 3ग हानि है तो शून्य लिखें)		3 ग
4	अन्य स्रोतों से आय			
	क	*दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न और लॉटरी की जीत से भिन्न स्रोत से आय* (अनुसूची ण्ध का 3) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)		4 क
	ख	*दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से आय* (अनुसूची ण्ध का 4ग) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)		4 ख
	ग	योग (क + ख) (यदि 4 ग हानि है तो शून्य लिखें)		4 ग
5	योग (1+2+3 ग +4 ग)			5

इस क्षेत्र में कुछ न लिखें या स्टांप न लगाएं (बार कोड के लिए स्थान)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए
रसीद सं.

तारीख

प्राप्त करने वाले अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

6	5 के विरूद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2vi और 3vi का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6)	7	
8	7 के विरूद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियां (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2vi)	8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 3vii भी)	9	
10	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां (अनुसूची VIक का ढ)	10	
11	कुल आय	11	
12	शुद्ध कृषि आय/ दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय *(अनुसूची छूट प्राप्त आय का 4)*	12	
13	'संकलित आय' (11+12)	13	
14	अग्रनीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां *(अनुसूची अग्रनीत हानि की पंक्ति xi का योग)*	14	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	कुल आय पर संदेय कर			
		क	सामान्य दरों पर कर	1 क	
		ख	विशेष दरों पर कर *(अनुसूची विशेष आय का 11)*	1 ख	
		ग	कुल आय पर संदेय कर (1 क + 1 ख)		1 ग
	2	(1 ग) पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर			2
	3	सकल कर दायित्व (1 ग + 2)			3
	4	कर छूट			
		क	धारा 89	4 क	
		ख	धारा 90	4 ख	
		ग	धारा 91	4 ग	
		घ	योग (5 क + 5 ख)		4 घ
	5	सकल कर दायित्व (3 – 4 घ)			5
	6	संदेय ब्याज			
		क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234 क)	6 क	
		ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	6 ख	
		ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234 ग)	6 ग	
		घ	कुल संदेय ब्याज (6 क +6 ख +6 ग)		6घ
	7	संकलित दायित्व (5 + 6घ)			7
संदत्त कर	8	संदत्त कर			
		क	अग्रिम कर *(अनुसूची आयकर से)*	8 क	
		ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 1 के स्तंभ 7 और अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 2 के स्तंभ 7 का योग)	8 ख	
		ग	स्व निर्धारण कर *(अनुसूची आयकर से)*	9 ग	
		घ	संदत्त कुल कर (8क +8ख +8ग)		8घ
	9	संदेय कर (यदि 7 8घ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)			9
	10	प्रतिदाय (यदि 8घ 7 से अधिक है)			10

11 *अपना बैंक खाता संख्या लिखें (सभी मामलों में आज्ञापक)*

12 अपना प्रतिदाय किससे चाहते हैं ? ☐ चैक द्वारा, या ☐ आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके *(यदि लागू हो तो सही का निशान लगाएं☑)*

13 यदि आपके बैंक खाते में सीधे जमा किया जाए तो अतिरिक्त ब्यौरा दें

एमआईसीआर कोड | खाता का प्रकार *(जो लागू हो वहां सही का निशान लगाएं ☑)* ☐ बचत ☐ चालू

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूं स्थायी लेखा संख्यां,.....का धारक हूं, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2011-2012 से सुसंगत पूर्व वर्ष की आय-कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं ।

स्थान तारीख यहां हस्ताक्षर करें➔

14	यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:		
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर	
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		15	

अनुसूची वेतन — वेतन से प्राप्त आय का ब्यौरा

नियोजक का नाम			नियोजक का स्थायी खाता संख्या (पैन)
नियोजक का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड

वेतन

1	*वेतन (सभी छूट छूट न प्राप्त भत्तों, परिलब्धियों और वेतन की जगह जो नीचे पृथक रूप से दिखाया गया है)*	1	
2	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त भत्ते *(नीचे 6 में सम्मिलित नहीं किया जाए)* 2		
3	छूट न प्राप्त भत्ते *(कर्मचारीय से प्ररूप 16 निर्दिष्ट करें)*	3	
4	परिलब्धियों का मूल्य *(कर्मचारीय से प्ररूप 16 निर्दिष्ट करें)*	4	
5	वेतन की जगह लाभ *(कर्मचारीय से प्ररूप 16 निर्दिष्ट करें)*	5	
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (1+3+4+5)	6	

अनुसूची गृह संपत्ति — गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेश देखें)

गृह संपत्ति

1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
	(सही का निशान लगाएं) ☑ यदि किराए पर हो ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन) (वैकल्पिक)	

क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो निम्नतम)		1 क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1 ख		
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1 ग		
घ	योग (1 ख + 1 ग)	1 घ		
ङ	अतिशेष (1 क – 1 घ)		1 ङ	
च	1 ङ का 30%	1 च		
छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1 छ		
ज	योग (1 च + 1 छ)		1 ज	
झ	गृह संपत्ति 1 से आय (1 ङ – 1 ज)		1 झ	

2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
	(सही का निशान लगाएं) ☑ यदि किराए पर हो ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी खाता संख्या पैन	

क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो निम्नतम)		2 क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2 ख		
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2 ग		
घ	योग (2 ख + 2 ग)	2 घ		
ङ	अतिशेष (2 क – 2 घ)		2 ङ	
च	2 ङ का 30%	2 च		
छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2 छ		

	ज	योग (2 च + 2 छ)	2 ज	
	झ	गृह संपत्ति 2 से आय (2 ङ – 2 ज)	2 झ	
3	" गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय			
	क	धारा 25 क/कक के अधीन वसूल किया गया पूर्व वर्ष का किराया	3 क	
	ख	30% कटौती करने के पश्चात् धारा 25 ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त किराए का बकाया	3 ख	
	ग	योग (3 क + 3 ख + 1 झ + 2 झ)	3 ग	

ध्यान ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीनआय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची पूंजी अभिलाभ — पूंजी अभिलाभ

क	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			
	1	ऐसे अनिवासी की दशा में आस्तियों से जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है	1	
	2	अन्य के मामले में आस्तियों से		
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i	अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अंतरण पर व्यय	ख iii	
	iv	योग (i + ii + iii)	ख iv	
	ग	अतिशेष (2क – ख iv)	2 ग	
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी की जाने वाली हानि (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2 घ	
	ङ	धारा 54 ख /54 घ /के अधीन छूट	2 ङ	
	च	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग + 2 घ – 2 ङ)	2 च	
	3	धारा 54 ख /54 घ/54ङग/54ङघ/54 छ/54 छक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझे जाने वाली रकम	अ 3	
	4	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 + 2 च + क3)	अ 4	
	5	4 में सम्मिलित धारा 111 क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	अ 5	
	6	धारा 111 क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अ4 – अ5)	अ6	
ख	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ			
	1	ऐसे अनिवासी की दशा में आस्तियों से जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है	1	
	2	अन्य आस्तियों से जहां धारा 112(1) के परंतुक का प्रयोग नहीं होता है		
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i	सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अंतरण पर व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	अतिशेष (2 क – ख iv)	2 ग	
	घ	धारा 54/54 ख/54घ /54 ङग/54 च/ 54 छ/54 छक के अधीन कटौती	2 घ	
	ङ	शुद्ध अतिशेष (2 ग – 2 घ)	2 ङ	
	3	अन्य आस्तियों से जहां धारा 112(1) के परंतुक का प्रयोग होता है		
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i	सूचीबद्ध किए बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीबद्ध किए बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अंतरण पर व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	अतिशेष (4 क – ख iv)	3 ग	
	घ	धारा 54/54ख/54घ/54 ङग/54च के अधीन कटौती	3 घ	
	ङ	शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)	3 ङ	
	4	धारा 54/54ख/54 घ /54 ङग/54 ङ घ /54 च के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझे जाने वाली रकम	ख4	
	5	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ का योग 1 + 2ङ [यदि हानि हो तो 2ङ को शून्य लिखें] + 3ङ (यदि हानि हो तो 3ङ को शून्य लिखें)+ 4]	ख 5	
ग	"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 4 + ख 5) [यदि हानि हो तो ख5] को शून्य लिखें)		ग	
घ	पूंजी अभिलाभ का प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में जानकारी			

	तारीख	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 (ii)	16/12 से 15/3 (iii)	16/3 to 31/3 (iv)
1	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है				
	(सूचीकरण बिना)-				
	एसआई अनुसूची मे कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है ;				
	अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात्				
	अनुसूची सीजी की मद बी3ई से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				

	2.	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची मे कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद (बी5-बी3ई) से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
	3	111ए के अधीन अल्पकालिक- अनुसूची एसआई में कोड 1ए है, कर दर 15 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद ए7से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
	4.	अल्पकालिक अन्य- सामान्य दर पर कराधेय ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद ए8से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				

टिप्पण *कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें*

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	आय				
		क	लाभांश, सकल	1 क		
		ख	ब्याज, सकल	1 ख		
		ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1 ग		
		घ	अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से आय को छोड़कर ।)	1 घ		
		ङ	योग (1 क+1 ख+1 ग+1 घ)		1 ङ	
		च	धारा 57 के अधीन कटौतियां:-			
			i व्यय/कटौती	च i		
			ii अवक्षयण	च ii		
			iii योग	च iii		
		छ	अतिशेष(1 ङ – च iii)		1 छ	
	2	लाटरियों, वर्ग पहेलियों, घुड़दौड़ आदि जीतना			2	
	3	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों और लॉटरी से जीत के स्वामित्व से भिन्न)(1 छ+2) (यदि हानि हो तो 1छ को शून्य लिखें)			3	
	4	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय				
		क	प्राप्तियां	4 क		
		ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियों	4 ख		
		ग	अतिशेष (4 क – 4 ख)		4 ग	
	5	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3+4 ग) (यदि हानि हो तो 4ग को शून्य लिखें और 4ग की हानि के अंकों को अनुसूची सीएफएल में ले जाएं ।)			5	

टिप्पण *कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें*

अनुसूची-चालू वर्ष की हानि समायोजन चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि का मुजरा कुल हानि (अनुसूची-गृह संपत्ति का 3ग)	चालू वर्ष की अन्य स्रोत हानि (रेस के घोड़ों से हानि से भिन्न)का मुजरा कुल हानि (अनुसूची-अन्य स्रोत का 3)	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3	4=1-2-3
	सभायोजन की जाने वाली हानि ।				
i	वेतन				
ii	गृह संपत्ति				
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ				
iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ				
v	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़े के स्वामित्व से लाभ को सम्मिलित करते हुए किंतु लॉटरी से जीत को छोड़कर)				
vi	कुल हानि मुजरा				
vii	2 और 3 का मुजरा करने के पश्चात शेष हानि				

अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन पूर्व वर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों का समायोजन चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालु वर्ष की शेष आय
			1	2	3
	i	वेतन			
	ii	गृह संपत्ति			
	iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			
	iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ			
	v	अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत दौड़ के घोड़े रखने से लाभ भी है किंतु लॉटरी से जीत को छोड़कर)			
	vi	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा			
	vii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (i3 + ii3 + iii3 + iv3 + v3)			

अनुसूची- अग्रनीत हानि

हानियों का अग्रनयन		निर्धारण वर्ष	फाइल करने क तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य स्रोत हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि से भिन्न)
	i	2003-04					
	ii	2004-05					
	iii	2005-06					
	iv	2006-07					
	v	2007-08					
	vi	2008-09					
	vii	2009-10					
	viii	2010-11					
	ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					
	x	अनुसूची बीएफएलए में अग्रनीत हानि समायोजन में उपरोक्त हानियों का समायोजन					
	xi	2011-12 (चालू वर्ष की हानियां)					
	xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत कुल हानि					

अनुसूची VI क अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां							
	क	80 ग		ज	80 ङ		
	ख	80 गगग		झ	80 छ		
	ग	80 गगघ		ञ	80 छछ		
	घ	80 गगच		ट	80 छछक		
	ङ	80 घ		ठ	80 छछग		
	च	80 घघ		ड	80 ददख		
	छ	80 घघख		ढ	80 प		
	ण	कुल कटौतियां (क से ण का योग)				ण	

अनुसूची-विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय निर्धारिती की आय में सम्मिलित किए जाने योग्य विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) की आय (1,500 रु प्रति बालक के पश्चात् अवयस्क बालक की आय सम्मलित की जानी है ।)

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या (वैकल्पिक)	नातेदारी	आय की प्रकृति	रकम (रू.)
1					
2					
3					

अनुसूची-विशेष आय विशेष दरों पर आयकर से प्रभार्य आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए]

	क्रम सं.	धारा कोड	☑	विशेष दर(%)	आय i	उस पर कर ii	क्रम सं.	सेक्सन कोड	☑	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
विशेष दर	1	1क	☐	15			6		☐			
	2	22	☐	10			7		☐			
	3	21	☐	20			8		☐			
	4	5खख	☐	30			9		☐			
	5		☐				10		☐			
	11										योग (1ii से 10 ii)	

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)

छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय	1	
	2	लाभांश से आय	2	
	3	दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ जिसपर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया जाता है	3	
	4	शुद्ध कृषि आय/ दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय	4	
	5	अन्य जिसमें अवयस्क बालकों की आय को छूट सम्मलित है	5	
	6	योग (1+2+3+4+5)	6	

अनुसूची-आयकर आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रू.)
कर संदाय	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	v				

टिप्पण ▶ भाग ख - टीटीआई की क्रम सं. 8क और 8ग में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें ।

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

गया कर 1

	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [कटौतीकर्ता (कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क के अनुसार]

	क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम	कटौती किया गया कुल कर	इस वर्ष के लिए दावा की गई (4) में से रकम
अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				

टिप्पण कृपया अनुसूची टीडीएसआई के स्तंभ 7 और भाग ख टीटीआईके 8ख में अनुसूची टीडीएस 2 के स्तंभ 7 का योग प्रविष्ट करें ।

प्ररूप	आ.क.वि-3	भारतीय आयकर विवरणी [ऐसे व्यष्टियों/हिन्दू अविभक्त कुटुंबों के लिए, जो फर्मों में भागीदार हैं और किसी भागीदारी के अधीन कोई कारबार या वृत्ति नहीं कर रहे है] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (संलग्न अनुदेश भी देखिए)	निर्धारण वर्ष 2011-12

भाग क साधारण *साधारण*

व्यक्तिगत सूचना

प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	स्थायी लेखा सं. (पैन)
फ्लैट./ द्वार / ब्लाक सं0	परिसर/भवन /गांव का नाम		*प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ व्यष्टि ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुंब
मार्ग/गली/डाकघर	क्षेत्र/ अवस्थान		*जन्म तिथि (तिथि/मास/वर्ष) (व्यष्टि की दशा में)* / /
नगर/ शहर/ जिला	राज्य	पिन कोड	*लिंग (व्यष्टि की दशा में) (सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ पुरूष ☐ स्त्री
निवास/कार्यालय का एस0टी0डी0 कोड सहित फोन नं0	मोबाइल नं0		*नियोजन प्रवर्ग (सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ सरकार ☐ सार्वजनिक सेक्टर एकक ☐ अन्य
ई मेल पता			आय-कर वार्ड/सर्किल

विवरणी की प्रास्थिति

विवरणी फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं0 7 देखिए]

☐ नियत तारीख से पूर्व - 139(1) ☐ नियत तारीख के पश्चात् - 139(4) ☐ पुनरीक्षित विवरणी 139(5)

या सूचना के उत्तर में ☐ 142 (1) ☐148 ☐ 153क/153ग

यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें ।*(तिथि/मास/वर्ष)* / /

निवास की प्रास्थिति *(सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं

क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइली की जा रही है ? (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं

यदि हां है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -

(क)	प्रतिनिधि का नाम
(ख)	प्रतिनिधि का पता
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)

भाग - ख

भाग ख कुल आय कुल आय की संगणना

कुल आय

1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)		1	
2	गृह संपत्ति से आय *(अनुसूची गृसं का 3ग) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)*		2	
3	कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ *(अनुसूची कारबार या वृत्ति का 6 vi) (यदि हानि हो तो शून्य लिखें)*		3	
4	पूंजी अभिलाभ			
क	अल्पकालिक			
i	अल्पकालिक (धारा 111 क के अधीन) *(अनुसूची गछ का क 5)*	4 क i		
ii	अल्पकालिक (अन्य) *(अनुसूची गछ का क 6)*	4 क ii		
iii	कुल अल्पकालिक (4 क i +4 क ii) *(यदि हानि है तो शून्य लिखें) (अनुसूची गछ का क4)*	4 क iii		
ख	दीर्घकालिक (अनुसूची गछ का ख5) *(यदि हानि है तो शून्य लिखें)*	4 ख		
ग	कुल पूंजी लाभ (4 क iii + 4 ख) (यदि 4ग कोई हानि है तो शून्य लिखें)		4 ग	
5	अन्य स्रोतों से आय			

	क	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न स्रोत से आय *(अनुसूची णघ का 3) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)*	5 क	
	ख	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से आय *(अनुसूची णघ का 4ग) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)*	5 ख	
	ग	योग (5क + 5ख) *(यदि 5ग कोई हानि है तो शून्य लिखें)*	5 ग	
6		योग (1+2+3 +4 ग+5 ग)	6	

इस क्षेत्र में कुछ न लिखें या स्टांप न लगाएं (बार कोड के लिए स्थान)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए
रसीद सं.

तारीख

प्राप्त करने वाले अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

7	6 के विरूद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां *(अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2vii, 3vii और 4 vii का योग)*	7	
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (6-7) *(अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन स्तंभ 5 का योग भी)*	8	
9	8 के विरूद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियां *(अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2vii)*	9	
10	सकल कुल आय (8-9) *(अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 3vii भी)*	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां *(अनुसूची VIक का ण)*	11	
12	कुल आय (10-11)	12	
13	शुद्ध कृषि आय/ दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय *(अनुसूची छूट प्राप्त आय का 4)*	13	
14	'संकलित आय' (12+13)	14	
15	अग्रनीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां *(अनुसूची अग्रनीत हानि का xi)*	15	

[illegible] कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	कुल आय पर संदेय कर			
		क सामान्य दरों पर कर	1 क		
		ख विशेष दरों पर कर *(अनुसूची विशेष आय का 11)*	1 ख		
		ग कुल आय पर संदेय कर (1 क + 1 ख)		1 ग	
	2	शिक्षा अधिभार, जिसके अंतर्गत 1ग पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा अधिभार भी है		2	
	3	सकल कर दायित्व (1 ग + 2 + 3)		3	
	4	कर छूट			
		क धारा 89	4क		
		ख धारा 90	4ख		
		ग धारा 91	4ग		
		घ योग (4क + 4ख +4ग)		4घ	
	5	सकल कर दायित्व (3 – 4घ)		5	
	6	संदेय ब्याज			
		क विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234 क)	6क		
		ख अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	6ख		
		ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234 ग)	6ग		
		घ कुल संदेय ब्याज (6क +6ख +6ग)		6घ	
	7	संकलित दायित्व (5+ 6घ)		7	
संदत्त कर	8	संदत्त कर			
		क अग्रिम कर *(अनुसूची आयकर से)*	8क		
		ख स्रोत पर कटौती किया गया कर (अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 1 के स्तंभ 7 और अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 2 के स्तंभ 7 का	8ख		
		ग स्वनिर्धारण कर *(अनुसूची आयकर से)*	8ग		
		घ संदत्त कुल कर (8क +8ख +8ग)		8घ	
	9	संदेय कर (यदि 7 8घ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)		9	

	10 प्रतिदाय (यदि 8घ 7 से अधिक है)	10
प्रतिदाय	11 *अपना बैंक खाता संख्या लिखें (सभी मामलों में आज्ञापक)*	
	12 अपना प्रतिदाय किससे चाहते हैं ? ☐ चैक द्वारा, या ☐ आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके *(जो लागू हो तो सही का निशान लगाएं ☑)*	
	13 यदि आपके बैंक खाते में सीधे जमा किया जाए तो अतिरिक्त ब्यौरा दें	
	एमआईसीआर कोड	खाता का प्रकार *(जो लागू हो वहां सही का निशान लगाएं ☑)* ☐ बचत ☐ चालू

सत्यापन

मैं, ... जो ..... का पुत्र/पुत्री हूं, स्थायी लेखा संख्या, ... का धारक हूं, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2011-2012 से सुसंगत पूर्व वर्ष की आय-कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं ।

स्थान तारीख यहां हस्ताक्षर करें➔

14	यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:		
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर	
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		15	

अनुसूची वेतन — वेतन से आय का ब्यौरा

	नियोजक का नाम			नियोजक का स्थायी खाता संख्या (पैन)
	नियोजक का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड

वेतन	1	*वेतन (सभी भत्तों, परिलब्धियों और वेतन की जगह लाभ को छोड़कर)*	1	
	2	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त भत्ते *(नीचे 6 में सम्मिलित नहीं किया जाएगा)* 2		
	3	छूट न प्राप्त भत्ते *(नियोजक के प्ररूप 16 को देखें)*	3	
	4	परिलब्धियों का मूल्य *(नियोजक के प्ररूप 16 को देखें)*	4	
	5	वेतन की जगह लाभ *(नियोजक के प्ररूप 16 को देखें)*	5	
	6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (1+3+4+5)	6	

अनुसूची गृह संपत्ति — गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा *(कृपया अनुदेशों को देखें)*

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
		(सही का निशान लगाएं) ☑ यदि किराए पर हो ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन) (वैकल्पिक)	
		क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया *(यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो निम्नतम)*	1 क	
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख	
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
		घ	योग (1 ख + 1 ग)	2घ	
		ङ	अतिशेष (1 क – 1 घ)	1 ङ	
		च	2ङ का 30%	2च	
		छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2छ	
		ज	योग (2च + 2छ)	1 ज	
		झ	गृह संपत्ति 1 से आय (1 ङ – 1 ज)	1 झ	
	2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
		(सही का निशान लगाएं) ☑ यदि किराए पर हो ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी खाता संख्या पैन	

	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो निम्नतम)			2 क	
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2 ख			
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2 ग			
	घ	योग (2 ख + 2 ग)	2 घ			
	ङ	अतिशेष (2 क – 2 घ)			2 ङ	
	च	2 ङ का 30%	2 च			
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2 छ			
	ज	योग (2 च + 2 छ)			2 ज	
	झ	गृह संपत्ति 2 से आय (2 ङ – 2 ज)			2 झ	
3	" गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय					
	क	धारा 25 क/ क क के अधीन वसूल किया गया पूर्व वर्ष का किराया			3 क	
	ख	30 % कटौती करने के पश्चात् धारा 25 ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त किराए का बकाया			3 ख	
	ग	योग (3 क + 3 ख + 1 झ + 2 झ)			3 ग	

टिप्पण ▶ *कृपया इस शीर्ष के अधीनआय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें*

अनुसूची भागीदारी फर्म की जानकारी उन भागीदारी फर्मों के संबंध में सूचना, जिसमें आप भागीदार हों

भागीदारी की फर्म

उन फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हो

क्रम सं0	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी खाता संख्या	फर्म के लाभ में अंश का प्रतिशत	अंश की रकम	फर्म में 31 मार्च को पूंजी अतिशेष
				i	ii
1					
2					
3					
4					
5					
6	योग				

अनुसूची कारबार या वृत्ति जिसका भागीदार है, उन फर्मों से ऐसा ब्यौरा

फर्मों से आय

क्रम सं0	*फर्म संख्या (अनुसूची आईएफ से)*	फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक	फर्म से पूंजी पर प्राप्त ब्याज	योग ii + iii	iv से संबंधित व्यय	शुद्ध आय iv - v
		ii	iii	iv	v	vi
1						
2						
3						
4						
5						
6	योग					

टिप्पण ▶ *कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची–विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें*

अनुसूची - पूंजी अभिलाभ पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
	1	ऐसे अनिवासी की दशा में आस्तियों से जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है			1	
	2	अन्य के मामले में आस्तियों से				
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती				
	i	अर्जन की लागत	ख i			
	ii	सुधार की लागत	ख ii			
	iii	अंतरण पर व्यय	ख iii			
	iv	योग (i + ii + iii)	ख iv			
	ग	अतिशेष (2 क – ख iv)	2 ग			
	घ	धारा 94(7) या 94(8)के अधीन अनदेखी की जाने वाली हानि(केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2 घ			
	ङ	धारा 54 ख /54 घ के अधीन कटौती	2 ङ			
	च	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2 ग – 2 घ – 2 ङ)			2 च	

	3	धारा 54 ख /54 घ/54ङग/54ङघ /54 छ/54 छक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझे जाने वाली			
	4	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 + 2 च + क3)		4	
	5	4 में सम्मिलित धारा 111 क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		अ5	
	6	धारा 111 क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अ4 – अ5)		अ6	
आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ				
	1	ऐसे अनिवासी की दशा में आस्तियों से जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है		1	
	2	अन्य की दशा में आस्तियां, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है			
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क		
	ख	धारा 48 के अधीन छूट			
	i	सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात सुधार की लागत	ख ii		
	iii	अंतरण पर व्यय	ख iii		
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	अतिशेष (2 क – ख iv)	2 ग		
	घ	धारा 54/54 ख / 54 घ/54 ङग/54 च/ 54 छ/54 छक के अधीन कटौती	2 घ		
	ङ	शुद्ध अतिशेष (2 ग – 2 घ)		2 ङ	
	3	अन्य दशा में आस्तियां जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त किया जाता है			
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीबद्ध किए बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीबद्ध किए बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	अंतरण पर व्यय	ख iii		
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	अतिशेष (4 क – ख iv)	3 ग		
	घ	धारा 54/54 ख / 54 घ/54 ङग/54 च के अधीन कटौती	3 घ		
	ङ	शुद्ध अतिशेष (3ग–3घ)		3ङ	
	4	धारा 54/54ख/54 घ /54 ङ ग/54 ङ घ /54 च/54 छक के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझे जाने वाली रकम		आ 4	
	5	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ का योग (1 + 2 ङ + [(यदि हानि है तो 2ङ को शून्य लिखें)+ 3 ङ (यदि हानि है तो 3ङ को शून्य लिखें) +4]		आ5	
इ	"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 6 + ख 5) (यदि हानि है तो ख5 को शून्य लिखें)			इ	
ई	पूंजी अभिलाभ का प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में जानकारी				

	तारीख	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 to 31/3
1	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है				
	(सूचीकरण बिना)-				
	एसआई अनुसूची मे कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है ;				
	अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात्				
	अनुसूची सीजी की मद बी3ई से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
2.	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है				
	(सूचीकरण बिना)-				
	एसआई अनुसूची मे कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है ;				
	अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात्				
	अनुसूची सीजी की मद (बी5-बी3ई) से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
3	111ए के अधीन अल्पकालिक-				
	अनुसूची एसआई में कोड 1ए है, कर दर 15 प्रतिशत है ;				
	अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात्				
	अनुसूची सीजी की मद ए7से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
4.	अल्पकालिक अन्य-				
	सामान्य दर पर कराधेय ;				
	अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात्				
	अनुसूची सीजी की मद ए8से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				

टिप्पण ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	आय			
		क	लाभांश, सकल	1 क	
		ख	ब्याज, सकल	1 ख	
		ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1 ग	
		घ	अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से हुई आय को छोड़कर)	1 घ	
		ङ	योग (1 क + 1 ख + 1 ग + 1 घ)		1 ङ
		च	धारा 57 के अधीन कटौतियां:-		
			i व्यय/ कटौतियां	च i	
			ii अवक्षयण	च ii	
			iii योग	च iii	
		छ	अतिशेष(1 ङ – च iii)		1 छ
	2	लाटरियों, पहेलियों, घुड़दौड़ आदि जीतना			2
	3	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न)(1 छ + 2) (यदि हानि है तो 1छ को शून्य लिखें)			3
	4	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय			
		क	प्राप्तियां	4 क	
		ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियों	4 ख	
		ग	अतिशेष (4 क – 4 ख)		4 ग
	5	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3 + 4 ग) (यदि हानि है तो 4ग को शून्य लिखें और 4ग की हानि अंकों को अनुसूची चालू वर्ष की हानि के समायोजन में लें)			5

टिप्पण ▶ *कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें*

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

चालू वर्ष की हानि का समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि का मुजरा	कारबार हानि	चालू वर्ष की अन्य स्रोत हानि (रस के घोड़ों से हानि से भिन्न)का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
				कुल हानि (अनुसूची-गृह संपत्ति का 3ग)	कुल हानि (अनुसूची का.वृ का 6 vi)	कुल हानि (अनुसूची-अन्य स्रोत का 3)	5=1-2-3-4
			1	2	3		
	i	वेतन					
	ii	गृह संपत्ति					
	iii	कारबार या वृत्ति					
	iv	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
	v	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
	vi	अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत दौड़ के घोड़े रखने से लाभ भी किंतु लॉटरी से जीत सम्मिलत नहीं है)					
	vii	कुल हानि मुजरा					
	viii	मुजरा करने के पश्चात शेष हानि					

अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन पूर्व वर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
			1	2	3
	i	वेतन			
	ii	गृह संपत्ति			
	iii	कारबार या वृत्ति			

iv	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			
v	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ			
vi	अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत दौड़ के घोड़े रखने से लाभ भी है किंतु लॉटरी से जीत सम्मिलत नहीं है))			
vii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा			
viii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (i3 + ii3 + iii3 + iv3 + v3+ vi3)			

अनुसूची अग्रनीत हानि आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा

हानियों का अग्रनयन

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	कारबार या वृत्ति	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य स्रोत हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि से भिन्न)	अन्य स्रोत हानि (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से)
i	2003-04							
ii	2004-05							
iii	2005-06							
iv	2006-07							
v	2007-08							
vi	2008-09							
vii	2009-10							
viii	2010-11							
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग							
x	अनुसूची अग्रनीत हानि समायोजन में उपरोक्त हानियों का समायोजन							
xi	2011-12 (चालू वर्ष की हानियां)							
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत कुल हानि							

अनुसूची VI क अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां

क	80 ग		ज	80 ङ	
ख	80 गगग		झ	80 छ	
ग	80 गगघ		ञ	80 छछ	
घ	80 गगच		ट	80 छछक	
ङ	80 घ		ठ	80 छछग	
च	80 घघ		ड	80 ददख	
छ	80 घघख		ढ	80 प	
ण	कुल कटौतियां (क से ढ का योग)				ण

अनुसूची-विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय निर्धारिती की आय में सम्मिलित किए जाने योग्य विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	संबंध	आय की प्रकृति	रकम (रू.)
1					
2					
3					

अनुसूची विशेष आय विशेष दरों पर आयकर से प्रभार्य आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए]

विशेष दर

क्रम सं.	सेक्सन कोड	☑	विशेष दर(%)	आय i	उस पर कर ii	क्रम सं.	सेक्सन कोड	☑	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1	1ए	☐	15			6		☐			
2	22	☐	10			7		☐			
3	21	☐	20			8		☐			
4	5 बीबी	☐	30			9		☐			
5		☐				10		☐			
11										योग (1ii से 10	

ii)

अनुसूची-छूट प्राप्त आय	छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)		
छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय	1
	2	लाभांश से आय	2
	3	दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ जिसपर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया जाता है	3
	4	शुद्ध कृषि आय/ दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय	4
	5	फर्म के लाभ में अंश/एओपी आदि	5
	6	अन्य	6
	7	योग (1+2+3+4+5+6)	7

अनुसूची आयकर आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रू.)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	v				

टिप्पण ▶ भाग ख - टीटीआई की क्रम सं. 9क और 9ग में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें ।

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [कटौतीकर्ता (कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क के अनुसार]

अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम	कटौती किया गया कुल कर	इस वर्ष के लिए दावा की गई (4) में से रकम
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				

टिप्पण कृपया अनुसूची टीडीएसआई के स्तंभ 7 और भाग ख टीटीआईके 8ख में अनुसूची टीडीएस 2 के स्तंभ 7 का योग प्रविष्ट करें ।

2011-12 आ.क.वि.-4एस, पृष्ठ 1

आ.क.वि.-4 एस	सुगम उपधारणात्मक कारबार आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष 2011-12

ए.1 प्रथम नाम

ए.2 मध्य नाम

ए.3 अंतिम नाम

ए.4 स्थायी लेखा संख्या

ए.5 लिंग ☐ पुरुष ☐ स्त्री

ए.6 जन्म तिथि (तिथि/मास/वर्ष)

ए.7 आय-कर वार्ड/सर्किल

ए.8 फ्लैट/द्वार/भवन

ए.9 मार्ग/गली

ए.10 क्षेत्र/अवस्थान

ए.11 नगर/ शहर/ जिला

ए.12 राज्य

ए.13 पिन कोड

ए.14 केवल एक भरें: प्रास्थिति ▶ ☐ व्यष्टि ▶ ☐ हि.अवि.कु.

ए.15 ई मेल पता

ए.16 निवास/कार्यालय का एस0टी0डी0 कोड सहित फोन नं0

ए.17 मोबाइल नं0

ए.18 केवल एक भरें, यदि आप संबंधित है ▶ ☐ सरकार ☐ सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम ☐ अन्य

ए.19 केवल एक भरें ▶ ☐ प्रतिदेय कर ▶ ☐ संदेय कर ▶ ☐ शून्य कर शेष

ए. 20 केवल एक भरें ▶ ☐ निवासी ▶ ☐ अनिवासी ▶ ☐ निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं

ए. 21 केवल एक भरें : *फाइल की गई* ▶ ☐ नियत तारीख से पूर्व - 139(1) ▶ ☐ नियत तारीख के पश्चात् - 139(4) ▶ ☐ पुनरीक्षित विवरणी 139(5)
या सूचना के उत्तर में ▶ ☐ 142 (1) ▶ ☐ 148 ▶ ☐ 153क/153ग

ए.22 यदि पुनरीक्षित है, ▶ मूल विवरणी की रसीद सं0 और ▶ *(तिथि/ मास/ वर्ष)* मूल विवरणी फाइल करने की तारीख

भाग ख - सकल कुल आय

केवल संपूर्ण रूपए में

ख 1 कारबार से आय ▶ख 1

टिप्पण—अनुसूची बी पी की ड 6 से मूल्य प्रविष्ट करें ।

ख 2 वेतन/पेंशन से आय ▶ख 2

टिप्पण—पृष्ठ 3 पर दी गई "अनुसूची टीडीएस1" को भरना सुनिश्चित करें ।

▼ यदि हानि वर्णित कर रहे हैं तो बाएं ओर कोष्ठक में नकारात्मक चिन्ह लगाएं

ख 3 *एकल गृह संपत्ति से आय* ▶ख 3 ( )

ख 4 अन्य स्रोतों से आय ▶ख 4 ( )

टिप्पण—पृष्ठ 3 पर दी गई "अनुसूची टीडीएस2" को भरना सुनिश्चित करे ।

ख 5 सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3 + ख 4) ▶ख 5 ( )

भाग ग - कटौतियाँ और करयोग्य कुल आय ("आय-कर अधिनियम" के अनुसार कटौतियों की रकम संबंधी सीमाओं के लिए अनुदेशों को देखिए)

ग1 से ग3 ग4

▶ ग1 80 ग ▶ ग2 80 गगग ▶ ग3 80 गगघ

▶ ग4 80 गगच ▶ ग5 80 घ ▶ ग6 80 घघ

▶ ग7 80 घघख ▶ ग8 80 ङ ▶ ग9 80 छ

से ▶ ग10 80 छछ ▶ ग11 80 छछक ▶ ग12 80 छछग

ग13 ▶ ग13 80 प

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

यहा प्राप्ति नं0 की स्टंप लगाए

प्राप्तिकर्ता पदधारी की मुहर, तारीख और नाम

स्थायी लेखा संख्या

2011-12 आ.क.वि.-4एस, पृष्ठ 2

ग 14	कुल कटौतियां (मद ग1 से ग13 को जोड़ें)	▶ ग14	
ग 15	कराधेय कुल आय (ख 5 - ग14)	▶ ग15 ( )	

भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति

घ1 से घ3	कुल आय (ग15) पर संदेय कर ▶ घ1	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर ▶ घ2	कुल कर और उपकर (घ1 + घ 2) ▶ घ3
घ4 से घ6	धारा 89 के अधीन राहत ▶ घ4	धारा 90/91 के अधीन राहत ▶ घ5	राहत के पश्चात् अतिशेष कर (घ3 - घ4 - घ 5) ▶ घ6
घ7 से घ9	धारा 234क/234ख/234ग के अधीन कुल ब्याज ▶ घ7	कुल कर और ब्याज (घ6 + घ7) ▶ घ8	संदत्त कुल अग्रिम कर ▶ घ9
घ10 से घ12	संदत्त कुल स्वनिर्धारण कर ▶ घ10	कटौती किया गया कुल स्रोत पर कटौती कर ▶ घ11	संग्रहीत किया गया कुल स्रोत पर संग्रहीत कर ▶ घ12
घ13 से घ15	कुल पूर्वसंदत्त कर (घ9 + घ10 + घ11+ घ12) ▶ घ13	संदेय कर (घ8 - घ13, यदि घ8 > घ13 है) ▶ घ14	प्रतिदाय (घ13 - घ8, यदि घ13 > घ8 है) ▶ घ15

बैंक खाता ब्यौरे (सभी मामलों में आज्ञापक, चाहे प्रतिदाय शोध्य है या नहीं)

▶ घ16 खाता सं0 ▶ घ17 एम.आई.सी.आर.कोड

▶ घ18 खाते का प्रकार ▶ ☐ चालू ▶ ☐ बचत ▶ घ19 केवल एक चरे : प्रतिदाय ▶ ☐ चैक द्वारा, या ▶ ☐ आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके

▶ घ20 केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (लाभांश, 5,000 रु0 से < कृषि आय) ▶

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि विवरणी में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2011-2012 से सुसंगत पूर्व वर्ष की आय-कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं ।

स्थान तारीख यहां हस्ताक्षर करें➔

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत्त की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर

कारबार की प्रकृति, यदि एक से अधिक कारबार है, तीन मुख्य कार्यकलाप/उत्पाद उपदर्शित करें

क्रम सं0	कोड	कारबार का नाम	वर्णन
(i)	▶	▶	▶
(ii)	▶	▶	▶
(iii)	▶	▶	▶

अनुसूची बी.पी. —कारबार से आय के ब्यौरे

44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय की संगणना

ङ 1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां	▶ ङ 1
ङ 2	44कघ के अधीन कुल उपधारणात्मक आय (ङ1 का 8%)	▶ ङ 2

टिप्पण—यदि आय सकल प्राप्तियों के 8% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा कराना आज्ञापक है और नियमित आकवि-4 भरा जाना है, न कि यह प्ररूप

44कङ के अधीन उपधारणात्मक आय की संगणना

ङ 3 भारी वाहनों से उपधारणात्मक आय ▶ ङ 3

क 4	अन्य वाहनों से उपधारणात्मक आय	▶ क 4	
क 5	44कड के अधीन कुल उपधारणात्मक आय (क 3 + क 4)	▶ क 5	

टिप्पण—यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित लाभ से कम है या किसी समय स्वामित्वाधीन वाहनों की संख्या 10 से अधिक है, तो नियमित आकवि-4 भरा जाना है, न कि यह प्ररूप

क 6	कारबार के अधीन प्रभार्य आय (क 2 + क 5)	▶ क 6	

स्थायी लेखा संख्या

2011-12 आ.क.वि.-4एस, पृष्ठ 3

कारबार की वित्तीय विशिष्टियां

टिप्पण—क 7 से क 10 के लिए, 31 मार्च, 2011 को यथाविद्यमान जानकारी दें

क 7	विविध ऋणदाताओं की कुल रकम	▶ क 7	
क 8	विविध लेनदारों की कुल रकम	▶ क 8	
क 9	व्यापार स्टाक की कुल रकम	▶ क 9	
क 10	नकद बकाया की रकम	▶ क 10	

अनुसूची अग्रिम कर आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदायों के ब्यौरे

	बीएसआर कोड (स्तंभ i)	निक्षेप की तारीख (स्तंभ ii) (तिथि/मास/वर्ष)	चालान सं. (स्तंभ iii)	संदत्त कर (स्तंभ iv)
आर 1				
आर 2				
आर 3				
आर 4				
आर 5				

टिप्पण ▶ (1) घ9 और घ 10 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर के योग प्रविष्ट करें।
(2) यदि आप अनुसूची आयकर के भीतर नहीं भर सकते तो अनुपूरक अनुसूची आयकर में जारी रखें।

अनुसूची स्रोत पर संग्रहीत किया गया कर स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर के ब्यौरे

	कर संग्रहण खाता संख्या (स्तंभ i)	संग्रहणकर्ता का नाम (स्तंभ ii)	संग्रहीत कर (स्तंभ iii)	(iii) में से इस वर्ष दावा की गई रकम (स्तंभ iv)
यू 1				
यू 2				
यू 3				

टिप्पण (1) कृपया अनुसूची स्रोत पर संग्रहीत किया गया कर के स्तंभ (iv) का योग घ 12 में प्रविष्ट करें।
(2) यदि आप अनुसूची स्रोत पर संग्रहीत किया गया कर के भीतर नहीं भर सकते तो अनुपूरक अनुसूची स्रोत पर संग्रहीत किया गया कर में जारी रखें।

अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

	कर कटौती खाता संख्या (टैन) (स्तंभ i)	नियोजक का नाम (स्तंभ ii)	वेतन के अधीन आय (स्तंभ iii)	कटौती किया गया कर (स्तंभ iv)
एस 1				
एस 2				
एस 3				

टिप्पण (1) कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (iv) का योग घ 11 में प्रविष्ट करें।
(2) यदि आप अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के भीतर नहीं भर सकते तो अनुपूरक अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 में जारी रखें।

अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 वेतन से भिन्न आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [कटौतीकर्ता (कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क के अनुसार]

	कर कटौती खाता संख्या (टैन) (स्तंभ i)	कटौतीकर्ता का नाम (स्तंभ ii)	कटौती किया गया कर (स्तंभ iii)	(iii) में से इस वर्ष दावा की गई रकम (स्तंभ iv)

टी 1				
टी 2				
टी 3				
टी 4				

टिप्पण (1) कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (iv) का योग घ 11 में प्रविष्ट करें।
(2) यदि आप अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के भीतर नहीं भर सकते तो अनुपूरक अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 में जारी रखें।

प्ररूप आकवि-4

भारतीय आय-कर विवरणी

(किसी सांपत्तिक कारबार या वृत्ति से आय वाले व्यष्टि और हिन्दू अविभक्त कुटुंब)
कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए
(संलग्न अनुदेश भी देखिए)

निर्धारण वर्ष 2011-12

भाग क जोड़ें साधारण

व्यक्तिगत जानकारी

पहला नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं0
फ्लैट/दरवाजा/ब्लाक सं0	परिसर/भवन/ग्राम का नाम		प्रास्थिति (चिह्नित करें) ☐ ☐ व्यष्टि ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुंब
सड़क/ गली/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान		जन्म की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) (व्यष्टि की दशा में) / /
नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड	लिंग (व्यष्टि की दशा में) (चिह्नित करें) ☐ ☐ पुरुष ☐ महिला
निवास/कार्यालय का एस0टी0डी0 कोड सहित फोन नं0	मोबाइल नं0		नियोजन प्रवर्ग (सही का निशान लगाएं) ☐ ☐ सरकार ☐ सार्वजनिक सेक्टर एकक ☐ अन्य
ई मेल पता			आय-कर वार्ड/सर्किल

फाइल करने की प्रास्थिति

विवरणी फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं0 7 देखिए]
☐ नियत तारीख से पूर्व - 139(1) ☐ नियत तारीख के पश्चात् - 139(4) ☐ पुनरीक्षित विवरणी 139(5)
या सूचना के उत्तर में ☐ 142 (1) ☐ 148 ☐ 153क/153ग

यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)		/ /

आवासीय प्रास्थिति (चिह्नित करें) ☐ ☐ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किन्तु साधारण तौर पर निवासी नहीं

क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है ? (चिह्नित करें) ☐ ☐ हां ☐ नहीं
यदि हां तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -

(क)	प्रतिनिधि का नाम
(ख)	प्रतिनिधि का पता
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)

लेखा परीक्षा जानकारी

क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (चिह्नित करें) ☐ ☐ हां ☐ नहीं

क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं ? (चिह्नित करें) ☐ ☐ हां ☐ नहीं, यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें-

(क)	कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम
(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या
(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)
(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन)
(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख

केवल कार्यालय उपयोग के लिए	केवल कार्यालय उपयोग के लिए *रसीद सं0* *तारीख* *प्राप्त कर्ता पदधारी की मुहर और हस्ताक्षर*

कारबार की प्रकृति

कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकल्पो/ उत्पादों को उपदर्शित करें			
क्र0सं0	कोड *[कृपया अनुदेश सं0 .9(ii) देखें]*	संपत्तिक का नाम, यदि BÉEÉä<Ç है	वर्णन
(i)			
(ii)			
(iii)			

भाग क - तुलनपत्र सांपत्तिक कारबार का 31 मार्च, 2011 को तुलनपत्र
(मद 1 से 5 भरें यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती है, अन्यथा मद 6 भरें)

निधियों के स्रोत

1	स्वामी की निधि			
	क	स्वामी की पूंजी		क
	ख	आरक्षित और अधिशेष		
		i पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi	
		ii पूंजी आरक्षिति	खii	
		iii कानुनी आरक्षिति	खiii	
		iv कोई अन्य आरक्षिति	खiv	
		v योग (खi + खii + खiii + खiv)		खv
	ग	कुल भागीदारों की निधि (क + खv)		1ग
2	ऋण निधियां			
	क	प्रतिभूत ऋण		
		i विदेशी मुद्रा ऋण	कi	
		ii रूपए में ऋण		
		अ बैंकों से ऋण	iiअ	
		आ अन्य से	iiआ	
		इ योग (iiअ+ iiआ)	iiइ	
		iii योग (कi + iiइ)		कiii
	ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है)		
		i बैंकों से ऋण	JÉi	
		ii अन्य से	JÉii	
		iii योग (JÉi + JÉii)		खiii
	ग	योग ऋण निधि (कiii + खiii)		2ग
3	आस्थगित कर दायित्व			3
4	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग +3)			4

निधियों

1	स्थिर आस्तियां			
	क	सकल : ब्लाक	1क	
	ख	अवक्षयण	1ख	

	ग	शुद्ध ब्लाक (क – ख)		1ग			
	घ	चल रहा पूंजी कार्य		1घ			
	ङ	योग (1ग + 1घ)				1ङ	
2	विनिधान						
	क	दीर्घकालिक विनिधान					
		i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	कi			
		ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	कii			
		iii	योग (कi + कii)			कiii	
	ख	अल्पकालिक विनिधान					
		i	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खi			
		ii	अधिमानी शेयर	खii			
		iii	डिबेंचर	खiii			
		iv	योग (खi + खii + खiii)			खiv	
	ग	कुल विनिधान (कiii + खiv)				2ग	
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम						
	क	चालू आस्तियां					
		i	बीजक				
			अ	भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ		
			आ	कच्ची सामग्री	iआ		
			इ	कार्यगत भंडार	iइ		
			ई	तैयार माल / व्यापार माल	iई		
			उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)			i=
		ii	अन्यान्य ऋणी				BE Eii
		iii	नकद और बैंक अतिशेष				
			अ	हस्तगत नकदी	iiiअ		
			आ	बैंक के पास अतिशेष	iiiआ		
			इ	योग (iiiअ + iiiआ)			iiiइ
		iv	अन्य चालू आस्तियां				कiv
		v	कुल चालू आस्तियां (iउ + कii + iiiइ + कiv)				कv
	ख	ऋण और अग्रिम					
		i	नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य		खi		
		ii	निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम		खii		
		iii	राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष		खiii		
		iv	योग (खi + खii +खiii)				खiv
	ग	चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (क v+ ख iv)					3ग
	घ	चालू दायित्व और उपबंध					
		i	चालू दायित्व				
			अ	अन्यान्य लेनदार	i अ		
			आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	i आ		
			इ	उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	i इ		
			ई	उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध्य नहीं हैं	i ई		
			उ	योग (i अ + i आ + i इ + i ई)			i=
		ii	उपबंध				
			अ	आयकर के लिए उपबंध	ii अ		
			आ	धन कर के लिए उपबंध	ii आ		
			इ	छुट्टी भुनाने/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध	ii इ		
			ई	अन्य उपबंध	ii ई		

		उ	योग (ii अ + ii आ + ii इ + ii ई)		iiउ	
		iii	योग (i उ = + ii उ)		घiii	
	ङ		शुद्ध चालू आस्तियां (3ग -घiii)		3ङ	
4	क		अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
	ख		आस्थगित कर +ÉÉÉÌ°iÉ	4ख		
	ग		लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशेष	4ग		
	घ		योग (4क + 4ख + 4ग)		4PÉ	
5			निधियों के उपयोजन का योग (1ङ + 2ग + 3ङ +4PÉ)		5	
6			उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है - (कारबार या बृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2011 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)			
	क		अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम		6क	
	ख		अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम		6ख	
	ग		व्यापारगत स्टाक की कुल रकम		6ग	
	घ		नकदी बकाया की रकम		6घ	

कोई लेखा मामला नहीं

भाग क- लाभ और हानि सांपत्तिक कारबार के पूर्व वर्ष 2010-11 के लिए लाभ और हानि लेखा

(उस दशा में जहां नियमित लेखा बहियां रखी जाती है, मद 1 से मद 50 भरें, अन्यथा मद 51 भरें)

1			कारबार या बृत्ति का विक्रय /सकल रसीद *(शुद्ध विवरणिया और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो)*		1	
2			विक्रय किए गए माल और प्रदाय की गई सेवा क संब में प्राप्त या प्राप्य योग्य शुल्क, कर और उपकर			
	क		संघ उत्पाद शुल्क	2क		
	ख		सेवा कर	2ख		
	ग		मुल्य बर्धित कर/ विक्रय कर	2ग		
	घ		कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ		
	ङ		प्राप्त या प्राप्त योग्य कुल शुल्क, कर और उपकर (2क+2ख+2ग+2घ)		2ङ	
3			अन्य आय			
	क		किराया	3क		
	ख		कमीशन	3ख		
	ग		लाभांश	3ग		
	घ		ब्याज	3घ		
	ङ		स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ	3ङ		
	च		प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य प्रतिभूतियों के विनिधान के विक्रय पर लाभ	3च		
	छ		अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3छ		
	ज		चालू उतार चढ़ाव मद्दे लाभ	3ज		
	झ		कृषि आय	3झ		
	ञ		कोई अन्य आय	3ञ		
	ट		अन्य आय का योग (3क से 3ञ)		3ट	
4			अंतिम स्टाक		4	
5			लाभ और हानि लेखा से लेनदारों का योग (1+2ङ+3ट+4)		5	
6			आरंभिक स्टाक		6	
7			क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)		7	
8			क्रय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर			
	क		सीमा-शुल्क	8क		
	ख		प्रति शुल्क	8ख		
	ग		विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग		
	घ		संघ उत्पाद-शुल्क	8घ		
	ङ		सेवा कर	8ङ		
	च		मूल्य बर्धित कर/ विक्रय कर	8च		
	ज		संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	8छ		
	झ		योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ङ+8च+8छ)		8ज	

लाभ और हानि लेखा को ऋण

लाभ और हानि लेखा को उधार

9	माड़ा				9	
10	भंडार और अतिरिक्त पूर्जों की खपत				10	
11	विद्युत और ईंधन				11	
12	किराया				12	
13	भवन की मरम्मत				13	
14	मशीनरी की मरम्मत				14	
15	कर्मचारियों को प्रतिकर					
	क	वेतन और मजदूरी	15क			
	ख	बोनस	15ख			
	ग	चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति	15ग			
	घ	छुट्टी भुनाया जाना	15घ			
	ङ	छुट्टी यात्रा फायदे	15ङ			
	च	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च			
	छ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ			
	ज	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज			
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ			
	ञ	किन्हीं कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा जिनके संबंध में व्यय उद्भूत हुआ है	15ञ			
	ट	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ+15च+15छ+15ज+15झ+15ञ)			15ट	
16	बीमा					
	क	चिकित्सा बीमा	16क			
	ख	जीवन बीमा	16ख			
	ग	की मेन बीमा	16ग			
	घ	अन्य बीमा	16घ			
	ङ	बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16ङ)			16ङ	
17	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणे व्यय				17	
18	मनोरंजन				18	
19	सत्कार				19	
20	सम्मेलन				20	
21	विक्रय संबर्धन जिसके अन्तर्गत प्रचार भी है (विज्ञापन से भिन्न)				21	
22	विज्ञापन				22	
23	कमीशन				23	
24	होटल, बोर्डिंग और लोजिंग				24	
25	यात्रा व्यय जिसके अन्तर्गत विदेश यात्रा भी हैं				25	
26	वाहन व्यय				26	
27	टेलीफोन व्यय				27	
28	अतिथि गृह व्यय				28	
29	क्लब व्यय				29	
30	त्यौहार आयोजन व्यय				30	
31	छात्रवृत्ति				31	
32	दान				32	
33	संदान				33	
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (जिसके अन्तर्गत आय पर कर भी हैं)					
	क	संघ उत्पाद शुल्क	34क			
	ख	सेवा कर	34ख			
	ग	मूल्य बर्धित कर/ विक्रय कर	34ग			
	घ	उपकर	34घ			
	ङ	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर	34ङ			
	च	संदत्त या संदेय कुल दरें और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)			34च	
35	लेखा परीक्षा ¶ÉÖâBÉE				35	

	36	अन्य व्यय	36	
	37	डूबंत ऋण	37	
	38	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	38	
	39	अन्य उपबंध	39	
	40	ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [5 – (6 + 7 + 8ज + 9 to 14 + 15 ट + 16ड + 17 to 33 + 34थ + 35 से 39)]	40	
	41	ब्याज	41	
	42	अवक्षयण	42	
	43	करों से पूर्व लाभ (40-41-42)	43	
कर उपबंध और विनियोग	44	चालू कर के लिए उपबंध	44	
	45	अस्थागित कर के लिए उपबंध	45	
	46	कर के पश्चात् लाभ (43 – 44 – 45)	46	
	47	पूर्व वर्ष से अग्रणीत किया गया बकाया	47	
	48	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (46 + 47)	48	
	49	आरक्षितियों और अधिशेष को अंतरित	49	
	50	स्वामी के लेखा में तुलनपत्र में अग्रणीत बकाया (48 – 49)	50	
कोई लेखा मामला नहीं	51	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नहीं रखी जाती है वहां कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2010-11 के लिए निम्नलिखित जानकारी दें-		
	क	सकल प्राप्तियां	51क	
	ख	सकल लाभ	51ख	
	ग	व्यय	51ग	
	घ	शुद्ध लाभ	51घ	

भाग ख - अन्य जानकारी *अन्य जानकारी (उस दशा में विकल्प पर जहां धारा 44 कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी नहीं है)*

	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति (चिह्नित करें) ☑ ☐ वाणिज्यिक ☐ नकद		
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☑ ☐ हाँ ☐ नहीं		
	3	धारा 145क के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति में विकलन के कारण, यदि कोई हो लाभ पर प्रभाव	3	
	4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टाक के मूल्यांकन के पद्धति		
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		☐
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखे, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		☐
	ग	क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☑ ☐ हां ☐ नहीं		
	घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विकलन के कारण, यदि कोई हो लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ	
अन्य जानकारी	5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है–		
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क	
	ख	जहां प्रत्यय, वापसी या प्रतिदाय संबंधित प्राधिकारियों द्वारा शोध्य रूप में ग्राह्य है वहां प्रत्यय, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद-शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय, विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रोफार्मा	5ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूंजी रशीद, यदि कोई है	5ङ	
	च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च	
	6	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय न की गई सीमा तक लाभ और हानि लेखा से विकलित रकम :-		
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम	6ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी	6ग	
	घ	उधार ली गई पूंजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम	6घ	
	ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम	6च	

	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम	6छ		
	ज	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम	6ज		
	झ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम	6झ		
	ञ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ		
	ट	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	6ट		
	ठ	किसी विशेष आरक्षिति को अंतरित रकम	6ठ		
	ड	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय	6ड		
	ढ	कर्मचारी राज्य बीमा के अधीन स्थापित किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या किसी निधि अथवा देय तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ		
	ण	कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण		
	त	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)		6त	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
	क	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय	7क		
	ख	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय ;	7ख		
	ग	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय ;	7ग		
	घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना ;	7घ		
	ङ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय ;	7ङ		
	च	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च		
	छ	आय के संबंध में जो कुल आय का भाग नहीं है व्यय की रकम	7छ		
	ज	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कोई अन्य रकम	7ज		
	झ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)		7झ	
8	अ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
		क अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(ik) और धारा 40 (क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक		
		ख प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में संदत्त रकम	अख		
		ग अनुषंगी लाभ कर के रूप में संदत्त रकम	अग		
		घ धनकर के रूप में संदत्त रकम	अघ		
		ङ लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अङ		
		च किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अच		
		छ कोई अन्य अननुज्ञेय	अछ		
		ज धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अछ का योग)		8अज	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ	
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
	क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम;	9क		
	ख	धारा 40क(3) के अधीन एकाउन्ट पेई चेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी व्यक्ति के संदत्त बीस हजार रुपए से अधिक रकम-100 प्रतिशत अननुज्ञेय ;	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध;	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यष्टि निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ;	9घ		
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9R		
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)		9 SÉ	
10	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		

	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख			
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग			
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य ÉÊ´Éत्तीय निMÉàÉ या राज्य अÉèदयोMÉक ÉÊ´Éनिधान निMÉàÉ से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ			
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ			
	च	छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि	10च			
	छ	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)			10छ	
11		किसी पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम:-				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क			
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख			
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग			
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य ÉÊ´Éत्तीय निMÉàÉ या राज्य अÉèदयोMÉक ÉÊ´Éनिधान निMÉàÉ से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ			
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ			
	च	छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	11च			
	छ	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क to 11च का योग)			11छ	
12		निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क			
	ख	सेवा कर	12ख			
	ग	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	12ग			
	घ	कोई अन्य करम	12घ			
	ङ	बकाया कुल रकम (12क से 12घ का योग)			12ङ	
13		धारा 33कख या धारा 33कखक या 33कग के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम			13	
14		धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम			14	
15		लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15	

भाग क – मात्रात्मक ब्यौरे	मात्रात्मक ब्यौरे (उस दशा में विकल्प जिसमें धारा 44कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी नहीं है)				
	(क)	किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक		1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3	
	4	अंतिम स्टाक		4	
	5	कमी /अधिक यदि कोई हो		5	
	(ख)	किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री			
		क	आरंभिक स्टाक	6क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
		ङ	अंतिम स्टाक	6ङ	
		च	प्राप्त तैयार माल	6च	
		छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ	

		ज	कमी/अधिक, यदि कोई हो	6ज	
	7		तैयार माल/ उपोत्पाद		
		क	आरंभिक स्टाक	7क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
		ङ	अंतिम स्टाक	7ङ	
		च	कमी/अधिक, यदि कोई हो	7च	

भाग ख - कुल आय **कुल आय की संगणना**

कुल आय	1		वेतन *(अनुसूची ध का 6)*		1	
	2		गृह संपत्ति से आय *(अनुसूची-गृह संपत्ति का 4ग)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)*		2	
	3		कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि			
		i	सट्टे के कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और हानि *(अनुसूची-कारबार या वृत्ति का क37)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)*	3i		
		ii	सट्टे के कारबार से लाभ और हानि *(अनुसूची-कारबार या वृत्ति का ख 41)(यदि हानि है तो शून्य लिखें)*	3ii		
		iii	योग (3i + 3ii) *(यदि 3 iii हानि है तो शून्य लिखें)*		3iii	
	4		पूंजी अभिलाभ			
		क	अल्पकालिक			
		i	अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन) *(अनुसूची-पूंजी अभिलाभ का क7)*	4कi		
		ii	अल्पकालिक (अन्य) *(अनुसूची-पूंजी अभिलाभ का क8)*	4कii		
		iii	कुल अल्पकालिक (4कi + 4कii)	4कiii		
		ख	दीर्घकालिक *(अनुसूची-पूंजी अभिलाभ का ख6) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)*	4ख		
		ग	कुल पूंजी अभिलाभ (4कiii + 4ख) (यदि 4ग कोई हानि है तो शून्य लिखें)		4ग	
	5		अन्य स्रोतों से आय			
		क	दौड के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न स्रोतों से *(अनुसूची-अन्य स्रोत क3) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)*	5क		
		ख	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से *(अनुसूची-अन्य स्रोत का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)*	5ख		
		ग	कुल (5क +5ख)		5ग	
	6		कुल योग (1 + 2 + 3iii +4ग +5ग)		6	
	7		6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां *(अनुसूची चालू वर्ष की हानि के 2vii,3vii and 4vii का योग)*		7	
	8		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 – 7)		8	
	9		8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियां *(अनुसूची चालू वर्ष की हानि के 2vii,3vii and 4vii का योग)*		9	
	10		सकल कुल आय (8-9) *(अनुसूची अग्रणीत हानि के केवल 5viii)*		10	
	11		अध्याय 6क के अधीन कटौतियां VI-क *(अनुसूची VIक का घ)*		11	
	12		कुल आय (10 – 11)		12	
	13		दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय *(अनुसूची इआई का 4)*		13	
	14		'औषत आय' (12 + 13)		14	
	15		अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां *(सीएफएल के xi का योग)*		15	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व **कुल आय पर कर दायित्व की संगणना**

कर दायित्व की संगणा	1		कुल आय पर संदेय कर			
		क	सामान्य दरों पर कर	1क		
		ख	विशेष दरों पर कर *(अनुसूची एस आई का 11)*	1ख		
	2		कुल आय पर संदेय कर (1क + 1ख)		2	
	3		(2 + 3) पर शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है		3	
	4		कुल कर दायित्व (2 + 3)		4	
	5		कर राहत			
		क	धारा 89	5क		

	ख	धारा 90	5ख		
	ग	धारा 91	5ग		
	घ	कुल (6क +6ख +6ग)			5घ
6	शुद्ध कर दायित्व (5 – 6घ)				6
7	संदेय ब्याज				
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क)	7क		
	ख	अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	7ख		
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234ग)	7ग		
	घ	संदेय कुल ब्याज (9क+9ख+9ग)			7घ
8	औषत दायित्व (6 + 7घ)				8
9	संदत्त कर				
	क	अग्रिम कर *(अनुसूची आईटी से)*	9क		
	ख	स्रोत पर कर की कटौती *(अनुसूची स्त्रोत पर कर की कटौती 1 के स्तंभ 7 और अनुसूची स्रोत पर की कटौती 2 के स्तंभ 8 का योग)*	9ख		
	ग	टीसीएस *(अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 7)*	9ग		
	घ	स्वतः निर्धारण कर *(अनुसूची आईटी से)*	9घ		
	ङ	संदत्त कुल कर (8क + 8ख + 8ग + 8घ)			9ङ
10	संदेय रकम *(यदि 9ङ से अधिक है तो 8 प्रविष्ट करें अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)*				10
11	प्रतिदाय *(यदि 9ङ 8 से अधिक है)*				11
12	अपना बैंक खाता सं0 प्रविष्ट करें *(सभी मामलों में आज्ञापक)*				
13	क्या आप अपना प्रतिदाय ☐ चैक द्वारा, या ☐ अपने बैंक खाते में जमा कराना चाहते हैं ? *(जो लागू हो उसे ☑ चिह्नित करें.*				
14	अपने बैंक खाते में सीधे जमा कराने की दशा में अतिरिक्त ब्यौरे दें				
	एमआईसीआर कोड			खाते की प्रकार *(जो लागू हो उसे ☑ चिह्नित करें)*	☐ बचत ☐ चालू

संदत्त कर

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूं स्थायी लेखा संख्यां,.....का धारक हूं, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/ करती हूं कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य कथित की गई है और निर्धारण वर्ष 2011-12 से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय कर से प्रभार्य आय के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है ।

स्थान ➔ तारीख हस्ताक्षर

15 यदि विवरणी किसी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो और नीचे और ब्यौरे दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं0	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी के प्रति हस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम.....	16	

अनुसूची एस वेतन से आय के ब्यौरे

नियोजक का नाम			नियोजक का स्थायी लेखा संख्या (पैन) (वैकल्पिक)
नियोजक का पता	नगर/शहर	राज्य	पिन कोड

वेतन

1	वेतन *(वेतन के स्थान पर सभी भत्तों, परिलब्धियों और लाभ को छैंड करें..*		1
2	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त भत्ते (नीचे 6 में सम्मिलित)	2	
3	भत्ते जो छूट प्राप्त नहीं है *(नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए)*		3
4	परिलब्धियों का मूल्य (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए)		4
5	वेतन के स्थान पर लाभ (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए)		5
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (1+3+4+5)		6

अनुसूची गृह संपत्ति गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें)

गृह संपत्ति

1	संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिन कोड
	यदि किराए पर है तो ☑ (चिह्नित) करें ☐	किराए दार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं0 (वैकल्पिक)	

	क	वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/ किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर		1क	
	ख	किराए की रकम जो निर्मोचित नहीं की जा सकती है	1ख		
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		
	घ	कुल (1ख + 1ग)	1घ		
	ङ	बकाया (1क – 1घ)		1ङ	
	च	1ङ का 30%	1च		
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1छ		
	ज	कुल (1च + 1छ)		1ज	
	झ	गृह संपत्ति 1 से आय (1ङ – 1ज)		1झ	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिन कोड	
	यदि किराए पर है तो ☑ *(चिह्नित)* करें ☐	किराए दार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं0 (वैकल्पिक)		
	क	वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/ किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर		2क	
	ख	किराए की रकम जो निर्मोचित नहीं की जा सकती है	2ख		
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
	घ	कुल (2ख + 2ग)	2घ		
	ङ	बकाया (2क – 2घ)		2ङ	
	च	2ङ का 30%	2च		
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2छ		
	ज	कुल (2च+ 2छ)		2ज	
	झ	गृह संपत्ति 2 से आय (2ङ–2ज)		2झ	
3	संपत्ति 3 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिन कोड	
	यदि किराए पर है तो ☑ *(चिह्नित)* करें ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं0 (वैकल्पिक)		
	क	वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/ किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है ता निम्नतर		3क	
	ख	किराए की रकम जो निर्मोचित नहीं की जा सकती है	3ख		
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	3ग		
	घ	कुल (3ख + 3ग)	3घ		
	ङ	बकाया (3क – 3घ)		3ङ	
	च	3ङ का 30%	3च		
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	3छ		
	ज	कुल (3च + 3छ)		3ज	
	झ	गृह संपत्ति 3 से आय 3 (3ङ – 3ज)		3झ	
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय				
	क	धारा 25क/कक के अधीन निर्मोचित पूर्व वर्षों का किराया		4क	
	ख	30% कटौती करने के पश्चात् धारा 25ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त किराए का बकाया		4ख	
	ग	कुल (4क + 4ख + 1झ + 2झ + 3झ)		4ग	

टिप्पण ▶ *कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें*

अनुसूची – कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति			
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क पी और एल का मद 43 या मद 51घ)		1	
	2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	2		
	3	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रसीदें	3		
	4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कङ/44कच/44ख/44खख/44खखक/44खखख/44छ/44छक अध्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4		
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है			
		क फर्मों से आय का अंश	5क		

	ख	एओपी/बीओआई से आय का अंश	5ख			
	ग	आय से कोई अन्य छूट	5ग			
	घ	कुल छूट प्राप्त आय	5घ			
6	बकाया (1– 2 – 3 – 4 – 5घ)				6	
7	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय		7			
8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित है		8			
9	कुल (7 + 8)		9			
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)				10	
11	9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण				11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण					
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)*	11i			
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(अपनी संगणना स्वयं करें और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)*	11ii			
	iii	कुल (12i + 12ii)			12ii	
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 – 12iii)				13	
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6त)		14			
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7ञ)		15			
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कछ)		16			
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 9ङ)		17			
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं		18			
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज		19			
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय		20			
21	धारा 33कख/ 33कखक/ 33कखख/ 72क/ 80जजघघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय		21			
22	धारा 28 से 44घ के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य पद या मदें		22			
23	कोई अन्य आय जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यष्टि/ हिंदू अविभक्त कुटुंब/ स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है		23			
24	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)				24	
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती		25			
26	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटौती *(अनुसूची इएसआर का मद vii (4))*		26			
27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम(भाग-णङ का 8ख)		27			
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम(भाग-णङ का 10छ)		28			
29	धारा 35 कग के अधीन कटौती		29			
	क	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	29क			
	ख	कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	29ख			
	ग	लाभ कटौती के रूप में अनुज्ञेय अधिक रकम	29ग			
30	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम		30			
31	कुल (25 + 26+27+28+29ग+ 30)				31	
32	आय (13+ 24 – 31)				32	
33	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -					
	i	धारा 44कघ	33i			
	ii	धारा 44कङ	33ii			
	iii	धारा 44कच	33iii			
	iv	धारा 44ख	33iv			
	v	धारा 44खख	33v			

		vi	धारा 44खखक	33vi			
		vii	धारा 44खखख	33vii			
		viii	धारा 44PÉ	33 viii			
		ix	धारा 44PÉक	33ix			
		x	अध्याय-XII-छ	33x			
		xi	आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33 xi			
		xii	कुल(33i से 33xi)			33xii	
	34	धारा 10क/10ककक/10ख/10खक के अधीन कटौती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33xii)				34	
	35	निम्नलिखित धारा के अधीन कटौतियां-					
		i	10क *(अनुसूची 10क का 6)*	35i			
		ii	10कक *(अनुसूची 10ककक का घ)*	35ii			
		iii	10 ख *(अनुसूची 10ख का च)*	35ii			
		iv	10खक *(अनुसूची 10खक का च)*	35i			
		v	योग			35v	
	36	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34– 35v)				36	
	37	कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् विशेष कारबार की सिवाय वहीं जो ऊपर 36 में है)				अ37	
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना						
	38	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि				38	
	39	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन				39	
	40	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां				40	
	41	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)				आ41	
इ	'लाभ और हानि' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ 37 + आ 41)					ई	
टिप्पणी ▶	*कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें*						

अनुसूची संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी						
2	दर (%)	15	30	40	50	60	80	100
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3 + 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)							
15	आस्ति /आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							

16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)							
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

[redacted] अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	भवन			फर्निचर और फिटिंगें	ठैमुर्त आस्तियां	पोत
2	दर (%)	5	10	100	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन						
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3 + 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन						
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
10	पूर्ण दर से 6 पर अवक्षयण						
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण						
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो						
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो						
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)						
15	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय						
16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)						
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

[redacted] आस्तियों पर अवक्षयण का सार

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार

1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14i)	1क	
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14ii)	1ख	
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14iii)	1ग	
	घ	50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14iv)	1घ	
	ङ	60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14v)	1ङ	
	च	80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14vi)	1च	
	छ	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14vii)	1छ	
	ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	1ज	

2	भवन				
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14i)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii)	2ख		
	ग	100% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii)	2ग		
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें अनुसूची डीओए 14iv)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओऐ 14v)				4
5	पोत (अनुसूची डीओऐ 14vi)				5
6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)				6

अनुसूची [illegible] आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16i)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16iii)	1ग		
	घ	50% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16iv)	1घ		
	ङ	60% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16v)	1ङ		
	च	80% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16vi)	1च		
	छ	100% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16vii)	1छ		
	ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)			ज
2	भवन				
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 16i)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 16ii)	2ख		
	ग	100% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 16iii)	2ग		
	घ	योग (2क+2ख+2ग)			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 16iv)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डाओए 16v)				4
5	पोत (अनुसूची डीओए 16vi)				5
6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)				6

अनुसूची [illegible] धारा 35 के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) – (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अअ)			
vi	35(2अआ)			

vii	योग			

[redacted] पूंजी अभिलाभ

	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ				
	1	मंदी में विक्रय से				
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
		ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
		ग	मंदी में विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग		
		घ	धारा 54ख/54घ के अधीन कटौतियां	1घ		
		ङ	मंदी में विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)		1ङ	
	2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियों से, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू है			2	
	3	अन्य आस्तियों से				
		क	प्रतिपल का पूर्ण मूल्य	3क		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
			i अर्जन की लागत	खi		
			ii सुधार की लागत	खii		
			iii अंतरण पर व्यय	खiii		
			iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	खiv		
		ग	अतिशेष (3क- खiv)	3ग		
		घ	हानि, यदि कोई हो, की धारा 94(7) या 94(8) के अधीन (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	3घ		
		ङ	धारा 54ख/54घ/54छ/54छक के अधीन कटौतियां	3ङ		
		च	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3ग-3घ-3ङ)		3च	
	4	अवक्षयणीय योग्य आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)			4	
	5	धारा 54ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमे			5	
	6	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ङ+2+3ङ+4+5)			6	
	7	6 में सम्मिलित धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			7	
	8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (6-7)			अ8	
पूंजी अभिलाभ	आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ				
	1	मंदी में विक्रय से				
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
		ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
		ग	मंदी में विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग		
		घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङग/54च/54छ/54छक के अधीन कटौतियां	1घ		
		ङ	मंदी में विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)			
	2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियां, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू है			2	
	3	ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है				
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
			i सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi		
			ii सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii		
			iii अंतरण पर व्यय	खiii		
			iv योग (खi+खii+खiii)	खiv		
		ग	अतिशेष (3क- खiv)	3ग		
		घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङग/54च / 54छ/ 54छक के अधीन	3घ		
		ङ	शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)		3ङ	
	4	ऐसी अन्य के मामलों में आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के अधीन परंतुक का प्रयोग किया गया				
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
			i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi		
			ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii		
			iii अंतरण पर व्यय	खiii		
			iv योग (खi + खii + खiii)	खiv		
		ग	अतिशेष (4क- खiv)	4ग		
		घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङग/54चघ/54छ/54छक के अधीन	4घ		
		ङ	शुद्ध अतिशेष			
	5	धारा 54/54ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमे			5	

	6	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें)+2+3ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +4ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +5)	आ6	
इ		"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (आ8+ आ6) (यदि हानि है तो ख8 को शून्य लिखें)	इ	

		पूंजी अभिलाभ का प्रोदभात/प्राप्ति के संबंध में सूचना				
		तारीख	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 (ii)	16/12 से 15/3 (iii)	16/3 to 31/3 (iv)
	1	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची मे कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद बी4ग से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
	2.	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची मे कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद (बी6-बी4सी) से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
	3	111ए के अधीन अल्पकालिक- अनुसूची एसआई में कोड 1ए है, कर दर 15 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद ए7से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
	4.	अल्पकालिक अन्य- सामान्य दर पर कराधेय ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद ए8से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
टिप्पण		*कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें*				

अन्य स्रोतों से आय

	1	(दौड़ के घोड़ों) के स्वामित्व से होने वाली आय से भिन्न आय				
		क लाभांश, सकल	1क			
		ख ब्याज, सकल	1ख			
		ग मशीनरी, संयंत्र, भवन के किराए से आय	1ग			
		घ अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से होने वाली आय को छोड़कर)	1घ			
		ङ योग (1क+1ख+1ग+1घ)			1ङ	
		च धारा 57 के अधीन कटौतियां :–				
		i व्यय/कटौती	च i			
		ii अवक्षयण	च ii			
		iii योग	च iii			
		छ शेष (1ङ – च iii)			1 छ	
	2	लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़ों आदि से जीत			2	
	3	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1छ + 2)			3	
	4	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से आय				
		क प्राप्तियां	4 क			
		ख (4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	4 ख			
		ग शेष (2 क – 2 ख)			4 ग	
	5	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3 + 4 ग) (यदि हानि है तो 4ग को शून्य लिखें और 4ग हानि के अंकों को अनुसूची सीएफएल में लें)			5	
		इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय कृपया अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय को सम्मिलित करें				

चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

हानि का	क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न)कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की

		शून्य हो या सकारात्मक हो ।	कुल हानि (अनुसूची एचपी का 4ग)	कुल हानि (अनुसूची बीपी का 31)	कुल हानि (अनुसूची ओएस का 3)	आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	वेतन					
ii	गृह संपत्तियां					
iii	कारबार (सट्टेबाजी लाभ सहित)					
iv	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
v	दीर्घकालिक अभिलाभ					
vi	अन्य स्रोत (दौड के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ सहित किन्तु लॉटरी से जीत को छोड़कर)					
vii	मुजरा की गई कुल हानि					
viii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

[redacted] पहले के वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरें

अग्रनीत की गई हानि का समायोजन

क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	अनुसूची (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे) के 5 के अनुसार मुजरा करने के पश्चात्, यदि कोई हो, आय	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यह्रास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्तियां					
ii	कारबार (सट्टेबाजी लाभ सहित)					
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
v	अन्य स्रोत (दौड के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ किन्तु लॉटरी से जीत को छोड़कर सम्मिलित)					
vi	अग्रणीत हानियों के मुजरे का योग					
vii	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (i5 + ii5 + iii5 + iv5+v5+vi5)					

[redacted] भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे

हानियों का अग्रनयन

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख(ता/मास/वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न)कारबार हानि	सट्टेबाजी से भिन्न हानि	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	अन्य स्रोतों से हानि (घुड़दौड़ से भिन्न)	अन्य स्रोतों से हानि (दौड के घोड़ों के स्वामित्व से)
i	2003-04								
ii	2004-05								
iii	2005-06								
iv	2006-07								
v	2007-08								
vi	2008-09								
vii	2009-10								
viii	2010-11								

ix	पूर्व वर्षों की हानियों का योग								
x	अनुसूची बीएफएलए में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन								
xi	2011-12 (चालू वर्ष की हानियां)								
xii	अगले वर्षों में अग्रनीत की गई कुल हानि								

अनुसूची__10क धारा 10 क के अधीन कटौती

धारा 10क के अधीन कटौतियां

1	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम संख्या 1	1क		
	ख उपक्रम संख्या.2	1ख		
	ग उपक्रम संख्या.3	1ग		
	घ उपक्रम संख्या.4	1घ		
	ङ उपक्रम संख्या .5	1ङ		
	योग (1 क+ 1 ख+ 1 ग + 1 घ + 1 ङ)		1	
2	इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम संख्या 1	2क		
	ख उपक्रम संख्या.2	2ख		
	ग उपक्रम संख्या.3	2ग		
	घ योग (2 क + 2 ख+ 2 ग)		2 घ	
3	मुक्त व्यापार जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम संख्या 1	3क		
	ख उपक्रम संख्या.2	3ख		
	ग उपक्रम संख्या.3	3ग		
	घ योग (3 क + 3 ख+ 3 ग)		3घ	
4	निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम संख्या 1	4क		
	ख उपक्रम संख्या.2	4ख		
	ग उपक्रम संख्या.3	4ग		
	घ योग (4 क + 4 ख+ 4 ग)			
5	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम संख्या 1	5क		
	ख उपक्रम संख्या.2	5ख		
	ग उपक्रम संख्या.3	5ग		
	घ योग (5 क + 5ख+ 5 ग)			
6	धारा 10क के अधीन कुल कटौतियां *(1घ) + 2 घ+ 3घ+ 4घ+ 5घ)*		6	

अनुसूची__10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन

	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम संख्या 1	5क		
	ख उपक्रम संख्या.2	5ख		
	ग उपक्रम संख्या.3	5ग		
	घ योग (क + ख+ ग)		घ	

अनुसूची__10ख धारा 10ख के अधीन कटौती

धारा 10ख के अधीन कटौतियां

	शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाइयों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम संख्या 1	क		
	ख उपक्रम संख्या.2	ख		
	ग उपक्रम संख्या.3	ग		
	घ उपक्रम संख्या.4	घ		
	ङ उपक्रम संख्या.5	ङ		
	च योग (क + ख+ ग + घ + ङ)		च	

अनुसूची__10खक धारा 10खक के अधीन कटौती

धारा 10क के अधीन कटौतियां

	हस्तनिर्मित काष्ठ वस्तुओं के निर्यात की बाबत कटौती		
क	उपक्रम संख्या 1	क	
ख	उपक्रम संख्या.2	ख	
ग	उपक्रम संख्या.3	ग	
घ	उपक्रम संख्या.4	घ	
ङ	उपक्रम संख्या.5	ङ	
च	योग (क + ख + ग + घ + ङ)		च

अनुसूची_80छ धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए हकदार संदानों के ब्यौरे

संदानों के ब्यौरे

क	शतप्रतिशत कटौती के लिए हकदार संदान			
	आदाता का नाम और पता			संदान की रकम
	i		कi	
	ii		कii	
	iii		कiii	
	iv		कiv	
	v		कv	
	vi	योग	कvi	
ख	जहां आदाता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, 50% कटौती के लिए अनुज्ञात संदान			
	आदाता का नाम और पता			संदान की रकम
	i		खi	
	ii		खii	
	iii		खiii	
	iv		खiv	
	v		खv	
	vi	योग	खvi	
ग	जहां आदाता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, 50 % कटौती के लिए अनुज्ञात संदान			
	आदाता का नाम और पता	आदाता का स्थायी लेखा संख्या		संदान की रकम
	i		गi	
	ii		गii	
	iii		गiii	
	iv		गiv	
	v		गv	
	vi	योग	गvi	
घ	कुल संदान (कvi + खi + गvi)		घ	

अनुसूची_80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियां

धारा 80झक के अधीन कटौतियां

क	धारा 80झक(4)(i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के अभिलाभों की बाबत कटौतीयां (अवसंरचना सुविधा)	क	
ख	धारा 80झक(4)(ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतीयां (दूरसंचार सुविधा)	ख	
ग	धारा 80झक(4)(iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतीयां (विशेष आर्थिक जोनों में औद्योगिक पार्क)	ग	
घ	धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतीयां (विद्युत)	घ	
ङ	धारा 80झक(4)(v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन संयत्र का पुनरूज्जीवन) और धारा 80झक (4)(vi) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभ की बाबत कटौती (पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ	

	च	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख + ग + घ)	च	

अनुसूची-80- झख धारा 80झख के अधीन कटौतियां

धारा 80झख के अधीन कटौतियां

क	धारा 80झख(3) में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतीयां (लघु उद्योग)	क	
ख	जम्मू-कशमीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतीयां (धारा 80झख(4))	ख	
ग	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(4))	ग	
घ	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(5))	घ	
ङ	मल्टीप्लैक्स थियटरों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(7 क))	ङ	
च	पारंपरिक केन्द्रों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(7ख))	च	
छ	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौतियां (धारा 80झख(8 क))	छ	
ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियां (धारा 80झख(9))	ज	
झ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतीयां जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80झख(10))	झ	
ञ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतीयां जो प्रशीतन श्रृखंला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए है (धारा 80झख(11))	ञ	
ट	पशुओं और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतीयां (धारा 80झख(11))	ट	
ठ	खाद्यानों, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती (धारा 80झख(11 क))	ठ	
ड	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतीयां (धारा 80झख(11 ख))	ड	
ढ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतीयां (क से ड का योग)	ढ	

अनुसूची-80- झग या 80झङ धारा 80झग या 80 झङ के अधीन कटौतीयां

धारा 80 झग के अधीन कटौतियां

1	सिक्किम में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतीयां	1	
2	हिमाचल प्रदेश में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतीयां	2	
3	उतरांचल में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतीयां	3	
4	पूर्वोत्तर में में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतीयां		
क	असम	4क	
ख	अरूणाचल प्रदेश	4ख	
ग	मणिपुर	4ग	
घ	मिजोरम	4घ	
ङ	मेघालय	4ङ	
च	नागालैंड	4च	
छ	त्रिपुरा	4छ	
ज	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का कुल योग(4क से 4छ का योग)	4 ज	
5	धारा 80झग या 80झङ के अधीन कुल कटौतीयां (1 + 2 + 3 + 4 ज)	5	

अनुसूची-6 क अध्याय 6 क के अधीन कटौतीयां (धारा)

कुल कटौतियां

क	80 ग		ट	80 छछग		
ख	80 ग ग ग		ठ	80 झक (अनुसूची 80झक का घ)		
ग	80 ग गघ		ड	80 झकख		

घ	80गगच		ढ	80 झख (80-झख की अनुसूची ठ)		
ङ	80 घ		ण	80 झग/ 80झक (अनुसूची 80झक/ 80झक का 6)		
च	80घघ		त	80झख/झअक		
छ	80घघख		थ	80 थथख		
ज	80 ङ		द	80 ददख		
झ	80 छ		ध	80 प		
ञ	80छछ/छछक					
न	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियां (क से ध का कुल योग)				ध	

अनुसूची – विशिष्ट व्यक्तियों की आय विशिष्ट व्यक्तियों की आय (पती/ पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निर्धारितियों की आय में शामिल है ।

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं.	नातेदारी	आय की प्रकृति	रकम (रूपए)
1					
2					

अनुसूची विशेष दर विशेष दर से प्रभार्य आय-कर झख (कृपया अनुभाग कोड और कर की दर के लिए अनुदेश सं. 9 (iii))देखें)

विशेष दर

क्रम सं.	अनुभाग कूट	☑	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii	क्रम सं.	अनुभाग कोड	☑	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii
1	1क	☐	15			6		☐			
2	22	☐	10			7		☐			
3	21	☐	20			8		☐			
4	5खख	☐	30			9		☐			
5		☐				10		☐			
11										कुल (1ii to 10 ii)	

अनुसूची - आईएफ उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं

फर्म जिनमें भागीदार है

फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं

	फर्म सं.	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम i	31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष ii
1						
2						
3						
4						
5						
6	योग					

अनुसूची एआई: छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय)

छूट प्राप्त आय

1	ब्याज से आय	1	
2	लाभांश से आय	2	
3	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है	3	
4	शुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अपवर्जित की जाने वाली आय से भिन्न)	4	
5	फर्म के लाभ में शेयर / एओपी इत्यादि	5	
6	अन्य	6	
7	योग (1+2+3+4+5+6)	7	

[illegible] आय-कर के अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण के कर संदाय के ब्यौरे

कर संदायगियां	क्र. सं.		बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख(दिन/ मास/ वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रूपए)
	i					
	ii					
	iii					
	iv					
	v					
	▶	*भाग ख-टीटीआई के क्रम सं. 11क और 11घ में अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग भरें*				

[illegible] कर कटौती 1

वेतन से स्रोत पर कर कटौती		वेतन से स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे (नियोजक द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार)			
	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				

[illegible] कर कटौती 2 आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [कटौतीकर्ता द्वारा जारी प्ररूप 16 क के अनुसार]

अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम	कटौती किया गया कुल कर	(4) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				

टिप्पण :- *कृपया भाग ख टीटीआई1 के 11ख में अनुसूची टीडीएस 1 के स्तंभ 7 और अनुसूची टीडीएस2 के स्तंभ 7 का योग भरें ।*

टीसीएस पर आय	अनुसूची टीसीएस	स्रोत पर संग्रहित कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार		
	क्र. सं. (1)	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक (टीएएन) (2)	संग्राहक का नाम (3)	काटा गया कुल कर (4)	वर्ष के दौरान दावा किए गए (4) में से रकम (5)
	i				
	ii				

टिप्पण : *भाग ख—टीटीआई के क्रम सं.11ग में स्तंभ (7) की कुल रकम प्रविष्ट करें*

प्रपत्र आ.का.वि-5

भारतीय आयकर विवरणी

[फर्मों, एओपी और बीओआई के लिए]
(कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)
(संलग्न अनुदेश भी देखें)

निर्धारण वर्ष 2011-12

[redacted] साधारण

व्यक्तिगत जानकारी

नाम			स्थायी लेखा संख्यांक
क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, कृपया पुराना नाम दें			
फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं0	परिसर/भवन/ग्राम का नाम		विरचन की तारीख (दिन/मास/वर्ष) / /
सड़क/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान		प्रास्थिति *(फर्म-1, स्थानीय प्राधिकारी-2, सहकारी बैंक 3, अन्य सहकारी सोसाइटी-4, एलएलपी-5, अन्य एओपी/ बीओआई कृतिम विधिक व्यक्ति-6)* ☐
नगर/शहर/जिला	राज्य	पिनकोड	आयकर वार्ड/सर्किल
निवास/कार्यालय का फोन नं0 एसटीडी कोड सहित		मोबाइल नं0	
ई-मेल पता			

फाइल की गई विवरणी **(सही का निशान लगाएं)** *[कृपया अनुदेश सं0- 7 देखें]* ☐ नियत तारीख से पूर्व-139(1) ☐ नियत तारीख के पश्चात्-139(4) ☐ पुनरीक्षित विवरणी-139(5)

या सूचना के उत्तर में ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153क/153ग

यदि पुनरीक्षित है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं0 और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष) / /

निवास संबंधी प्रास्थिति *(सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ निवासी ☐ अनिवासी

अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है *(सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं

क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? *(सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं

यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें-

(क)	प्रतिनिधि का नाम
(ख)	प्रतिनिधि का पता
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक

संपरीक्षा जानकारी

क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? *(सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं

क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? *(सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं, यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें

(क)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम
(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या
(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)
(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं0)
(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्राप्ति सं0

तारीख

प्राप्तकर्ता पदधारी की मोहर और हस्ताक्षर

भागीदारों/ सदस्यों की जानकारी

अ.क्या पूर्ववर्ष में फर्म/एओपी/बीओआई/एलएलपी में भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐हां ☐ नहीं
(समितियों और सहकारी बैंक की आय की दशा में प्रबंध समितियों के ब्यौरे दें)

आ. उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जो 31 मार्च, 2011 को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार/सदस्य थे

क्र.सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्या

कारबार का स्वरूप

कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं

क्र.सं.	कोड (कृपया अनुदेश सं0 9(ii) देखें)	वर्णन
(i)		
(ii)		
(iii)		

निधियों के स्रोत

भाग क बीएस 31 मार्च, 2011 को यथाविद्यमान तुलन पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद 1 से 5 भरें अन्यथा 6 भरें)

1	भागीदार/सदस्यता निधि				
	क	भागीदार/सदस्यता पूंजी		क	
	ख	आरक्षितियां और अधिशेष			
		i पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi		
		ii पूंजी आरक्षिति	खii		
		iii कानूनी आरक्षिति	खiii		
		iv कोई अन्य आरक्षिति	खiv		
		v योग (खi+खii+खiii+खiv)		खv	
	ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क +खv)		1ग	
2	ऋण निधि				
	क	प्रतिभूत ऋण			
		i विदेशी करेंसी ऋण	का		
		ii रुपए ऋण			
		अ बैंकों से	iiअ		
		आ अन्य से	iiआ		
		इ योग (iiiअ+iiiआ)	iiइ		
		iii योग (कi+ii ग)		कiii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (निक्षेप सहित)			
		i बैंकों से ऋण	JÉi		

	ii	अन्य से	JÉii		
	iii	योग (JÉi + JÉii)			खiii
JÉ		कुल ऋण निधि (कiii + खiii)			2ग
3		आस्थगित कर दायित्व			3
4		निधि के स्रोत (1ग+2ग+3)			4
1		नियत आस्तियां			
	क	सकल :समूह	1क		
	ख	अवक्षयण	1ख		
	ग	शुद्ध समूह (क-ख)	1ग		
	घ	प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ		
	ङ	योग (1ग+1घ)			1ङ
2		विनिधान			
	क	दीर्घकालिक विनिधान			
	i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां-कोट की गई	का		
	ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां-कोट न की गई	कii		
	iii	योग (कi+कii)			कiii
	ख	अल्पकालिक विनिधान			
	i	साधारण शेयर	खi		
	ii	अधिमानी शेयर	खii		
	iii	डिबेंचर	खiii		
	iv	योग (खi+खii+खiii)			खiv
	ग	कुल विनिधान (कiii+खiv)			2ग
3		चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
	क	चालू आस्तियां			
	i	सूचियां			
	अ	भंडार/ पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य	iअ		
	आ	कच्चा माल	iआ		
	इ	प्रगतिगत स्टाक	iइ		
	ई	तैयार माल/व्यापारगत माल	iई		
	उ	योग (iअ+iआ+iइ+iई)			iउ
	ii	विविध देनदार			कii
	iii	नकदी और बैंक अतिशेष			
	अ	हाथ में नकदी	iii अ		
	आ	बैंक में अतिशेष	iii आ		
	इ	योग(iii अ+iii आ)			iii इ
	iv	अन्य चालू आस्तियां			कiv
	v	कुल चालू आस्तियां (iउ+ कii+iiiइ+ क iv)			कv
	ख	ऋण और अग्रिम			
	i	नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खi		
	ii	निक्षेप उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य	खii		
	iii	राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष, आदि	खiii		
	iv	योग (खi + खii +खiii)			खiv
	ग	योग (क v+ ख v)			3ग
	घ	विद्यमान दायित्व और उपबंध			
	i	विद्यमान दायित्व और उपबंध			
	अ	विविध लेनदार	iअ		
	आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ		
	इ	उपरोक्त पर प्रोद्भूत ब्याज	iइ		

			ई	ऋण पर प्रोद्भूत किन्तु शोध्य नहीं ब्याज	iiई	
			उ	योग (iअ+iआ +iइ +iई)		iउ
		ii		उपबंध		
			अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ	
			आ	अनुषंगिक फायदा कर के लिए उपबंध	ii आ	
			इ	धन कर के लिए उपबंध	ii इ	
			ई	छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्षिता-उपदान के लिए उपबंध	iiई	
			उ	अन्य उपबंध	iiउ	
			ऐ	योग (iiअ+iiआ +iiइ +iiई+iiउ +iiऊ +iiए)		ii ए
		iii		योग (iउ+iiए)		घiii
	ङ			शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii)		3ङ
4	क			अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क	
	ख			आस्थगित कर आस्ति	4ख	
	ग			लाभ और हानि लेखा/एकत्रित शेष	4ग	
	घ			योग (4क + 4ख + 4ग)		4घ
5				निधियों के उपयोजन का योग (1ङ + 2ग + 3ङ +4घ)		5
6				उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं,कारबार या वृत्ति की लागत 31 मार्च, 2011 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें		
	क			विविध देनदारों की कुल रकम		6क
	ख			विविध लेनदारों की कुल रकम		6ख
	ग			व्यवसायगत स्टाक की कुल रकम		6ग
	घ			नकद अतिशेष की रकम		6घ

(लेखा न होने की दशा)

भाग ख-लाभ और हानि पूर्ववर्ष 2010-11 के लिए लाभ और हानि *(उस दशा में जहां नियमित लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं, मद 1 से 51 भरें, अन्यथा 52 भरें)*

1			कारबार या वृत्ति के विक्रय/सकल प्राप्तियां *(शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो)*		1
2			विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर		
	क		संघ उत्पाद शुल्क	2क	
	ख		सेवा कर	2ख	
	ग		मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	2ग	
	घ		कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ	
	ङ		प्राप्त या प्राप्य शुल्कों, करों और उपकर का योग (1क+1ख+1ग+1घ)		2ङ
3			अन्य आय		
	क		किराया	3क	
	ख		कमीशन	3ख	
	ग		लाभांश	3ग	
	घ		ब्याज	3घ	
	ङ		विक्रय या नियत आस्तियों पर लाभ	3ङ	
	च		ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य प्रतिभूतियां हैं	3च	
	छ		अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3छ	
	ज		करेंसी उतार-चढ़ाव पर लाभ	3ज	
	झ		कृषि आय	3झ	
	ञ		कोई अन्य आय	3ञ	
	ट		अन्य आय का योग [(i) से (x)]		3ट
4			बंद स्टाक		4
5			लाभ-हानि लेखे में जमा का योग (1+2ङ+3ट+4)		5
6			आरंभिक स्टाक		6
7			क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)		7
8			क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संदत्त या संदेय शुल्क और कर		

(लाभ-हानि लेखे में जमा)

	क	सीमा शुल्क	8क			
	ख	प्रति शुल्क	8ख			
	ग	विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग			
	घ	संघ उत्पाद शुल्क	8घ			
	ङ	सेवा कर	8ङ			
	च	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	8च			
	छ	कोई अन्य कर, संदत्त या संदेय	8छ			
	ज	योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ङ+8च+8छ)			8ज	
9	भाड़ा				9	
10	भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग				10	
11	विद्युत और ईंधन				11	
12	किराया				12	
13	भवन की मरम्मत				13	
14	मशीनरी की मरम्मत				14	
15	कर्मचारियों को प्रतिकर					
	क	वेतन और मजदूरी	15क			
	ख	बोनस	15ख			
	ग	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	15ग			
	घ	छुट्टी नकदीकरण	15घ			
	ङ	छुट्टी यात्रा फायदा	15ङ			
	च	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च			
	छ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ			
	ज	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज			
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ			
	ञ	कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है	15ञ			
	ट	संदत्त और संदेय अनुषंगी फायदा कर	15ट			
	ठ	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ +15च+15छ+15ज+15झ+15ञ+15ट)			15ठ	
16	बीमा					
	क	चिकित्सा बीमा	16क			
	ख	जीवन बीमा	16ख			
	ग	प्रमुख व्यक्ति का बीमा	16ग			
	घ	अन्य बीमा	16घ			
	ङ	बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)			16ङ	
17	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय				17	
18	मनोरंजन				18	
19	सत्कार				19	
20	सम्मेलन				20	
21	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)				21	
22	विज्ञापन				22	
23	कमीशन				23	
24	होटल, बोर्डिंग और वासा				24	
25	विदेश यात्रा सहित यात्रा व्यय				25	
26	वाहन खर्च				26	
27	टेलीफोन व्यय				27	
28	अतिथि गृह व्यय				28	
29	क्लब व्यय				29	
30	उत्सव समारोह व्यय				30	
31	छात्रवृत्ति				31	
32	दान				32	

33	संदान		33	
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर)			
	क	संघ उत्पाद शुल्क	34क	
	ख	सेवा कर	34ख	
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	34ग	
	घ	उपकर	34घ	
	ङ	एसटीटी सहित कोई अन्य रेट, कर, शुल्क या उपकर	34ङ	
	च	संदत्त या संदेय कुल रेट और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)	34च	
35	लेखा परीक्षा ¶ÉÖãBÉE		35	
36	अन्य व्यय		36	
37	डूबंत ऋण		37	
38	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध		38	
39	अन्य उपबंध		39	
40	ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [5 -(6+7+8छ +9से 14+15ठ +16ङ +17से 33+34घ+35 से 39)]		40	
41	ब्याज		41	
42	अवक्षयण		42	
43	कर पूर्व लाभ (40-41-42)		43	

कर और विनियोग के लिए उपबंध	44	चालू कर के लिए उपबंध	44	
	45	अनुषंगी फायदा कर के लिए उपबंध	45	
	46	आस्थगित कर के लिए उपबंध	46	
	47	कर पश्चात् लाभ (43-44-45-46)	47	
	48	पूर्व वर्ष से अग्रनीत बकाया	48	
	49	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (49-50)	49	
	50	आरक्षितियों और अधिशेष में अंतरित	50	
	51	भागीदार के लेखे में तुलन पत्र में लिया गया बकाया (49-50)	51	
लेखा न होने का मामला	52	उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, कारबार या वृत्ति की बाबत पूर्व वर्ष 2008-09 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें		
	क	सकल प्राप्तियां	52क	
	ख	सकल लाभ	52ख	
	ग	व्यय	52ग	
	घ	शुद्ध लाभ	52घ	

भाग ङ अन्य जानकारी *अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)*

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) ☑	☐ वाणिज्य ☐ नकद
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) ☑	☐ हां ☐ नहीं
	3	धारा 145क के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति में विचलन के कारण, यदि कोई हो, लाभ पर प्रभाव	3	
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति		
	क	कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
	ग	क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति मे कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखे और यदि नहीं तो 2 लिखें)		☐
	घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ	
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-		
	क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क	
	ख	सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर का प्रोफार्मा जमा, वापसी, प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, जहां ऐसा जमा, वापसी या प्रतिदायों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय माना गया है	5ख	

	ग	पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग			
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ			
	ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ			
	च	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)			5च	
6		धारा 36 के अधीन नामंजूर सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकम-				
	क	स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6क			
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6ख			
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी				
	घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम	6घ			
	ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ			
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6च			
	छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम	6छ			
	ज	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज			
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6झ			
	ञ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ			
	ट	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	6ट			
	ठ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम	6ठ			
	ड	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय	6ड			
	ढ	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ			
	ण	कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण			
	त	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)			6त	
7		धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें				
	क	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय	7क			
	ख	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय	7ख			
	ग	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ग			
	घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7घ			
	ङ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7ङ			
	च	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च			
	छ	ऐसी आय के संबंध में व्यय की रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनती	7छ			
	ज	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ज			
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)			7झ	
8	अ	धारा ४० के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
		क अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(iक) और धारा 40 (क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक			
		ख अनुषंगी लाभ कर के रूप में संदत्त रकम	अख			
		ग लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अग			
		घ धनकर के रूप में संदत्त रकम	अघ			
		ङ किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अङ			
		च कोई अन्य अननुज्ञेय	अच			
		छ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अच का योग)	अछ			

	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा ४० के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आU	
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें				
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क		
	ख	एकाउन्ट पेई चेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से भिन्न संदत्त रकम धारा 40क(3) के अंतर्गत अननुज्ञेय -100 % अननुज्ञेय	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप मे निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि	9घ		
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क और 9ङ का योग)		9च	
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10छ	
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11च का योग)		11छ	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	कोई अन्य कर	12घ		
	ङ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12घ का योग)		12ङ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें			13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम			14	
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15	

भाग क-परिणात्मक	परिणात्मक ब्यौरे *(धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)*

[redacted]

परिणालक ब्यौरे

(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक	1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3	
	4	बंद स्टाक	4	
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5	
(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री		
	क	आरंभिक स्टाक	6क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
	ङ	बंद स्टाक	6ङ	
	च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च	
	छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ	
	ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
	7.	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद		
	क	आरंभिक स्टाक	7क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
	ङ	बंद स्टाक	7ङ	
	च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

[redacted] कुल आय की संगणना

1	गृह संपत्ति से आय *(अनुसूची गृह संपत्ति का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)*		1	
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ			
	i सट्टेबाजी के कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बीपी का ए 37)	2i		
	ii सट्टेबाजी के कारबार से लाभ और हानि (अनुसूची-बीपी का बी 41) *(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)*	2ii		
	iii योग (2i+2ii) शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि और यह अंक अंकित करें यदि अनुसूची सीवाईएलए की हानि में है)		2iii	
3	पूंजी अभिलाभ			
	क अल्पकालिक			
	i अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन)(अनुसूची-सीजी का क1) *(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)*	3कi		
	ii अल्पकालिक (अन्य) (अनुसूची-सीजी का क8)	3कii		
	iii कुल अल्पकालिक (3कi+3कii)	3कiii		
	ख दीर्घकालिक (अनुसूची-सीजी का बी6) *(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)*	3ख		
	ग कुल पूंजी अभिलाभ (3कiii+3ख) (अनुसूची सीवाईएलए को समायोजित आंकड़े लें)		ग	
4	अन्य स्रोतों से आय			
	क दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न स्रोत से (अनुसूची ओएस का 3) *(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)*	4क		
	ख दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से (अनुसूची ओएस का 4ग) *(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)*	4ख		
	ग योग (4क +ख)		4ग	
5	योग (1+2ग+3ग+4ग)		5	
6	6 के संबंध में मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2vii, 3viiऔर [illegible]ii का योग)		6	
7	चालू वर्ष की हानि के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (6-7)		7	

8	8 के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानि या (अनुसूची बीएफएलए के 2vii, 3viiऔर 4vii का योग)	8	
9	सकल कुल आय (6-7-8)(अनुसूची बीएफएलए के 5vii भी)	9	
10	अध्याय 6-क के अधीन कटौतियां (अनुसूची 6क का ट)	10	
11	कुल आय (10-11)	11	
12	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 4)	12	
13	कुल आय (11+12)	13	
14	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची सीएफएल के xi का योग)	14	

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	कुल आय पर संदेय कर			
		क सामान्य दरों पर कर	1क		
		ख विशेष दरों पर कर *(अनुसूची-एसआई का 11)*	1ख		
	2	कुल आय पर संदेय कर (1क+1ख)		2	
	3	2 पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा सहित शिक्षा उपकर		3	
	4	सकल कर दायित्व (2+ 3)		4	
	5	कर राहत			
		क धारा 90	5क		
		ख धारा 91	5ख		
		ग योग (5क+5ख)		5ग	
	6	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग)		6	
	7	संदेय ब्याज			
		क विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क)	7क		
		ख अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	7ख		
		ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234ग)	7ग		
		घ संदेय कुल बकाया (7क+7ख+7ग)		7घ	
	8	कुल दायित्व (6+7घ)		8	
संदत्त कर	9	संदत्त कर			
		क अग्रिम कर *(अनुसूची-आईटी से)*	9क		
		ख स्रोत पर काटा गया कर *(अनुसूची-टडीएस2 का स्तंभ 9)*	9ख		
		ग टीसीएस *(अनुसूची-सीटीएस का स्तंभ 8)*	9ग		
		घ स्वतः निर्धारण *(अनुसूची-आईटी से)*	9घ		
		ङ कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9घ)		9ङ	
	10	संदेय रकम *(यदि 8, 9ङ से अधिक है तो प्रविष्ट करें अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)* (8-9ङ)		10	
	11	प्रतिदाय *(यदि 9ङ 8 से अधिक है)*		11	

कृपया बैंक खाते की बाबत निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें ।

1	अपना बैंक खाता संख्यांक लिखें (सभी *दशा में अनिवार्य*)	
2	क्या आप अपना प्रतिदाय ☐ चेक, या ☐ आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके चाहते हैं ? *(जैसा लागू हो सही का निशान लगाएं ☑)*	
3	अपने बैंक खाते के अतिरिक्त ब्यौरे दें	
	एमआईसीआर कोड	खाते का प्रकार *(जैसा लागू हो सही का निशान लगाएं ☑)* ☐ बचत ☐ चालू

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूं स्थायी लेखा संख्यां,.....का धारक हूं, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण हैं और उसमें दर्शित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां निर्धारण वर्ष 2011-12 से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए आयकर से प्रभार्य आय और अनुषंगी फायदों की बाबत सही कथित की गई हैं और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं । मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं.....की अपनी हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूं और मैं यह विवरणी देने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं ।

स्थान तारीख यहां हस्ताक्षर करें→

[illegible] एवं गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (कृपया अनुदेश निर्दिष्ट करें)

गृह संपत्ति

1	संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड	
	(सही का निशान) ☑ यदि किराए पर दिया है ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)		
	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्य किराया(अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)		1क	
	ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
	ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है	1ग		
	घ	योग (1ख+1ग)	1घ		
	ङ	बकाया(1क-1घ)		1ङ	
	च	1ङ का 30%	1च		
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1छ		
	ज	योग (1च+1छ)		1ज	
	झ	गृह संपत्ति से आय 1(1ङ-1ज)		1झ	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड	
	(सही का निशान) ☑ यदि किराए पर दिया है ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)		
	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्य किराया(अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)		2क	
	ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख		
	ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है	2ग		
	घ	योग (2ख+2ग)	2घ		
	ङ	बकाया(2क--2घ)	2ङ		
	च	2ङ का 30%	2च		
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2छ		
	ज	योग (2च+2छ)		2ज	
	झ	गृह संपत्ति से आय 2(2ङ-2ज)		2झ	
3	संपत्ति 3 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड	
	(सही का निशान) ☑ यदि किराए पर दिया है ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)		
	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्य किराया(अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)		3क	
	ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	3ख		
	ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है	3ग		
	घ	योग (3ख+3ग)	3घ		
	ङ	बकाया(3क--3घ)	3ङ		
	च	3ङ का 30%	3च		
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	3छ		
	ज	योग (3च+3छ)		3ज	
	झ	गृह संपत्ति से आय 3(3ङ-3ज)		3झ	
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय				
	क	धारा 25क/कक के अधीन वसूल किया गया पूर्ववर्ष का किराया		4क	
	ख	30% की कटौती करने के पश्चात् धारा 25ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया कर		4ख	
	ग	योग (4क+4ख+1i+2i+3i)		4ग	

[illegible] – कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय

अ	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति			
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क पी और एल का मद 43 या मद 52घ)			1
2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	2		
3	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रसीदें	3		
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कख/44कच/44ख/44खख/44खखक/44खखख/44घ/44घक अध्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4		
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है			
	(क) फर्म/ फर्मों से आय का अंश	5क		
	(ख) एओपी/बीओपी से आय का अंश	5ख		
	(ग) कोई अन्य छूट प्राप्त आय	5ग		
	(घ) कुल छूट प्राप्त आय	5घ		
6	बकाया (1 – 2 – 3 – 4 – 5घ)			6
7	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7		
8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	8		
9	कुल (7 + 8)	9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)			10
11	9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण			11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण			
i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)*	12i		
ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(अपनी संगणना करें और आयकर नियमों की परिशिष्ट-झक को देखें)*	12ii		
iii	कुल (12i + 12ii)			12iii
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)			13
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6त)	14		
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7झ)	15		
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कझ)	16		
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित र कम (भाग ओ आई का 9च)	17		
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग-ओआई 11छ)	18		
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा २३ के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19		
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20		
21	धारा 33कख/ 33कखक/ 35कखख/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21		
22	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	22		
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से ब्याज जिसमें निर्धारती भागीदार है)	23		
24	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)			24
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25		
26	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटौती *(अनुसूची इएसआर का मद vii (4))*	26		
27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा ४० के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग ओआई का 8ख)	27		
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग ओआई का 10)	28		
29	धारा 35 कग के अधीन कटौती	29		
क	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	29 क		
ख	अनुज्ञेय कटौती	29ख		
ग	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय 29ख-29क	29ग		
30	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	30		

	31	कुल (25 + 26+27+28+29ME + 30)			31	
	32	आय (13+ 24 – 31)			32	
	33	निम्नलिखित के अधीन कारबार यां वृत्तिक के समझे जाने वाले लाभ या हानि -				
	i	धारा 44कघ	33i			
	ii	धारा 44कङ	33ii			
	iii	धारा 44कच	33iii			
	iv	धारा 44ख	33iv			
	v	धारा 44खख	33v			
	vi	धारा 44खखक	33vi			
	vii	धारा 44खखख	33vii			
	viii	धारा 44PE	33 viii			
	ix	धारा 44PEक	33ix			
	x	अध्याय-XII-छ	33x			
	xi	आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33 xi			
	xii	कुल(33i से 33xi)			33xii	
	34	धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटौती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33x)			34	
	35	निम्नलिखित के अधीन कटौतियां-				
	i	10क *(अनुसूची 10क का 6)*	35i			
	ii	10कक *(अनुसूची 10कक का घ)*	35ii			
	iii	10 ख *(अनुसूची 10ख का च)*	35iii			
	iv	10खक *(अनुसूची 10खक का च)*	35iv			
	v	योग (35 i+ 35 ii+ 35 iii+ 35 iv)			35v	
	36	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34– 35v)			36	
	37	नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि			अ 37	
आ		सट्टे के कारबार से आय की संगणना				
	38	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			38	
	39	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			39	
	40	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां			40	
	41	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)			आ	
इ		'लाभ और हानि' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ 37 + आ 41)				

[redacted]

[redacted] संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण

		संयंत्र और मशीनरी						
1	आस्ति-समूह							
2	रेट (%)	15	30	40	50	60	80	100
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली							
6	वह रकम जिस पर पूर्ण दर पर अवक्षयण अनुज्ञात किया जाना है (3 + 4 -5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली							
9	वह रकम जिस पर आधी दर पर अवक्षयण अनुज्ञात किया जाना है (7-8) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो)							
10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण							
11	9 पर आधी दर पर अवक्षयण							
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							

13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)							
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
16	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि* (5 + 8 -3-4 -7 -15) (नकारात्मक लिखें यदि ब्लाक विद्यमान नहीं रहता है)							
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -14) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो)							

अनुसूची अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

1	आस्ति-समूह	भवन			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
2	रेट (%)	5	10	100	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
6	रकम जिस पर अवक्षयण पूर्ण दर पर अनुज्ञात है (3+4—5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
9	रकम जिस पर अवक्षयण आधी दर पर अनुज्ञात है 7-8(शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण						
11	9 पर आधी दर पर अवक्षयण						
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)						
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय						
16	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि* (5 + 8 -3-4 -7 -15)						
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -14)						

अनुसूची आस्तियों पर अवक्षयण का सार

आस्तियों पर अवक्षयण का सार

1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14i)	1क	
	ख	30 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	1ख	
	ग	40 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14iii)	1ग	
	घ	50 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14iv)	1घ	
	ङ	60 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14v)	1ङ	

	च	80 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14vi)	1च			
	छ	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14vii)	1छ			
	ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)			1ज	
2	भवन					
	क	5 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14i)	2क			
	ख	10 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	2ख			
	ग	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	2ग			
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (2क + 2ख ङ 2ग)			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए -14iv)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए -14v)				4	
5	पोत(अनुसूची डाओए -14vi)				5	
6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)				6	

[redacted] अवक्षयणीय आस्तियों के विक्रय पर समझे गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क	15 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16i)	1क			
	ख	30 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16ii)	1ख			
	ग	40 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16iii)	1ग			
	घ	50 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16iv)	1घ			
	ङ	60 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16v)	1ङ			
	च	80 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16vi)	1च			
	छ	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16vii)	1छ			
	ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)			1ज	
2	भवन					
	क	5 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीओए -16i)	2क			
	ख	10 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीओए -16ii)	2ख			
	ग	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीओए -16ii)	2ग			
	घ	कुल (2क+2ख+2ग)	2घ			
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीपीएम-16iv)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीपीएम-16v)				4	
5	पोत(अनुसूची डीपीएम-16vi)				5	
6	योग (1ज+2घ+3+4+5)				6	

[redacted] धारा 35 के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			

iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अअ)			
vi	35(2अआ)			
vii	योग			

अनुसूची-पूंजी अभिलाभ पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग+1घ)			
	1	मंद विक्रय से			
		क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
		ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
		ग मंद विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग		
		घ धारा 54ख/54घ के अधीन कटौती	1घ		
		ङ मंद विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग + 1घ)		1ङ	
	2	अनिवासी की दशा में, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है, आस्तियों से		2	
	3	अन्य आस्तियों से			
		क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
		ख धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i अर्जन की लागत	खi		
		ii सुधार की लागत	खii		
		iii अंतरण पर व्यय	खiii		
		iv योग (खi+ खii+ खiii)	खiv		
		ग बकाया (3क-खiv)	3ग		
		घ धारा 94(7) या 94(8) के अधीन उपेक्षा की जाने वाली हानि,यदि कोई हो (केवल धनात्मक मूल्य लिखें)	3घ		
		ङ धारा 54ख/54घ के अधीन छूट	3ङ		
		च अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3ग+3घ -3ङ) (शून्य लिखें यदि हानि है)		3च	
	4	अक्षयी आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची-डीसीजी का 6)		4	
	5	धारा 54ख/54घ/54ङग/54ङघ/54च/54छक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई रकम		5	
	6	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ङ+2+3च+4+5)		6	
	7	6 में सम्मिलित धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		7	
	8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (6-7)		अ8	
	आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ			
	1	मंदी में विक्रय से			
		क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
		ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
		ग मंदी में विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग		
		घ धारा 54ख/54घ/54ङग/54छ/54छक के अधीन कटौती	1घ		
		ङ मंद विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग—1घ)		1ङ	
	2	अनिवासी की दशा में, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है, आस्ति		2	
	3	आस्तियों से, जिनके लिए 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया			
		क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
		ख धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi		
		ii सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii		
		iii अंतरण पर व्यय	खiii		
		iv योग (खi+खii+खiii)	खiv		
		ग अतिशेष (3क-खiv)	3		
		घ धारा 54ख/54घ/54ङग/54छ/54छक के अधीन कटौती	3घ		
		ङ शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)		3ङ	
	4	अन्य आस्तियों से, जिनके लिए 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया			
		क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
		ख धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii		
		iii अंतरण पर व्यय	खiii		
		iv योग (खi+खii+खiii)	खiv		
		ग अतिशेष (4क-खiv)	4ग		
		घ धारा 54ख/54घ/54ङग/54छ/54छक के अधीन कटौती	4घ		
		ङ शुद्ध अतिशेष		4ङ	

	5	धारा 54ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी जाने वाली रकम	5	
	6	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ङ*+2+3ङ*+4ङ*+5) * (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है)	आ6	
इ		"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन पूंजी अभिलाभ (आ6+ आ 6)(आ8 के लिए शून्य यदि हानि हो)	इ	
ई		पूंजी अभिलाभ के प्रोद्भवन/प्राप्ति के बारे में जानकारी		

	तारीख	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 तक (ii)	16/12 से 15/3 तक (iii)	16/3 से 31/3 (iv)
1	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची मे कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद बी4सी से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
2.	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है (सूचीकरण के साथ)- एसआई अनुसूची मे कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद (बी6-बी4सी) से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
3	111क के अधीन अल्पकालिक- अनुसूची एसआई में कोड 1क है, कर दर 15 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद क7से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
4.	अल्पकालिक अन्य- सामान्य दर पर कराधेय ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद क8से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				

टिप्पण *कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें*

अनुसूची- अन्य स्रोत — अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	घुड़दौड़ के स्वामित्व से भिन्न आय			
		क लाभांश, सकल	1क		
		ख ब्याज, सकल	1ख		
		ग मशीनरी, संयंत्र, भवन से किराए की आय	1ग		
		घ अन्य, सकल	1घ		
		ङ योग (1क+1ख+1ग+1घ)		1ङ	
		च धारा 57 के अधीन कटौती			
		i व्यय/कटौती	चi		
		ii अवक्षयण	चii		
		iii योग	चiii		
		छ अतिशेष (1ङ-चiii)		1छ	
	2	लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़ आदि से जीत		2	
	3	अन्य स्रोत से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न)(1छ+2)		3	
	4	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से आय			
		क प्राप्तियां	4क		
		ख (4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	4ख		
		ग अतिशेष (2क-2ख)		4ग	
	5	"अन्य स्रोत से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3+4ग)(यदि हानि है तो 4ग को शून्य दिखाए और 4ग की हानि को अनुसूची सीएफएल में दिखाऐं		5	

अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

	क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति हानि		मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे की हानि से भिन्न)		मुजरा की गई चालू वर्ष की अन्य स्रोत से हानि (घुड़दौड़ से हानि से भिन्न)		मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
				कुल हानि (अनुसूची-एचपी का 4ग)		कुल हानि (अनुसूची-बीपी का अ37)		कुल हानि (अनुसूची-ओएस का 3)		
			1	2		3		4		5=1-2-3-4
चालू वर्ष हानि समायोजन	i	गृह संपत्ति								
	ii	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टे का लाभ भी है)								
	iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ								
	iv	दीर्घकालिक अभिलाभ								
	v	अन्य स्रोत (घुड़दौड़ का स्वामित्व से लाभ परन्तु लाटरी से जीत को छोड़कर)								
	vi	मुजरा की गई कल हानि								
	vii	मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि								

अनुसूची-डीएफएलए पूर्व वर्षों की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे

	क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात्	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
अग्रनीत हानि समायोजन	i	गृह संपत्ति					
	ii	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टे का लाभ भी है)					
	iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
	iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
	v	अन्य स्रोत (घुड़दौड़ के स्वामित्व से लाभ सहित परन्तु लाटरी से जीत को छोड़कर)					
	vi	योग					
	vii					योग (i5 + ii5 + iii5 + iv5 +v 5)	

अनुसूची-सीएफएल

	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार से हनि से भिन्न कारबार से हानि	सट्टे के कारबार से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य स्रोत हानि (घुड़दौड़ के स्वामित्व से)
हानि का अग्रनयन	i	2003-04							
	ii	2004-05							
	iii	2005-06							
	iv	2006-07							
	v	2007-08							
	vi	2008-09							
	vii	2009-10							
	viii	2010-11							
	ix	पूर्ववर्ष की हानियों का योग							

x	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन							
xi	2011-12 (चालू वर्ष की हानि)							
xii	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि							

अनुसूची 10क धारा 10क के अधीन कटौती

धारा 10क के अधीन कटौती

1	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम सं0 1	1क		
	ख उपक्रम सं0 2	1ख		
	ग उपक्रम सं0 3	1ग		
	घ उपक्रम सं0 4	1घ		
	ङ उपक्रम सं0 5	1ङ		
	च योग (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ)		1च	
2	इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम सं0 1	2क		
	ख उपक्रम सं0 2	2ख		
	ग उपक्रम सं0 3	2ग		
	घ योग (2क+2ख+2ग)		2घ	
3	मुक्त व्यापार क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम सं0 1	3क		
	ख उपक्रम सं0 2	3ख		
	ग उपक्रम सं0 3	3ग		
	घ योग (3क+3ख+3ग)		3घ	
4	निर्यात प्रसंस्करण जाने में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम सं0 1	4क		
	ख उपक्रम सं0 2	4ख		
	ग उपक्रम सं0 3	4ग		
	घ योग (4क+4ख+4ग)		4घ	
5	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम सं0 1	5क		
	ख उपक्रम सं0 2	5ख		
	ग उपक्रम सं0 3	5ग		
	घ योग (5क+5ख+5ग)		5घ	
6	धारा 10क के अधीन कुल कटौती (1च+2घ+3घ+4घ+5घ)		6	

अनुसूची 10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती

	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौतियां			
	क उपक्रम सं0 1	क		
	ख उपक्रम सं0 2	ख		
	ग उपक्रम सं0 3	ग		
	घ योग (क+ख+ग)		घ	

अनुसूची 10ख धारा 10ख के अधीन कटौती

धारा 10ख के अधीन कटौती

	शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम सं0 1	क		
	ख उपक्रम सं0 2	ख		
	ग उपक्रम सं0 3	ग		
	घ उपक्रम सं0 4	घ		
	ङ उपक्रम सं0 5	ङ		
	च योग (क+ख+ग+घ+ङ)		च	

[illegible] धारा 10खक के अधीन कटौती

धारा 10खक के अधीन कटौती

	शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों की बाबत कटौती		
क	उपक्रम सं0 1	क	
ख	उपक्रम सं0 2	ख	
ग	उपक्रम सं0 3	ग	
घ	उपक्रम सं0 4	घ	
ङ	उपक्रम सं0 5	ङ	
च	योग (क+ख+ग+घ+ङ)	च	

धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए पात्र संदानों के ब्यौरे

संदानों के ब्यौरे

अ	100% कटौती के लिए पात्र संदान			
	आदाता का नाम और पता			संदान की रकम
	i		आi	
	ii		आii	
	iii		आiii	
	iv		आiv	
	v		अv	
	vi	योग	अvi	
आ	जहां आदाता का धारा 80छ(5)(vi)के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, वहां 50% कटौती के लिए पात्र संदान			
	आदाता का नाम और पता			संदान की रकम
	i		आi	
	ii		आii	
	iii		आiii	
	iv		आiv	
	v		आv	
	vi	योग	आvi	
इ	जहां आदाता का धारा 80छ(5)(vi)के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, वहां 50% कटौती के लिए पात्र संदान			
	आदाता का नाम और पता	आदाता का स्थायी लेखा सं0		संदान की रकम
	i		इi	
	ii		इii	
	iii		इiii	
	iv		इiv	
	v		इv	
	vi	योग	इvi	
ई	कुल संदान (अvi + आvi +इvi)		ई	

[illegible] 80 [illegible] धारा 80-झक के अधीन कटौतियां

धारा 80-झक के अधीन कटौतियां

क	धारा 80-झक(4)(i) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (अवसंरचना सुविधा)	क	
ख	धारा 80-झक(4)(ii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (दूरसंचार सेवाएं)	ख	
ग	धारा 80-झक(4)(iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन)	ग	
घ	धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ	
ङ	धारा 80-झक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80झक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ	
च	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क+ख+ग+घ+ङ)	च	

अनुसूची 80 झख धारा 80-झख के अधीन कटौतियां

धारा 80-झख के अधीन कटौतियां

क	धारा झख(3) में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम की बाबत उपक्रम की बाबत कटौती (लघु उद्योग)	क	
ख	जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा80झख(4))	ख	
ग	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80झख(4))	ग	
घ	औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80झख(5))	घ	
ङ	बहुविध थियेटर की दशा में कटौती (धारा80झख(7क))	ङ	
च	कन्वेशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा80झख(7ख))	च	
छ	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती (धारा80झख(8क))	छ	
ज	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा80झख(9))	ज	
झ	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(10))	झ	
ञ	प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11))	ञ	
ट	फल और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11क))	ट	
ठ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11क))	ठ	
ड	ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11ख))	ड	
ढ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क से ड का योग)	ढ	

अनुसूची-80 झग या 80-झड धारा 80-झग या धारा 80झड के अधीन कटौतियां

धारा 80-झग के अधीन कटौती

1	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	1	
2	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	2	
3	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	3	
4	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		
क	असम	4क	
ख	अरुणाचल प्रदेश	4ख	
ग	मणिपुर	4ग	
घ	मिजोरम	4घ	
ङ	मेघालय	4ङ	
च	नागालैंड	4च	
छ	त्रिपुरा	4छ	
ज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (4क से 4छ का योग)	4ज	
5	धारा 80झग या धारा 80झड के अधीन कुल कटौती (1+2+3+4ज)	5	

अनुसूची-6क अध्याय 6क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां

क	80छ		च	80झख *(अनुसूची 80झग का ढ)*	
ख	80छछक		छ	80झग/80झड (अनुसूची 80झग/80झड का 5)	
ग	80छछग		ज	80झघ/80ञञक	
घ	80झक *(अनुसूची 80झक का च)*		झ	80ठक	
ङ	80झकख		ञ	80त	
ट	अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (क से ञ का योग)				ट

अनुसूची एसआई विशेष दर झख से आयकर से प्रभार्य आय (धारा कोड और कर की दर के लिए कृपया अदेश सं0-9(iii) देखें)

विशेष दर	क्र.सं.	धारा कोड	☑	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii	क्र.सं.	धारा कोड	☑	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
	1	1क	☐	15			6		☐			
	2	22	☐	10			7		☐			
	3	21	☐	20			8		☐			
	4	5खख	☐	30			9		☐			
	5		☐				10		☐			
	11	योग (1ii से 10ii)										

अनुसूची छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)

छूट प्राप्त आय			
1	ब्याज आय	1	
2	लाभांश आय	2	
3	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर संदत्त किया गया है	3	
4	शुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अपवर्जित की जाने वाली आय से भिन्न)	4	
5	फर्म/एओपी आदि पर लाभांश	5	
6	अन्य	6	
7	योग (1+2+3+4+5+6)	7	

अनुसूची-आयकर अग्रिम कर और आयकर के स्वतः निर्धारण कर संदायों के ब्यौरे

कर संदाय	क्र.सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं0	रकम (रु0)
	i				
	ii				
	iii				

टिप्पण ▶ *भाग ख-टीटीआई के क्र0सं0 11क और 11घ में अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें ।*

अनुसूची स्रोत पर कर कटौती आय कर स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [कटौतीकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क के अनुसार]

अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम	कुल कटौती किया गया कर	(4) में से वह रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
टिप्पण		भाग ख-टीटीआई के 11(ख) में अनुसूची टीडीएस 1 और टीडीएस 2 के स्तंभ 7 का योग प्रविष्ट करें			

अनुसूची-टीसीएस स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहण द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]

आय के स्रोत पर संगृहीत कर	क्र. सं. (1)	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकांउट नंबर (2)	संग्रहणकर्ता का नाम (3)	कुल संग्रहित किया गया कर (4)	(4) में से वह रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है (5)
	i				
	ii				

टिप्पण :— भाग ख—टीटीआई के क्रम संख्या 11ग में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें ।

प्ररूप	आकावि -6	**भारतीय आयकर विवरणी** [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कंपनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (संलग्न अनुदेशों को भी देखें)	**निर्धारण वर्ष** 2011-12

भाग क-साधारण *साधारण*

व्यक्तिगत सूचना

नाम			स्थायी लेखा संख्यांक
क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें			
फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं0	परिसर/भवन/ग्राम का नाम		*निगमन की तारीख(दिन/मास/वर्ष)* / /
सड़क /मार्ग/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान		*यदि देशी कंपनी है (निशान लगाएं)* ☑ ☐
कस्बा/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड	यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी है तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 9 में यथापरिभाषित) ☐
कार्यालय की दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित		मोबाइल संख्या	आय-कर वार्ड/सर्किल

फाइल करने की प्रास्थिति

ई मेल पता

फाइल विवरणी (निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं0 7 देखें] ☐ देय तारीख से पूर्व - 139(1) ☐ देय तारीख के पश्चात् - 139(4) ☐ पुनरीक्षित विवरणी -139(5)

या सूचना के उत्तर में ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153क/153ग

यदि पुनरीक्षित है, तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें / /

आवासीय प्रास्थिति *(निशान लगाएं)* ☑ ☐ निवासी ☐ अनिवासी

अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है *(निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं

क्या निर्धारती के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाईल की जा रही है *(निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं

यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें

(क)	प्रतिनिधि का नाम
(ख)	प्रतिनिधि का पता
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक

संपरिक्षा जानकारी

क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं *(निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं

क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरिक्षा के लिए दायी हैं *(निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं

यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें

(क)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम
(ख)	*लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या*
(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)
(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं0)
(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख

क्या आप धारा 92ङ के अधीन कोई रिपोर्ट देने के लिए दायी हैं ? *(निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं

कार्यालय प्रयोग के लिए

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
रसीद संख्या

तारीख

प्राप्तकर्ता पदधारी की मुद्रा और हस्ताक्षर

धारक प्रास्थिति

कंपनी का स्वरूप (यदि धारक कंपनी है तो 1 लिखें, यदि समनुषंगी कंपनी है तो 2 लिखें), यदि दोनों हैं तो 3 लिखें, यदि कोई अन्य है तो 4 लिखें	☐
यदि समनुषंगी कंपनी है तो धारक कंपनी के नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख करें	
यदि धारक कंपनी है तो समनुषंगी कंपनी के नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख करें	

कारबार संगठन

समामेलक कंपनी की दशा में, समामेलित कंपनी का नाम लिखें	
समामेलित कंपनी की दशा में, समामेलक कंपनी का नाम लिखें	
अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी का नाम लिखें	
परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी का नाम लिखें	

प्रमुख व्यक्ति

प्रबंध निदेशकों, निदेशक सचिव और प्रधान अधिकारी, (अधिकारियों) की विशिष्टियां जो पूर्व वर्ष के दौरान पद धारित किए हुए पर थे

क्रम सं0	नाम	पद नाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक

उन व्यक्तियों की विशीष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय 10% से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे

क्रम सं0	नाम	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक

कंपनी का स्वरूप और

	कंपनी का स्वरूप		*(निशान लगाएं)* ☑
1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी है	☐ हां	☐ नहीं
2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी है	☐ हां	☐ नहीं
3	क्या आप ऐसी कंपनी है, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।	☐ हां	☐ नहीं

4	क्या आप बैककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैककारी कंपनी है	☐ हां	☐ नहीं
5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं	☐ हां	☐ नहीं
6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में राजस्ट्रीकृत कंपनी हैं (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)	☐ हां	☐ नहीं
7	क्या आप गैर सरकारी वित्तीय संस्थान की कंपनी हैं	☐ हां	☐ नहीं

कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें

क्र.सं.	कोड *[कृपया अनुदेश संख्या9 (ii) देखें]*	वर्णन
(i)		
(ii)		
(iii)		

[illegible] तुलन पत्र 31 मार्च, 2011 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

निधियों के स्रोत

1	शेयर धारक की निधि					
	क	शेयर पूंजी				
		i	प्राधिकृत	का		
		ii	पुरोधृत, अभिदत्त और संदत्त	काii		
		iii	शेयर उपयोजन धन	काiii		
		iv	कुल(काii + काiii)		काiv	
	ख	आरक्षिति और अधिशेष				
		i	पुर्नमूल्यांकन आरक्षिति	खा		
		ii	पूंजी आरक्षिति	खाii		
		iii	पूंजी मोचन आरक्षिति	खाiii		
		iv	प्रतिभूति प्रिमियम लेखा	खाiv		
		v	डिबेन्चर मोचन आरक्षिति	खv		
		vi	कानूनी आरक्षिति	खvi		
		vii	साधारण आरक्षिति	खvii		
		viii	लाभ और हानि लेखा	खviii		
		ix	कुल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi + खvii + खviii))		खाix	
	ग	कुल शेयर धारक निधि.(काiv + खाix)			1 ग	
2	ऋण निधि					
	क	प्रतिभूत ऋण				
		i	डिबेन्चर	का		
		ii	विदेशी करेन्सी ऋण	काii		
		iii	रुपए ऋण			
			क बैंकों से	iii क		
			ख अन्य से	iii ख		
			ग योग (iii क + iii ख)	iii ग		
		iv	योग (का + काii + iii ग)		काiv	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (जिनके अंतर्गत निक्षेप भी हैं)				

	i	दीर्घकालिक				
		क	बैंकों से	i क		
		ख	अन्य से	i ख		
		ग	कुल (i क +i ख)	i ग		
	ii	अल्पकालिक				
		क	बैंको से	ii क		
		ख	अन्य से	ii ख		
		ग	कुल (ii क +ii ख)	ii ग		
	iii	योग (i ग+ ii ग)			खiii	
ग	योग ऋण निधि (कiv + खiii)				2 ग	
3	आस्थगित कर दायित्व				3	
4	निधि के स्रोत (1 ग + 2 ग +3)				4	
1	स्थिर आस्ति					
क	सकल ब्लाक			1 क		
ख	अवक्षयण			1 ख		
ग	शुद्ध ब्लाक (क — ख)			1 ग		
घ	पूंजी कार्य में प्रगति			1 घ		
ङ	कुल (1 ग + 1 घ)				1 घ	
2	विनिधान					
क	दीर्घकालिक विनिधान					
	i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई		कi		
	ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई		कii		
	iii	कुल (कi + कii)			कiii	
ख	अल्पकालिक विनिधान					
	i	साधारण शेयर		खi		
	ii	अधिमानी शेयर		खii		
	iii	डिबेन्चर		खiii		
	iv	कुल (खi + खii + खiii)			biv	
ग	कुल विनिधान (कiii + खiv)				2c	
3	चालू आस्ति ऋण और अग्रिम					
a	चालू आस्तियां					
	i	सूचियां				
		क	भंडार, खपत योग्य और पैकिंग सामग्री	i क		
		ख	कच्चा माल	i ख		
		ग	प्रक्रियागत स्टाक	i ग		
		घ	तैयार माल/व्यवसाय किया गया माल	i घ		
		ङ	कुल (i क + i ख + i ग + i घ)			i ङ
	ii	विविध देनदार				
		क	छह मास से अधिक	ii क		
		ख	अन्य	ii ख		
		ग	कुल (ii क + ii ख)			ii ग
	iii	नकदी और बैंक अतिशेष				
		क	हाथ में नकदी	iii क		

		ख बैंक में अतिशेष	iii ख		
		ग कुल (iii क + iii ख)			iii ग
	iv	अन्य चालू आस्तियां			कiv
	v	कुल चालू आस्तियां (i ङ + ii ग + iii ग + कiv)			कv
ख	ऋण और अग्रिम				
	i	समनुषंगी कंपनियों को ऋण	खi		
	ii	नकद में या वस्तु में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त करने योग्य मूल्य के लिए	खii		
	iii	निक्षेप	खiii		
	iv	राजस्व प्राधिकरणों आदि के पास अतिशेष	खiv		
	v	कुल (खi + खii + खiii + खiv)			खv
ग	कुल (कv + खv)				3 ग
घ	चालू दायित्व और उपबंध				
	i	चालू दायित्व			
		क विविध लेनदार	i क		
		ख पट्टाकृत आस्तियों के लिए दायित्व	i ख		
		ग असंदत्त लाभांश	i ग		
		घ असंदत्त परिपक्व डिबेन्चर	i घ		
		ङ असंदत्त मांग राशि	i ङ		
		च उपरोक्त पर प्रोद्भूत ब्याज	i च		
		छ ऋण पर प्रोद्भूत किंतु शोध्य नहीं ब्याज	i छ		
		ज कुल (i क + i ख + i ग + i घ + i ङ + i च + i छ)			i ज
	ii	उपबंध			
		क आयकर के लिए उपबंध	ii क		
		ख अनुषंगी लाभ कर के लिए उपबंध	ii ख		
		ग धन कर के लिए उपबंध	ii ग		
		घ छुट्टी भुनाने/अधिवार्षिकी/उपदान के लिए उपबंध	ii घ		
		ङ अन्य उपबंध	ii ङ		
		च प्रस्तावित लाभांश	ii च		
		छ लाभांश पर कर	ii ज		
		ज योग (ii क + ii ख + ii ग + ii घ + ii ङ + ii च + ii छ)			ii ज
	iii	कुल (i ज + ii ज)			घiii
	ङ	शुद्ध चालू आस्ति (3ग – घiii)			3 ङ
4	क	प्रकीर्ण व्यय, जो अपलिखित या समायोजित नहीं किया गया	4 क		
	ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख		
	ग	लाभ हानि लेखा / संचित अतिशेष	4 ग		
	घ	कुल (4 क + 4 ख + 4ग)			4घ
5	कुल, निधियों का उपयोजन (1 ङ + 2 ग + 3 ङ+4घ)				5

[redacted] वर्ष 2010-11 के लिए लाभ हानि लेखा
(उस दशा में जहां लेखा की नियमित बहियां का अनुरक्षण किया जाता है मद 1 से 50 भरे, अन्यथा मद 51 भरें)

लाभ हानि लेखा	1	कारबार या वृत्ति के विक्रय/सकल प्राप्तियां *(शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर यदि कोई हो)*	1
	2	विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर	

	क	संघ उत्पाद शुल्क	2क			
	ख	सेवा कर	2ख			
	ग	मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	2ग			
	घ	कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ			
	ङ	प्राप्त या प्राप्य शुल्कों, करों और उपकर का योग (2क+2ख+2ग+2घ)			2ङ	
3	अन्य आय					
	क	किराया	3क			
	ख	कमीशन	3ख			
	ग	लाभांश	3ग			
	घ	ब्याज	3घ			
	ङ	विक्रय या नियत आस्तियों पर लाभ	3ङ			
	च	ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य प्रतिभूतियां हैं	3च			
	छ	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3छ			
	ज	करेंसी उतार-चढ़ाव के मद्दे लाभ	3ज			
	झ	कृषि आय	3झ			
	ञ	कोई अन्य आय	3ञ			
	ट	अन्य आय का योग [(क) से (ञ)]			3ट	
4	बंद स्टाक				4	
5	लाभ-हानि लेखे में जमा का योग (1+2ङ+3ट+4)				5	
6	आरंभिक स्टाक				6	
7	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)				7	
8	क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संदत्त या संदेय शुल्क और कर					
	क	सीमा शुल्क	8क			
	ख	प्रति शुल्क	8ख			
	ग	विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग			
	घ	संघ उत्पाद शुल्क	8घ			
	ङ	सेवा कर	8ङ			
	च	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	8च			
	छ	कोई अन्य कर, संदत्त या संदेय	8छ			
	ज	योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ङ+8च+8छ)			8ज	
9	भाड़ा				9	
10	भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग				10	
11	विद्युत और ईंधन				11	
12	किराया				12	
13	भवन की मरम्मत				13	
14	मशीनरी की मरम्मत				14	
15	कर्मचारियों को प्रतिकर					
	क	वेतन और मजदूरी	15क			
	ख	बोनस	15ख			
	ग	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	15ग			
	घ	छुट्टी नकदीकरण	15घ			
	ङ	छुट्टी यात्रा फायदा	15ङ			
	च	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च			
	छ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ			

लाभ-हानि लेखे से विकलन

	ज	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज			
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ			
	ञ	कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है	15ञ			
	ट	संदत्त और संदेय अनुषंगी फायदा कर	15ट			
	ठ	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ +15च+15छ+15ज+15झ+15ञ+15ट)			15ठ	
16	बीमा					
	क	चिकित्सा बीमा	16क			
	ख	जीवन बीमा	16ख			
	ग	प्रमुख व्यक्ति का बीमा	16ग			
	घ	कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि सहित अन्य बीमा	16घ			
	ङ	बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)			16ङ	
17	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय				17	
18	मनोरंजन				18	
19	सत्कार				19	
20	सम्मेलन				20	
21	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)				21	
22	विज्ञापन				22	
23	कमीशन				23	
24	होटल, बोर्डिंग और वासा				24	
25	विदेश यात्रा सहित यात्रा व्यय				25	
26	वाहन खर्च				26	
27	टेलीफोन व्यय				27	
28	अतिथि गृह व्यय				28	
29	क्लब व्यय				29	
30	उत्सव समारोह व्यय				30	
31	छात्रवृत्ति				31	
32	दान				32	
33	संदान				33	
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर)					
	क	संघ उत्पाद शुल्क	34क			
	ख	सेवा कर	34ख			
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	34ग			
	घ	उपकर	34घ			
	ङ	एसटीटी सहित कोई अन्य रेट, कर, शुल्क या उपकर	34ङ			
	च	संदत्त या संदेय कुल रेट और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)			34च	
35	लेखा परीक्षा ¶ÉÖãBÉE				35	
36	अन्य व्यय				36	
37	डूबंत ऋण				37	
38	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध				38	
39	अन्य उपबंध				39	
40	ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [5 -(6+7+8छ +9से 14+15ठ +16क +17से 33+34च+35 से 39)]				40	
41	ब्याज				41	
42	अवक्षयण				42	

	43	कर पूर्व लाभ (39-40-41)	43	
कर और विनियोग के लिए उपबंध	44	चालू कर के लिए उपबंध	44	
	45	अनुषंगी लाभ कर के लिए उपबंध	45	
	46	आस्थिगत कर के लिए उपबंध	46	
	47	कर पश्चात् लाभ (43 – 44 – 45– 46)	47	
	48	पूर्व वर्ष से अग्रनीत अतिशेष	48	
	49	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (48+ 48)	49	
	50	विनियोग		
	क	आरक्षिति और अविशेष में अंतरण	50 क	
	ख	प्रस्तावित लाभांश / अंतरिम लाभांश	50 ख	
	ग	लाभांश पर कर/पूर्व वर्षों के लिए लाभांश पर कर	50 ग	
	घ	कोई अन्य विनियोग	50 घ	
	ङ	कुल (50 क+ 50 ख + 50 ग + 50 घ)	50 ङ	
	51	तुलन पत्र पर लिया गया अतिशेष (49 – 50ङ)	51	

भाग क: अन्य जानकारी अन्य जानकारी *(धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)*

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) ☑	☐ वाणिज्य ☐ नकद
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) ☑	☐ हां ☐ नहीं
	3	धारा 145 के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति में विचलन के कारण, यदि कोई हो, लाभ पर प्रभाव	3	
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति		
	क	कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
	ग	क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति मे कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) ☑ ☐ हां ☐ नहीं		☐
	घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ	
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-		
	क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क	
	ख	सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर का प्रोफार्मा जमा, वापसी, प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, जहां ऐसा जमा, वापसी या प्रतिदायों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय माना गया है	5ख	
	ग	पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
	च	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च	
	6	धारा 36 के अधीने अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकम-		
	क	स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मदे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी		
	घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम	6घ	
	ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ	

	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6च			
	छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम	6छ			
	ज	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज			
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6झ			
	ञ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ			
	ट	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	6ट			
	ठ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम	6ठ			
	ड	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय	6ड			
	ढ	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ			
	ण	कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण			
	त	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)			6त	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें					
	क	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय	7क			
	ख	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय	7ख			
	ग	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ग			
	घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7घ			
	ङ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7ङ			
	च	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च			
	छ	ऐसी आय के संबंध में व्यय की रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनती	7छ			
	ज	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ज			
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)			7झ	
8	अ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
		क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(iक) और धारा 40 (क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक		
		JÉ	अनुषंगी लाभ कर के रूप में संदत्त रकम	अख		
		MÉ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अग		
		PÉ	धनकर के रूप में संदत्त रकम	अघ		
		R	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अङ		
		SÉ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अच		
		U	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अच का योग)	अछ		
					8अVÉ	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम			8आ	
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें					
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क			
	ख	धारा 40(3) के अधीन एकाउन्ट पेई चेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से भिन्न संदत्त रकम-100% अननुज्ञेय	9ख			
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध	9ग			

	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि	9घ		
	R	कोई अन्य अननुज्ञेय	9R		
	SÉ	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम		9 SÉ	
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य ÉÊ´Éत्तीय निMÉàÉ या राज्य अÉèदयोMÉक ÉÊ´Éनिधान निMÉàÉ से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10छ	
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य ÉÊ´Éत्तीय निMÉàÉ या राज्य अÉèद्योMÉक ÉÊ´Éनिधान निMÉàÉ से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11च का योग)		11छ	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	कोई अन्य कर	12घ		
	ङ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12घ का योग)		12ङ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें			13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम			14	
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15	

	मात्रात्मक ब्यौरे (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक जिसमें धारा 44कख के अधीन दायी नहीं है)			
(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में			
1	आरंभिक स्टाक		1	

	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3	
	4	अंतिम स्टाक		4	
	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो		5	
(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में				
	6	कच्चा माल			
		क	आरंभिक स्टाक	6 क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6 ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6 ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6 घ	
		ङ	अंतिम स्टाक	6 ङ	
		च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च	
		छ	प्राप्त का प्रतिशत	6 छ	
		ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज	
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद			
		क	आरंभिक स्टाक	7 क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7 ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7 घ	
		ङ	अंतिम स्टाक	7 ङ	
		च	कमी/आधिक्य यदि कोई हो	7 च	

[redacted] कुल आय की संगणना

1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4ग)(शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)			1	
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सटटे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि				
	i	सटटे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क33) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2i		
	ii	सटटे का कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क37) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2ii		
	iii	कुल (2i+2ii)		2iii	
3	पूंजी अभिलाभ				
	क	अल्पकालिक			
	i	अल्पकालिक (111क के अधीन) (अनुसूची सीजी का ए7)	3 कi		
	ii	अल्पकालिक (अन्य) (अनुसूची सीजी का ए8)	3 कii		
	iii	कुल अल्पकालिक (3क i+ 3कii) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	3 कiii		
	ख	दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी का ख6) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	3 ख		
	ग	कुल पूंजी अभिलाभ (3 कiii + 3 ख)		3 ग	
4	अन्य स्रोतों से आय				
	क	घुड़दौड़ के स्वामित्व से भिन्न स्रोतों से (ओएस अनुसूची का 3) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	4 क		
	ख	घुड़दौड़ के स्वामित्व से (ओएस अनुसूची का 4ग) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	4 ख		
	ग	कुल (क+ ख)		4 ग	
5	कुल (1 + 2ग + 3ग + 4ग)			5	

6	5 के लिए गुजरे के चालू वर्ष की हानियां (सीवाईएलए अनुसूची का कुल 2वीआई,3वीआई तथा 4वीआई)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेष (5—6)	7	
8	7के विरुद्ध गुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत हानि लाए(बीएफएलए अनुसूची का कुल 2वीआई,3वीआई तथा 4वीआई)	8	
9	सकल कुल आय (7—8) (अनुसूची बीएफएलए का 5 vii भी)	9	
10	अध्याय 6-क के अधीन कटौतियां (अनुसूची 6क का ठ)	10	
11	कुल आय (9—10)	11	
12	शुद्ध कृषि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 4)	12	
13	"सकल आय" (11 + 12)	13	
14	चालू वर्ष की हानिया जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xi) का योग	14	
15	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 6)	15	

भाग ख कुल आय पर कर **कुल आय पर कर दायित्व की संगणना**

कर दायित्व की संगणना

1	धारा 15 जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 7)			1	
2	भाभ ख—ti की मद 11 कुल आय पर संदेय कर				
	क	मामूली दरों पर कर	2 क		
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई का 11)	2 ख		
	ग	भाग ख—टीआई (2क + ख)की मद 11 में कुल आय पर संदेय कर		2 ग	
3	सकल संदेय कर (2ग और 1 की उच्चतर प्रविष्ट करें)			3	
4	पूर्ववर्ष में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2ग 1 से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का साथ)			4	
5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर (3—4)			5	
6	5 पर अधिभार			6	
7	(5+6) पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर			7	
8	सकल कर दायित्व (5+6+7)			8	
9	कर अनुतोष				
	क	धारा 90	9क		
	ख	धारा 91	9ख		
	ग	कुल (9क + 9ख)		9ग	
10	शुद्ध कर दायित्व (8 —9ग)			10	
11	संदेय ब्याज				
	क	विवरणी देने में चूक के लिए (धारा 234क)	11क		
	ख	अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए (धारा 234ख)	11ख		
	ग	अग्रिम कर आस्थगन के लिए	11ग		
	घ	कुल संदेय ब्याज (11 क+11 ख+11 ग)		11घ	
12	सकल दायित्व (10 + 11 घ)			12	

देय कर

13	संदत्त कर				
	क	अग्रिम कर (अनुसूची आईटी से)	13 क		
	ख	टीडीएस (अनुसूची टीडीएस 2 का स्तंभ 8)	13 ख		
	ग	टीसीएस (अनुसूची टीसीएस 2 का स्तंभ 8)	13 ग		
	घ	स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची आईटी से)	13 घ		
	ङ	कुल संदत्त कर (13क+13ख+13ग + 13घ)		13ङ	
14	संदेय रकम (यदि 12 13ङ से अधिक है तो शून्य प्रविष्ट करें)			14	
15	प्रतिदाय (यदि 13ङ 12 से अधिक है) अनुसूची बीए बैंक लेखा ब्यौरे दें			15	

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूं स्थायी लेखा संख्या,.....का धारक हूं,सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें वर्णित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2011-2012 से सुसंगत पूर्व वर्ष के कर के लिए प्रभार्य अनुषंगी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं । मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं ———की हैसियत में विवरणी तैयार कर रहा हूं और मैं इस विवरणी को तैयार करने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं ।

स्थान..... तारीख..... यहां हस्ताक्षर करें

	कृपया बैंक खाते के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें
1	*बैंक खाता सं0 प्रविष्ट करें (सभी मामलों में अनिवार्य है)*
2	क्या आप अपना प्रतिदाय ☐ चैक या ☐ अपने बैंक खाते में सीधे जमा करके चाहते हैं ? (जैसा लागू हो सही निशान लगाएं ☑)
3	अपने बैंक खाते के अतिरिक्त ब्यौरे दें
	एमआईसीआर कोड ; खाते का प्रकार (जैसा लागू हो सही निशान लगाएं ☑) ☐ बचत ☐ चालू

	गृह संपत्ति से आय का ब्यौरा			
1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
	(☑ *निशान लगाएं, यदि किराए पर दिया गया है*) ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)	
	क वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)		1 क	
	ख किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती है	1 ख		
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1 ग		
	घ कुल (1 ख + 1 ग)	1 घ		
	ङ शेष (1 क – 1 घ)		1 ङ	
	च 1ङ का 30%	1 च		
	छ उधार ली गई संपत्ति पर सदेय ब्याज	1 छ		
	ज कुल (1 च + 1 छ)		1 ज	
	झ गृह संपत्ति से आय 1 (1 ङ – 1 ज)		1 झ	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
	☑ *निशान लगाएं, यदि किराए पर दिया गया*) ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)	
	क वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)		2 क	
	ख किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती	2 ख		
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2 ग		
	घ कुल (2 ख + 2 ग)	2 घ		
	ङ शेष (2 क – 2 घ)		2 ङ	
	च 2ङ का 30%	2 च		
	छ उधार ली गई पूंजी पर सदेय ब्याज	2 छ		
	ज कुल (2 च + 2 छ)		2 ज	
	झ गृह संपत्ति 2 से आय (2 ङ –2 ज)		2 झ	

गृह संपत्ति

3	संपत्ति 3 का पता	नगर/ शहर		राज्य	पिन कोड
	☑ *निशान लगाएं यदि किराये पर दिया गया* ☐	किराएदार का नाम		किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)	
	क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)			3 क
	ख	किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती	3 ख		
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	3 ग		
	घ	कुल (3 ख + 3 ग)	3 घ		
	ङ	शेष (3 क – 3 घ)			3 ङ
	च	3 ङ का 30%	3 च		
	छ	उधार ली गई पूंजी पर सदेय ब्याज	3 छ		
	ज	कुल (3 च + 3 छ)			3 ज
	झ	गृह संपत्ति 3 से आय (3 ङ –3ज)			3 झ
4		"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय			
	क	धारा 25क / कक के अधीन वसूल किया गया किराया			4 क
	ख	30% कटौती के पश्चात् धारा 25क/कक के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया किराया			4 ख
	ग	कुल (4 क +4ख + 1 झ + 2 झ + 3 झ)			4 ग

अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति			
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 43 या मद 52घ)			1
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में वीजी चिह्न प्रविष्ट करें)	2क		
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में वीजी चिह्न प्रविष्ट करें)	2ख		
	3	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रशीदें	3		
	4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कङ/44कच/44खख/44खखक/44खखख/अध्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4		
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है			
		क फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क		
		एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख		
		कोई अन्य छूट प्राप्त आय	5ग		
		कुल आय पर छूट	5घ		
	6	बकाया (1– 2क – 2ख – 3 – 4 – 5घ)			6
	7	आय के अन्य शीर्षों के विचाराधीन	7		
	8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है	8		
	9	कुल (7 + 8)	9		
	10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)			10
	11	9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण			11
	12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण			
		i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)*	12i		
		ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वय अपनी*	12ii		
		iii कुल (12i + 12ii)			12iii
	13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)			13
	14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6त)	14		
	15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7ज)	15		

16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कछ)	16			
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित र कम (भाग ओ आई का 9छे)	17			
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं	18			
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19			
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20			
21	धारा 33कख/ 33कखक/ 33कखख/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21			
22	धारा 28 से 44घ के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	22			
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (फर्मो से जिसमे कंपनी	23			
24	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)			24	
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25			
26	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटौती *(अनुसूची इएसआर का मद vii (4)* यदि रकम लाभ और हानि लेखा की विकलित रकम से कम हैं तो यह मद 23 में जाएगी)	26			
27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम	27			
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग णझ का 8ख)	28			
29	धारा 35 कMÉ के अधीन कटौती	29			
	क लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	29 क			
	JÉ कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	29J			
	MÉ लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम सेअधिक अनुज्ञेय	29			
30	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम (धारा 35कघ के अधीन कटौती समेत)	30			
31	कुल (25 + 26+27+28+29MÉ + 30)			31	
32	आय (13+ 24 – 31)			32	
33	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -				
	i धारा 44कघ	33i			
	ii धारा 44कङ	33ii			
	iii धारा 44कच	33iii			
	iv धारा 44ख	33iv			
	v धारा 44ख्रख	33v			
	vi धारा 44खखक	33vi			
	vii धारा 44खखख	33vii			
	viii धारा 44PÉ	33 viii			
	ix धारा 44PÉक	33ix			
	x अध्याय-XII-छ	33x			
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33 xi			
	xii कुल(33i से 33xi)			33x	
34	धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटौती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33)			34	
35	निम्नलिखित के अधीन कटौतियां-				
	i 10क *(अनुसूची 10क का 6)*	35i			
	ii 10कक *(अनुसूची 10कक का घ)*	35ii			
	iii 10ख *(अनुसूची 10ख का च)*	35iii			
	iv 10खक *(अनुसूची 10खक का च)*	35iv			

		v योग (35i + 35ii+ 35iii+ 35iv)	35v	
	36	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34– 35v)	36	
	37	नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 36 में है)	अ 37	
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
	38	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	38	
	39	धारा 28 to 44घ के अनुसार परिवर्धन	39	
	40	धारा 28 to 44घ के अनुसार कटौतियां	40	
	41	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)	आ 41	
इ	'लाभ और हानि' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ 37 + आ 41)			
टिप्पण ▶	*कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें*			

अनुसूची डीपीएम संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी						
	2	दर (%)	15	30	40	50	60	80	100
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को लिखित मूल्य							
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली							
	6	वह रकम जिस पर पूर्ण दर पर अवक्षयण अनुज्ञात है (3+ 4+ 5) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है)							
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिकल या अन्य सुव्यस्थीकरण							
	9	वह रकम जिस पर अवक्षयण आधे दर पर अनुज्ञात है (7–8) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है)							
	10	पूर्ण दर पर 6 का अवक्षयण							
	11	आधी दर पर 9 का अवक्षयण							
	12	अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोइ हो, 4 पर							
	13	अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोइ हो, 7पर							
	14	कुल अवक्षयण * (10 + 11 + 12 + 13)							
	15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
	16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+ 8–3-4-7-15) (शून्य प्रविष्ट करें यदि ब्लाक नहीं रहता है)							
	17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अपलिखित मूल्य (6+ 9-14) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है)							

अनुसूची अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

1	आस्ति-समूह	भवन			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
2	रेट (%)	5	10	100	10	25	20

		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
6	रकम जिस पर अवक्षयण पूर्ण दर पर अनुज्ञात है (3+4—5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
9	रकम जिस पर अवक्षयण आधी दर पर अनुज्ञात है 7-8(शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण						
11	9 पर आधी दर पर अवक्षयण						
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)						
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय						
16	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि* (5 + 8 -3-4 -7 -15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लाक नहीं रहता)						
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

अनुसूची—डीईपी आस्ति पर अवक्षयण सारांश

आस्ति पर अवक्षयण का सार

1	संयंत्र और मशीनरी			
	क 15 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम—14i)	1 क		
	ख 30 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम—14ii)	1 ख		
	ग 40 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम—14iii)	1 ग		
	घ 50 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम—14iv)	1 घ		
	ङ 60 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम—14v)	1 ङ		
	च 80 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम—14vi)	1 च		
	छ 100 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम—14vii)	1 छ		
	ज संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+ 1ख+ 1ग+ 1घ+ 1ङ+ 1च + छ)			1 ज
2	भवन			
	क 5 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-14i)	2 क		
	ख 10 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-14ii)	2 ख		

	ग	100 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-14iii)	2 ग	
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (2क + 2ख + 2ग)	2 घ	
3		फर्नीचर और फिटिंग्स (अनुसूची डीओए - 14iv)	3	
4		अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए - 14v)	4	
5		पोत (अनुसूची डीओए - 14vi)	5	
6		कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)	6	

अनुसूची-डीसीजी अवक्षयी आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1		संयंत्र और मशीनरी		
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16i)	1क	
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16ii)	1ख	
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16iii)	1ग	
	घ	50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16iv)	1घ	
	ङ	60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16v)	1ङ	
	च	80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16vi)	1च	
	छ	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार स मूह (अनुसूची डीपीएम - 16vii)	1छ	
	ज	योग (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)		1ज
2		भवन		
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16i)	2क	
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16ii)	2ख	
	ग	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16iii)	2ग	
	घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ
3		फर्नीचर और फिटिंग्स (अनुसूची डीओए - 16iv)		3
4		अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए - 16v)		4
5		पोत (अनुसूची डीओए - 16vi)		5
6		योग (1ज+2घ+3+4+5)		6

अनुसूची-डीएआर धारा 35 के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अअ)			
vi	35(2अआ)			
vii	योग			

				पूंजी अभिलाभ			
अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ						
	1	मंदी में विक्रय से					
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क			
		ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख			
		ग	मंदी में विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग			
		घ	धारा 54ख / 54 घ के अधीन कटौतियां	1घ			
		ङ	मंदी में विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)			1ङ	
	2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियों से, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है				2	
	3	अन्य आस्तियों से					
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
			i अर्जन की लागत	खi			
			ii सुधार की लागत	खii			
			iii अंतरण पर व्यय	खiii			
			iv योग (ख i +ख ii +ख ii)	खiv			
		ग	अतिशेष (3क-खiv)	3ग			
		घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी की जाने वाली हानि, यदि कोई (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	3घ			
		ङ	धारा 54ख/54घ/54छ/54छक के अधीन कटौती	3ङ			
		च	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3ग-3घ-3ङ)			3च	
	4	अवक्षयी आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ				4	
	5	धारा 54ख/54घ/54छ/54छक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमें				5	
	6	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ङ+2+3ङ+4+5)				6	
	7	6 में सम्मिलित किया गया धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ				7	
	8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (6-7)				8	
आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ						
	1	मंदी में विक्रय से					
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क			
		ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख			
		ग	मंदी में विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग			
		घ	धारा 54ख/54घ के अधीन छूट	1घ			
		ङ	मंदी में विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)			1ङ	
	2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियां, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है				2	
	3	ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है					
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
			i सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi			
			ii सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii			
			iii अंतरण पर व्यय	खiii			
			iv योग (खi + खii + खiii)	खiv			
		ग	अतिशेष (3क-खiv)	3ग			
		घ	धारा 54ख/54घ/54ङग/54छ/54छक के अधीन कटौती	3घ			
		ङ	शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)			3ङ	
	4	ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है					
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
			i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi			
			ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii			
			iii अंतरण पर व्यय	खiii			
			iv योग (खi + खii + खiii)	खiv			
		ग	अतिशेष (4क-खiv)	4ग			
		घ	धारा 54ख/54घ/ 54ङग/54छ/54छक के अधीन छूट	4घ			

		ङ शुद्ध अतिशेष	4ङ	
	5	धारा 50ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमें	5	
	6	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +2+3ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +4ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +5)	आ6	
इ		"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ6+आ6) (यदि हानि है तो आ6 कुछ नहीं के रूप में प्रविष्ट करें)	इ	
ई		पूंजी अभिलाभ के प्रोद्भवन/प्राप्ति के बारे में जानकारी		

	तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 तक (ii)	16/9 से 15/12 तक (iii)	16/12 से 15/3 तक (iii)	16/3 से 31/3 (iv)
1	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची मे कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद बी4सी से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों					
2.	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है (सूचीकरण के साथ)- एसआई अनुसूची मे कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद (बी6-बी4सी) से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों					
3	111क के अधीन अल्पकालिक- अनुसूची एसआई में कोड 1क है, कर दर 15 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद क7से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों					
4.	अल्पकालिक अन्य- सामान्य दर पर कराधेय ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद क8से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों					

टिप्पण *कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें*

[redacted] अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत

1	दौड़ के घोड़े (घोड़ों) के स्वामित्व से होने वाली आय से भिन्न आय					
	क	लाभांश, सकल	1क			
	ख	ब्याज, सकल	1ख			
	ग	मशीनरी, संयंत्र, भवन के किराए से आय	1ग			
	घ	अन्य, सकल	1घ			
	ङ	योग (1क+1ख+1ग+1घ)			1ङ	
	च	धारा 57 के अधीन कटौतियां :–				
		i व्यय/कटौतियां	चi			
		ii अवक्षयण	चii			
		iii योग	चiii			
	छ	अतिशेष (1ङ-चiii)			1छ	
2	लाटरी, वर्ग पहेली, पहेली दौड़ों आदि से जीत				2	
3	अन्य स्रोतों से आय (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1छ + 2) (यदि हानि है तो 1छ के लिए शून्य लिखें)				3	
4	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से आय					
	क	प्राप्तियां	4 क			
	ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	4 ख			
	ग	अतिशेष (2 क – 2 ख)			4 ग	
5	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3 + 4 ग) (यदि हानि है तो 4ग को शून्य लिखें और 4ग की हानि के अंक को अनुसूची सीएफएल में ले)				5	

अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

	क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न)कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ या विनिर्दिष्ट कारबार से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष बची आय
				कुल हानि (अनुसूची एचपी का 4ग)	कुल हानि (अनुसूची बीपी का 31)	कुल हानि (अनुसूची ओएस का 3)	
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
अग्रनीत की गई हानि का समायोजन		समायोजित की जाने वाली हानि					
	i	गृह संपत्ति					
	ii	कारबार (जिसके अन्तर्गत सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से हुए लाभ भी है)					
	iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
	iv	दीर्घकालिक अभिलाभ					
	v	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ सहित किंतु लाटरी से जीत को छोड़कर)					
	vi	मुजरा की गई कुल हानि					
	vii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

अनुसूची बीएफएलए पूर्व वर्षों की अग्रनीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय का विवरण

	क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की हानियों का यदि कोई हो, मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे (अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार)	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रनीत अवक्षयण का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
			1	2	3	4	5
अग्रनीत की गई हानि का समायोजन	i	गृह संपत्ति					
	ii	कारबार (जिसके अन्तर्गत सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से हुए लाभ भी है)					
	iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
	iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
	v	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ किंतु लाटरी से जीत को छोड़कर)					
	vi	अग्रनीत हानियों के मुजरे का योग					
	vii	योग का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (i5 + ii5 + iii5 + iv5+v5+vi5)					

अनुसूची सीएफएल

	क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (ता/ मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टेबाजी कारबार से हानि से भिन्न कारबार हानि	सट्टेबाजी कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य स्रोतों से हानि (घुड़दौड़ से भिन्न)
हानियों का अग्रनयन	i	2003-04							
	ii	2004-05							
	iii	2005-06							
	iv	2006-07							
	v	2007-08							
	vi	2008-09							
	vii	2009-10							
	viii	2010-11							
	ix	पूर्व वर्षों की हानियों का योग							
	x	अनुसूची बीएफएलए में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन							
	xi	2011-12 (चालू वर्ष की हानियां)							
	xii	भावी वर्षों में अग्रनीत की गई कुल हानि							

[redacted] 10 क धारा 10 क के अधीन कटौती

धारा 10क के अधीन कटौतियां	1	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
		क उपक्रम संख्या 1	1क		
		ख उपक्रम संख्या.2	1ख		
		ग उपक्रम संख्या.3	1ग		
		घ उपक्रम संख्या.4	1घ		
		ङ उपक्रम संख्या .5	1ङ		
		च योग (1 क+ 1 ख+ 1 ग + 1 घ + 1 ङ)		1	
	2	इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
		क उपक्रम संख्या 1	2क		
		ख उपक्रम संख्या.2	2ख		
		ग उपक्रम संख्या.3	2ग		
		घ योग (2 क + 2 ख+ 2 ग)		2 घ	
	3	मुक्त व्यापार जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
		क उपक्रम संख्या 1	3क		
		ख उपक्रम संख्या.2	3ख		
		ग उपक्रम संख्या.3	3ग		
		घ योग (3 क + 3 ख+ 3 ग)		3घ	
	4	निर्यात प्रसंस्करण जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
		क उपक्रम संख्या 1	4क		
		ख उपक्रम संख्या.2	4ख		
		ग उपक्रम संख्या.3	4ग		
		घ योग (4 क + 4 ख+ 4 ग)		4घ	
	5	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
		क उपक्रम संख्या 1	5क		
		ख उपक्रम संख्या.2	5ख		
		ग उपक्रम संख्या.3	5ग		
		घ योग (5 क + 5ख+ 5 ग)		5घ	
	6	(1च + 2 घ + 3घ + 4घ + 5घ) का योग		6	

1238GI/11-12

अनुसूची 10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती				
	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
	क	उपक्रम संख्या 1	क	
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख	
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग	
	घ	योग (क + ख+ ग)	घ	

अनुसूची 10ख धारा 10ख के अधीन कटौती

धारा 10ख के अधीन कटौती				
	शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों की बाबत कटौती			
	क	उपक्रम संख्या 1	क	
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख	
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग	
	घ	उपक्रम संख्या.4	घ	
	ङ	उपक्रम संख्या.5	ङ	
	च	योग (क + ख+ ग + घ + ङ)	च	

अनुसूची 80छ धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए पात्र संदानों के ब्यौरे

संदानों के ब्यौरे					
	अ	शतप्रतिशत कटौती के लिए पात्र संदान			
		संदानकर्ता का नाम और पता			संदान की रकम
		i		अi	
		ii		अii	
		iii		अiii	
		iv		अiv	
		v		अv	
		vi	योग	अvi	
	आ	जहां संदानकर्ता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, 50% कटौती के लिए पात्र संदान			
		संदानकर्ता का नाम और पता			संदान की रकम
		i		आi	
		ii		आii	
		iii		आiii	
		iv		आiv	
		v		आv	
		vi	योग	आvi	
	इ	जहां संदानकर्ता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, 50% कटौती के लिए पात्र संदान			
		संदानकर्ता का नाम और पता	संदानकर्ता का स्थायी लेखा संख्या		संदान की रकम
		i		इi	
		ii		इii	
		iii		इiii	
		iv		इiv	
		v		इv	
		vi	कुल	इvi	
			कुल संदान (अvi+ आvi+ ईvi)	ई	

अनुसूची 80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियां

धारा 80झक के अधीन कटौतियां					
	क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क		
	ख	धारा 80झक (4) (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख		
	ग	धारा 80झक (4) (iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोनों में)	ग		
	घ	धारा 80झक (4) (iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत)	घ		
	ङ	धारा 80झक (4) (v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन संयत्र का पुनरूज्जीवन और धारा 80 झक (4)(vi) में निर्दिष्ट किसी उपकरण के लाभों के संबंध में कटौती [पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क]	ङ		
	च	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख + ग + घ)			च

अनुसूची-80- झख		धारा 80झख के अधीन कटौतियां			
धारा 80झख के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झख (3) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (लघु उद्योग)	क		
	ख	जम्मू-कशमीर में अवस्थितऔद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (4))	ख		
	ग	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (4))	ग		
	घ	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (5))	घ		
	ङ	बहुविध थियटरों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (7 क))	ङ		
	च	कन्वेंशन केन्द्रों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (7ख))	च		
	छ	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौतियां (धारा 80झख (8 क))	छ		
	ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में, जो वाणिज्यिक उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ करता है की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (9))	ज		
	झ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो आवसीय परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80झख (10))	झ		
	ञ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए है (धारा 80झख (11))	ञ		
	ट	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80झख (11))	ट		
	ठ	खाद्यान्नों की उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की बाबत कटौती (धारा 80झख (11 क))	ठ		
	ड	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80झख (11 ख))	ड		
	ढ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियां (क से ड का योग)			ढ

अनुसूची-80- झग या 80झड.		धारा 80झग या 80झड. के अधीन कटौतियां			
धारा 80 झग के अधीन कटौतियां	1	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां		1	
	2	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां		2	
	3	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां		3	
	4	पूर्वोत्तर में में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां			
	क	असम	4क		
	ख	अरूणाचल प्रदेश	4ख		

	ग	मणिपुर	4ग	
	घ	मिजोरम	4घ	
	ङ	मेघालय	4ङ	
	च	नागालैंड	4च	
	छ	त्रिपुरा	4छ	
	ज	पूर्वोत्तर में अवस्थितउपक्रमों के लिए कटौतियों का कुल योग (4क से 4छ का योग)	4 ज	
5		धारा 80झग के अधीन कुल कटौतियां (1 + 2 + 3 + 4 ज)	5	

अनुसूची-VI- क अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां

क	80छ		छ	80झख (अनुसूची 80 झख का ढ)	
ख	80छछक		ज	80 झग/झड. (अनुसूची 80 झग/80 झड. का 5)	
ग	80छछख		झ	80 झघ/ञञकक	
घ	80छछग		ञ	80ञञकक	
ङ	80झक(अनुसूची 80 झक का च)		ट	80 ढक	
च	80 झकख				
प	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (क से ट का कुल योग)				ढ

अनुसूची एसआई विशेष दर पर आय आय-कर से झक (कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश सं. 9(iii))देखें)

विशेष दर

क्रम सं.	धारा कोड	☑	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii	क्रम सं.	धारा कोड	☑	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii
1	1क	☐	15			6		☐			
2	22	☐	10			7		☐			
3	21	☐	20			8		☐			
4	5खख	☐	30			9		☐			
5		☐				10		☐			
11										योग (1ii से 10 ii)	

अनुसूची : ईआई छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय)

छूट प्राप्त आय

1	ब्याज से आय	1	
2	लाभांश से आय	2	
3	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है	3	
4	शुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अपवर्जित की जाने वाली आय से भिन्न)	4	
5	फर्म के लाभ में शेयर/एओपी इत्यादि	5	
6	अन्य	6	
7	योग (1+2+3+4+5+6)	7	

अनुसूची एमएटी धारा 115जख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना

नोट

1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 और 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 1 लिखें, यदि नहीं तो 2 लिखें	☐

2	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षणय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो 1 लिखें यदि नहीं तो 2 लिखें)				☐
3	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पूर्व लाभ भाग क पी एंड एल की मद 42 प्रविष्ट करें)			3	
4	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)				
	क संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न)	4क			
	ख आरक्षिति (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	4ख			
	ग अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	4ग			
	घ सम-पुषंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	4घ			
	ङ संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	4ङ			
	च धारा 10, 10कक, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	4च			
	छ आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	4छ			
	ज अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	4ज			
	झ कुल कटौतियां (4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च+4छ + 4ज)			4झ	
5	कटौतियां				
	क आरक्षिति से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	5क			
	ख धारा 10, 10कक, 11 और 12 के अधीन आय धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5ख			
	ग पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	5ग			
	घ अग्रनीत की गई हानि या अवक्षयण जो भी कम हो	5घ			
	ङ रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है ।	5ङ			
	च अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों सहित)	5च			
	छ कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ + 5च)			5छ	
6	धारा 115झख के अधीन कुल लाभ (3+ 4i – 5छ)			6	
7	धारा 115झख के अधीन संदेय कर [(6) का 10%]			7	

अनुसूची एमएटी [redacted] धारा 115जकक के अधीन जमा कर की संगणना

एमएटी प्रत्यय

1	निर्धारण वर्ष में 2010-11 में धारा 115जख के अधीन कर	1	
2	निर्धारण वर्ष में 2010-11 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2	
3	पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में जमा के लिए उपलब्ध निर्धारण वर्ष 2010-11 के बाबत एमएटी दायित्व की रकम [(1-2 लिखे यदि 2 से बड़ा है अन्यथा शून्य लिखे)] निर्धारण वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए एमएटी प्रत्यय को अग्रेणित किया जाए	3	
4	निर्धारण वर्ष में 2011-12 में धारा 115जख के अधीन कर	4	
5	निर्धारण वर्ष में 2011-12 में में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	5	
6	कर की रकम जिसके विरुद्ध में 3 की बाबत जमा रकम उपलब्ध है और (5-4) प्रविष्ट करें यदि 5 4 से अधिक है, अथवा शून्य प्रविष्ट करें)	6	
7	धारा 115जकक के अधीन जमा कर की रकम [3 और 6 का निम्नतर प्रविष्ट करें]	7	
8	निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 की बाबत अतिशेष एमएटी दायित्व जो पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के प्रत्यय के लिए उपलब्ध है (प्रविष्ट करें (3-7) यदि 3, 6 से अधिक अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें	8	

9	निर्धारण वर्ष 2011-12 की बाबत एमएटी शेष जो पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के प्रत्यय के लिए उपलब्ध है (प्रविष्ट करें (3-7) यदि 4, 5 से अधिक अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें	9	

अनुसूची डीडीटीपी देशी कंपनियों को वितरित लाभ पर कर और ब्याज की संगणना

लाभांश वितरण कर

1	देशी कंपनियों के किसी लाभांश लाभ के वितरण या संदाय की घोषणा की तारीख			1	
2	पूर्व वर्ष के दौरान वितरित या संदत्त लाभांश की दरें				
	क अंतरिम (दर %)	2क			
	ख अंतिम (दर %)	2ख			
3	घोषित, वितरित या संदत्त लाभांश की रकम			3	
4	घोषित लाभांश पर संदेय कर वितरित या संदत्त				
	क धारा 115थ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय कर	4क			
	ख 4क पर अधिभार	4ख			
	ग शिक्षा उपकर (4क + 4ख)	4ग			
	घ कुल संदेय कर (4क + 4ख + 4ग)			4घ	
5	धारा 115त के अधीन संदेय ब्याज			5	
6	अतिरिक्त आयकर + संदेय ब्याज (4घ+ 5)			6	
7	संदत्त कर और ब्याज *(अनुसूची 5 डीडीटीपी का योग)*			7	
8	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (6-7)			8	

अनुसूची आईटी अग्रिम कर और आयकर के स्वतनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

कर संदाय

क्र.सं	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चलान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
i				
ii				
iii				
iv				
v				
vi				

टिप्पण—भाग ख—टीटीआई की क्रम सं0 11क और 11ख में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रविष्ट करें ।

अनुसूची-टीडीएस आय के स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे

अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती

क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती लेखा संख्या (टीएएन)	कटौतीकर्ता का नाम	कटौती किया गया कुल कर	(4) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				

टिप्पण भाग ख -टीटीआई की क्रम सं0 15ख के स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें ।

अनुसूची- टीसीएस स्रोत पर संग्रहित किए गए कर के ब्यौरे [संग्राहक (संग्रहकों) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]

स्रोत पर

क्र. सं.	संग्रहक का कर कटौती और कर संग्रहण लेखा संख्या	संग्राहक का नाम	संग्रहित की गई कुल रकम	वर्ष के दौरान (4) में से अनुज्ञात की गई रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)

	i				
	ii				
टिप्पण	*भाग ख टीटीआई के क्रम सं.15ग में स्तंभ (7) योग प्रविष्ट करें*				

अनुसूची डीडीटीपी **वितरित लाभ पर कर के संदाय के ब्यौरे**

कर संदाय	क्र.सं	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं0	रकम (रु0)
	i					
	ii					
	iii					
	iv					
	v					
		अनुसूची डीडीटी के 7 में v का योग प्रविष्ट करें				

प्ररूप	आ.क.वि-7	**भारतीय आयकर विवरणी**	निर्धारण वर्ष
		[धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139 (4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों के लिए जिनमें कंपनियां भी सम्मिलित हैं । (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए) (संलग्न अनुदेश भी देखिए)	**2011-12**

भाग-क-सा. **साधारण**

1. स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)

2. नाम (जैसा सृजन/गठन/निगमन/विरचना विलेख में वर्णित है)

3. पता
(फ्लैट सं0/ द्वार/मकान सं0,/
परिसर, मार्ग, अवस्थान)

	पिन		टेलीफोन		फैक्स, यदि कोई हो	

4. गठन की तारीख (दिन-मास-वर्ष) - - 5. प्रास्थिति (कृपया अनुदेश देखिए)

6.	ई- मेल आई डी:	

7.	क्या पते में कोई परिवर्तन हुआ है?	हाँ		नहीं	

8.	रजिस्ट्रीकरण की संख्या और तारीख धारा 12क/12कक के अधीन										और			-			-				

9.	यदि धारा 10 के अधीन छूट का दावा किया हो :	
	(i) खंड और उल्लिखित करें	
	(ii) अधिसूचना/अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	- -
	(iii) विधिमान्यता की अवधि	- - से - -

10. क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर से कर के लिए दायी हैं? हाँ ☐ नहीं ☐

11. वार्ड /सर्किल/रेंज

12. निर्धारण वर्ष ☐☐☐☐ - ☐☐

13. निवासीय प्रास्थिति *(कृपया अनुदेश देखिए)*

14. यदि अधिकारिता में परिवर्तन है तो पुराना वार्ड / सर्किल/ रेंज बताएं

15. वह धारा जिसके अधीन यह विवरणी फाइल की जा रही है *(कृपया अनुदेश देखिए)* आय की विवरणी ☐☐ सीमांत फायदों की विवरणी ☐☐

16. विवरणी मूल है ☐ या संशोधित ☐
यदि संशोधित है तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख । ☐☐☐☐☐ और ☐☐ - ☐☐☐☐

17.	क्या यह आपकी पहली विवरणी है?	हाँ		नहीं	

केवल कार्यालय उपयोग के लिए	केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए पावती सं0. तारीख .... प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

भाग-ख

(क) कुल आय की संगणना

18.	गृह संपत्ति से आय [अनुसूची- (च-1क)]	000
19.	(i) कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची- (च-1ख)]	000
	(ii) उपरोक्त(i) में सम्मिलित प्रतिभूति संव्यवहार कर को प्रभार्य संव्यवहारों से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची- (ख-26(ii)]	000
20.	पूंजी अभिलाभ	
	(क) अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन) [(अनुसूची च-1ग(i)]	000
	(ख) अल्पकालिक (अन्य) [(अनुसूची च-1ग(ii)]	000
	(ग) दीर्घकालिक [(अनुसूची च-1ग(iii)]	000
21.	अन्य स्रोतों से आय [(अनुसूची च-1घ)]	000
22.	धारा 11 के अधीन समझी गई आय [(अनुसूची च-4(iv)]	000
23.	कुल [(18)+(19)+(20)+(21)+(22)]	000
24.	घटाएं : आय पर छूट [(अनुसूची च 3(ix)]	000
25.	धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय [(अनुसूची -ख (34)]	000
26.	कुल आय [(23)-(24)+(25)]	000

शब्दों में

(ख) कुल आय पर करों की विवरणी

27.	शुद्ध कृषि आय [(अनुसूची च-9]	000
28.	कुल आय पर कर [(अनुसूची छ-6]	000
29.	अधिभार, यदि लागू हो [(अनुसूची छ-7]	000
30.	शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है [(अनुसूची छ-9]	000
31	कर +अधिभार + शिक्षा उपकर [(अनुसूची छ-10]	000

32.	स्रोत पर काटा गया/संगृहीत कर [(अनुसूची छ-14ख]	000	
33.	संदत्त अग्रिम कर [(अनुसूची छ-14क]	000	
34.	संदत्त स्वतः निर्धारण कर [(अनुसूची छ-14ग]	000	
35.	संदेय अतिशेष कर[(31)-(32)-(33)-(34)]	000	
36.	धारा 234क/234ख/234ग के अधीन संदेय ब्याज [(अनुसूची छ-11]	000	
37.	संदेय कर और ब्याज [(अनुसूची छ-16]	000	
38.	शोध्य प्रतिदाय, यदि कोई हो [(अनुसूची छ-17]	000	

संलग्न दस्तावेजों/विवरणियों की संख्या

	वर्णन	अंकों में	शब्दों में		वर्णन	अंकों में	शब्दों में
क.	स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र			च.	धारा 11(1) के अधीन विकल्पों के प्रयोग के लिए आवेदन		
ख.	प्ररूप सं0 10ख में संपरीक्षा रिपोर्ट			छ.	प्ररूप 10घख/10घग		
ग.	प्ररूप सं0 10खख में संपरीक्षा रिपोर्ट			ज.	आय/व्यय लेखा और तुलन पत्र		
घ.	धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट			झ.	अन्य		
ङ.	धारा 11(2) के अधीन विकल्पों के प्रयोग के लिए प्ररूप सं0 10						

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूं स्थायी लेखा संख्या,.....का धारक हूं,सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि इस विवरणी और इसके साथ संलग्न अनुसूचियों, विवरणों, आदि में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य रूप से कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2011-12 से सुसंगत पूर्व वर्ष के आय-कर के लिए प्रभार्य आय/अनुषंगी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं । मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं..... की हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूं और मैं इस विवरणी को देने के लिए और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं ।

तारीख.....

स्थान.....

.....

नाम और हस्ताक्षर

अनुसूची क : गृह संपत्ति से आय

एक से अधिक गृह संपत्ति की दशा में, प्रत्येक संपत्ति से आय पृथक पन्ने पर (विवरणी में संलग्न किया जाए) संगणित की जाए और मद सं0 16 के सामने संकलित अंक वर्णित किए जाएं

1. पन्नों की संख्या [000] [ ] (एक से अधिक संपत्ति की दशा में) पन्ना सं0 [000] [ ]

2. संपत्ति का पता

(फ्लैट सं0/ द्वार/मकान सं0,/ परिसर, मार्ग, अवस्थान/ग्राम/ नगर/जिला, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, क्रमानुसार)

पिन

3. ऊपर दर्शित संपत्ति का विवरण दें क्या वह

[000] स्वयं के दखल में है [ ] या किराए पर है [ ] या अदखलकृत है [ ] (यथा लागू पर टिक लगाएं)

4. विनिर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में) [000]

अनुलग्न भूमि का क्षेत्र (वर्गमीटर में) [000]

किराया योग्य वार्षिक मूल्य [000]

5. वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त योग्य वार्षिक किराया (जो भी उच्चतर हो) [000]

6 घटाएं : धारा 23 के अधीन दावाकृत कटौती

(क) स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त वास्तविक कर

(ख) अप्राप्त किराया

(ग) .....

7. उपरोक्त 6 का योग [000]

8. अतिशेष [(5)-(7)] [000]

9. घटाएं : धारा 24 के अधीन दावाकृत कटौतियां

(क) वार्षिक मूल्य का 30% [000]

(ख) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज [000]

10. उपरोक्त 9 का योग [000]

11. अतिशेष [(8)-(10)] 000

12. धारा 25क/और या 25कक के अधीन वर्ष में प्राप्त किया गया अप्राप्त किराया 000

13. (क) धारा 25ख के अधीन वर्ष में प्राप्त किराए के बकाए की रकम 000

(ख) घटाएं : धारा 25ख के अधीन अनुज्ञेय कटौती (प्राप्त बकाए किराए का 30%) 000

14. धारा 25ख के अधीन प्रभार्य आय [13(क)-13(ख)] 000

15. अतिशेष [(11)+(12)+(14)] 000

16. 15 का योग (एक से अधिक संपत्ति की दशा में, सभी पन्नों का योग दीजिए) 000

17. "गृह संपत्ति से आय" (16) शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय 000

अनुसूची ख : कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ

(I) साधारण

1. कारबार या वृत्ति की प्रकृति : विनिर्माण 000 व्यापार 000

विनिर्माण-सह-व्यापार 000 सेवाएं 000 वृत्ति 000 अन्य 000

2. शाखाओं की संख्या पूरे पता/पते के साथ सूची संलग्न करें

.....

.....

3. लेखा पद्धति 000 वाणिज्यिक नकद

4. क्या लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ? हां नहीं

5. यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दीजिए

.....

.....

6. स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति.....

7. क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ? हां नहीं

8. यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दीजिए.....

9. क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे का अनुरक्षण करने के लिए दायी हैं? हां ☐ नहीं ☐

10. क्या आप धारा 44ख(क)/(ख) के अधीन कर संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? हां ☐ नहीं ☐

11. क्या आप धारा 44 कघ/44कङ के साथ पठित धारा 44कख(ग) के अधीन कर संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? हां ☐ नहीं ☐

12. यदि 'मद 10 या मद 11' का उत्तर हां है तो क्या आपने विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखे संपरीक्षित कराए हैं ? हां ☐ नहीं ☐

13. यदि हां, तो क्या संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? हां ☐ नहीं ☐

यदि हां, तो रसीद सं0 .....और उसको फाइल करने की तारीख दीजिए (प्रति भी संलग्न करें)

(II) सट्टे वाले कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

(यदि आप एक से अधिक कारबार या वृत्ति रखते हैं और पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित करते हैं तो प्रत्येक ऐसे कारबार या वृत्ति के लिए संगणना देते हुए पृथक पन्ना (पन्ने) संलग्न करें और विभिन्न मदों के सामने संकलित अंक दर्शाएं)

14. समेकित लाभ और हानि लेखे के अनुसार शुद्ध लाभ या हानि 000

15. जोड़ें : लेखे की पद्धति और/या स्टॉक के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण समायोजन 000

धारा 44कघ/44कङ के अंतर्गत आय रखने वाले निर्धारितियों के लिए :–

16 (i) जोड़ें/घटाएं- कारबार(कारबारों) की लाभ/हानि, जिसमें (जिनमें) नीचे दर्शायी गई धारा के अधीन मद 14 में, यदि उपरोक्त किसी मद 9, 11, 12 या 13 का उत्तर 'नहीं' है, सम्मिलित है ।

(क). धारा 44कघ के लिए 000

(ख). धारा 44कङ के लिए 000

योग 000

(ii) यदि आप धारा 44कघ में वर्णित कारबार में लगे थे :

(क). सकल प्राप्तियां 000

(ख). सकल प्राप्ति की 8% की दर से शुद्ध लाभ 000

(ग). जोड़ें : उपरोक्त (i)(क) और (ii)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो 000

(iii) यदि आप दस माल वाहनों से अनधिक के स्वामी थे और धारा 44कङ में वर्णित ऐसे वाहनों के चलाने, भाड़े या पट्टे पर लेने के कारबार में लगे थे :

	यानों/वाहनों की सं0	महीनों की सं0 जिसके दौरान वे स्वामित्व में थे	धारा 44कङ के अधीन समझा गया लाभ
(क) भारी माल यान			
(ख) अन्य माल वाहन			
		योग	

(ग). जोड़ें : उपरोक्त (i)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो और धारा 44कङ के अधीन उपरोक्त समझे गए लाभ के रूप में अवधारित रकम 000

17. घटाएं- मद 14 में सम्मिलित निम्नलिखित के कारण छूट प्राप्त आय की रकम :

(i) धारा 10(2क) के अधीन छूट प्राप्त फर्म (फर्मों) से आय का अंश 000

(ii) एओपी/ बीओआई से आय का अंश 000

(iii) कर से छूट प्राप्त कोई अन्य आय (धारा विनिर्दिष्ट करें) 000

18. क्या धारा 10क/10ख/10ग लागू है ? हां ☐ नहीं ☐

यदि हां, तो क्या आपने धारा 10क(8)/10ख(8)/10ग(6) के अधीन विहित घोषणा का फाइल किया जाना चयनित किया है ? हां ☐ नहीं ☐

यदि नहीं, तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें

धारा	वर्ष सं0	कुल आय में दावा की गई कटौती योग्य रकम/सम्मिलित न की जाने वाली रकम

घटाएं : उपरोक्त मद 18 के अनुसार रकम

19. जोड़ें : ऐसी आय जो धारा 28(ii) से 28(vi) में विनिर्दिष्ट की गई हैं, किन्तु मद 14 मे सम्मिलित नहीं हैं

20. जोड़ें : समझी जाने वाली ऐसी आय जो धारा 33कख, 33कखक, 35कखख, आदि के अधीन मद 14 में सम्मिलित नहीं है

(i) धारा..... रकम.....

(ii) धारा..... रकम.....

(iii) धारा..... रकम.....

(iv) धारा..... रकम.....

योग 000

21. घटाएं : धारा 35क, 35कख, 35कखख, आदि के अधीन भत्ता

धारा	वर्ष सं0	किश्त	लेखे में विकलित रकम	अनुज्ञेय रकम

योग 000

22. जोड़ें : धारा 44ख, 44खख और 44खखक के अधीन सम्मिलित होने योग्य लाभ के कारण समायोजन 000

23. जोड़ें/घटाएं : धारा 28 से 44घक के अनुसार समायोजन, यदि आवश्यक हो

धारा के अधीन	रकम
.....	.....
.....	.....
.....	.....

योग 000

24. जोड़ें/घटाएं : लेखा पुस्तकों में और अधिनियम के अनुसार अनुज्ञेय विकलित चालू अवक्षयण के कारण समायोजन 000

25. जोड़ें/घटाएं : धारा 35(1)(iv) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान व्ययों के कारण समायोजन 000

26. (i) सट्टे के कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ 000

(ii) उपरोक्त (i) में सम्मिलित प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य संव्यवहारों से लाभ और अभिलाभ 000

(III) सट्टे के कारबार से आय की संगणना

27. सट्टे से लाभ/हानि 000

28. जोड़ें/घटाएं : शुद्ध कानूनी समायोजन 000

29. सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ 000

30. घटाएं : अग्रनीत सट्टा हानि, यदि कोई हो 000

31. सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ और अभिलाभ 000

32. लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [26(i)+(31)] 599
(मद 31 में ऋणात्मक अंक पर विचार न किया जाए)

(IV) धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना

33. उपक्रम के कारबार लेखे में यथादर्शित आय [निर्देश धारा 11(4)] 000

34. धारा 11(4)(32)-(33) के अधीन कर प्रभार्य आय 000

अनुसूची ग : पूंजी अभिलाभ

एक से अधिक अल्पकालिक/दीर्घकालिक आस्ति की दशा में पृथक पन्ने विवरणी के साथ प्रयुक्त और संलग्न किए जा सकेंगे । संकलित अंक मद सं0 12 के सामने दर्शाए जा सकेंगे ।

	क. अल्पकालिक आस्ति		ख. दीर्घकालिक आस्ति	
1. पन्नों की संख्या	000	(केवल एक से अधिक आस्ति की दशा में)	000	
2. अंतरित की गई आस्ति की विशिष्टियां	000		000	
3. अर्जन की तारीख (दिन-मास-वर्ष)	000		0000	
4. अंतरण की तारीख (दिन-मास-वर्ष)	000		0000	
5. अंतरण की रीति	000		000	
6. प्रोद्भूत या प्राप्त पूर्ण मूल्य प्रतिफल	000		000	
7. धारा 48 के अधीन कटौतियां				
(i) अर्जन की लागत	000		000	
(ii) अभिवृद्धि की लागत	000		000	
(iii) अंतरण पर व्यय	0000		000	
8. उपरोक्त 7 का योग	000		000	
9. अतिशेष [(6)-(8)]	000		000	
10. धारा 11(1क) के अधीन छूट	000		000	

11. अतिशेष [(9)-(10)] (कृपया धारा 111क/अन्य के अधीन अल्पकालिक विनिर्दिष्ट करें) 000 000

12. 11 का योग (एक से अधिक अल्प/दीर्घकालिक आस्ति की दशा में, सभी पन्नों का योग दीजिए) 000 000

13.अवक्षयण के योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (धारा 50) 000

14."पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय

क. अल्पकालिक [(12)+(13)] 000 ख.दीर्घकालिक(12) 000

ग. धारा 111क के अधीन अल्पकालिक, जो 14क में सम्मिलित है 000 घ. अल्पकालिक (अन्य) (14क-14ग) 000

अनुसूची घ : अन्य स्रोतों से आय

1.घुडदौड़ (घुडदौड़ों) के स्वामित्व से भिन्न आय :—

(क) लाभांशों 000

(ख) ब्याज 000

(ग) मशीनरी, संयंत्रों, भवनों आदि से किराया संबंधी आय 000

(घ) स्वैच्छिक अभिदायों/दानों जिनमें समग्र के लिए दान सम्मिलित हैं 000

(ङ) अन्य 000

2. उपरोक्त 1 का योग 000

3. धारा 57 के अधीन कटौतियां

(क) अवक्षयण

(ख) .....

(ग) .....

4. उपरोक्त 3 का योग 000

5. अतिशेष [(2)-(4)] 000

6. (क) घुडदौड़ों के घोड़े रखने और उनके रखरखाव से आय 000

(ख) धारा 57 के अधीन व्यय/कटौतियां 000

7. दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व या उनके रखरखाव से अतिशेष आय [6(क)-6(ख)] 000

8. लाटरियों, पहेलियों, घुड़दौड़ों, आदि से जीतना (धारा 115खख देखिए) 000

9. "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(5)+(7)+(8)] 000

[मद 7 में ऋणात्मक अंक, यदि कोई हो तो यहां पर विचार न किया जाए]

अनुसूची ङ : धारा 71 के अधीन चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के विवरण

यह अनुसूची केवल तभी भरें यदि किसी अन्य स्रोत से आय के विरुद्ध मुजरे के लिए निम्नलिखित स्रोतों में से किसी से हानि होती है; अन्यथा, लागू नहीं लिखें

1. गृह संपत्ति से उद्भूत हानि की रकम [मद क-17 देखिए)] 0000

2. कारबार से हानि की रकम (सट्टे से हानि को छोड़कर) [मद ख-26 देखिए] 0000

3. अन्य स्रोतों से हानि की रकम (घुड़दौड़ों से हानि को छोड़कर) [मद घ-5 देखिए] 0000

क्रम सं0	आय का शीर्ष/स्रोत	पूर्व वर्ष की आय	मुजरा की गई पूर्व वर्ष की गृह संपत्ति की हानि*	मुजरा की गई पूर्व वर्ष की कारबार की हानि (सट्टे से हानि को छोड़कर)*	मुजरा की गई पूर्व वर्ष की अन्य स्रोतों की हानि (घुडदौड़ों के घोड़ों के स्वामित्व से हानि से भिन्न)*	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	समायोजित की जाने वाले हानि					
1.	गृह संपत्ति					
2.	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टा लाभ भी है)					
3.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
4.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
5.	अन्य स्रोत (जिसके					

	अंतर्गत घुड़दौड़ों के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ भी है किन्तु लॉटरी से जीत को छोड़कर)					

स्तंभ (i) के अधीन पंक्ति (1) से (5) में वर्णित आय के शीर्षों/स्रोतों से होने वाली केवल धनात्मक आयों को लिखें 0000

*स्तंभ (ii) (iii) और (iv) के अधीन आय के शीर्ष/स्रोत के सामने मुजरा की गई हानि की समुचित रकम लिखें ।

अनुसूची च- कुल आय का विवरण

1. क. गृह संपत्ति से आय [अनुसूची क-17 या ङ.1.(v)] 000

ख. लेखा पुस्तकों के अनुसार- कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची ख-33 या ङ..2.(v)] 000

ग. पूंजी अभिलाभ

(i) अल्पकालिक, धारा 111क के अधीन [(अनुसूची ग.14ग] 000

(ii) अल्पकालिक (अन्य) [(अनुसूची ग.14घ] 000

(iii) दीर्घकालिक [(अनुसूची ग.14ख] 000

घ. अन्य स्रोतों से आय [(अनुसूची घ.9 या ङ..5.(v)] 000

2. कुल [(क) से (घ)] ,अर्थात् सकल आय 000

3. घटाएं :

(i). पूर्ववर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में अनुप्रयुक्त रकम 000

(ii) पूर्ववर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में अनुप्रयुक्त की गई समझी जाने वाली रकम- धारा 11(1) के स्पष्टीकरण का खंड (2) 000

(iii) पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए लागू/संचित या पृथक की गई / अंतिम रूप से पृथक की गई रकम, धारा 11(1)(क) के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए केवल पूर्णतः या भागतः न्यास में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न हुई आय के 15% से अधिक नहीं हो 000

(iv). धारा 11(1) (ग) के अधीन छूट के लिए पात्र रकम 000

(v). धारा 11(1) (घ) के अधीन छूट के लिए पात्र रकम 000

(vi). विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचित या पृथक की गई उपरोक्त (iii) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त कोई रकम, यदि धारा 11(2) में सभी शर्तें पूरी करती हो — 000

(vii) धारा 10 ( ) के अधीन छूट का दावा करने वाली आय, खंड/उपखंड विनिर्दिष्ट करें

(.....) — 000

(.....). — 000

(viii) राजनैतिक दल के मामले में धारा 13क के अधीन दावा की गई/छूट प्राप्त आय (कृपया अनुसूची ठक भरें)

(ix)कुल [(i) से (vii)]

4. जोड़ें :

(i) धारा 11(1ख) के अधीन प्रभार्य आय — 000

(ii) धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय — 000

(iii) आय, जिसके संबंध में धारा 13 के उपबंधों के कारण धारा 11 के अधीन कोई छूट उपलब्ध नहीं है — 000

(iv) धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय — 000

(v) कुल [(i)+(ii)+(iii)+(iv)] — 000

5. जोड़ें : धारा 11(4) के अधीन कर प्रभार्य कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ से आय [अनुसूची ख,34] — 000

6. सकल कुल आय [(2)-(3)+(4)±(5)] — 000

7. अध्याय 6क के अधीन कटौती — 000

8. कुल आय [(6)-(7)] — 000

9. दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय — 000

10. ऐसी आय जो उपरोक्त मद 8 के अंतर्गत विशेष दरों/ अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य है

आय की प्रकृति	वह धारा जिसके अधीन प्रभार्य है	आय की रकम	कर की दर	कर की रकम

11. सामान्य दरों पर प्रभार्य कुल आय — 000

12. विशेष दरों पर प्रभार्य कुल आय 000

13. धारा 115खखग के अधीन अनाम दानों का 30 प्रतिशत कर 000

14. अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य कुल आय 000

अनुसूची छ- कुल आय पर करों की विवरणी

1. कुल आय पर कर

(क) विशेष दरों पर 000

(ख) सामान्य दरों पर 000

(ग) अधिकतम सीमांत दर पर 000

(घ) धारा 115खखग के अधीन 000

3. धारा 115अख के अधीन संदेय योग्य कर (अनुसूची अ-6) 000

4. 2 और 3 का उच्चतर 000

5. पूर्ववर्ती वर्षों में संदेय कर को धारा 115 अकक के अधीन जमा (अनुसूची अक-6) 000

6. धारा 115अकक के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर [(4)-(5)] 000

7. अधिभार [उपरोक्त (6) पर] 000

8. कर +अधिभार [(6)+ (7)] 000

9. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा [उपरोक्त (8) पर] 000

10. कर +अधिभार + शिक्षा उपकर [(8)+(9)] 000

11. निम्नलिखित के लिए ब्याज जोड़ें :

(क) धारा 234क के अधीन विवरणी विलंब से फाइल करने पर 000

(ख) धारा 234ख के अधीन अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम पर 000

(ग) धारा 234ग के अधीन अग्रिम कर के आस्थगन पर 000

12. उपरोक्त मद 11 का योग 000

13. संदेय कर और ब्याज का योग [(10)+(12)] 000

14. पूर्व संदत्त कर

क. अग्रिम कर

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं0	रकम (रु0)

किस्त की तारीख	15/9 तक	16/9 से 15/12	16/12 से 15/03	16/03 से 31/03	योग
	000	000	000	000	000
रकम					

ख. स्रोत पर काटा गया/संगृहीत कर :[प्रमाणपत्र संलग्न करें] :

(क).....

(ख).....

(ग).....

[(क) से (ग)] का योग..... 000

ग. स्वतःनिर्धारण पर कर

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं0	रकम (रु0)

संदत्त कुल स्वतः निर्धारण कर का योग	000	
घ. अन्य पूर्व संदत्त कर, यदि कोई हों (कृपया विनिर्दिष्ट और प्रमाण संलग्न करें)	000	
15. योग [14 (क)+14 (ख)+14 (ग)+14 (घ)]	000	
16. संदेय कर और ब्याज [(13)-(15)]	000	
17. देय प्रतिदाय, यदि कोई हो [(15)-(13)]	000	

अनुसूची ज- साधारण जानकारी

1. पते में परिवर्तन की दशा में, कृपया नया पता दें (टिक लगाएं) :

क. निवास ☐ या ख. कार्यालय ☐

फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं0

परिसरों/भवन/ग्राम

मार्ग/स्ट्रीट/लेन/डाकघर

क्षेत्र/परिक्षेत्र/तालुक/उपखंड

कस्बा/शहर/जिला

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

पिन

2. बैंक खाते की विशिष्टियां (प्रतिदाय मामलों में आज्ञापक)

बैंक का नाम	एमआईसीआर कोड (9 अंकीय)	बैंक शाखा का पता	खाते का प्रकार (बचत/चालू)	खाता संख्या	ईसीएस (हां/नहीं)

3. दावाकृत छूट प्राप्त आय :

आय की प्रकृति	रकम (रु0 में)	दावे के लिए कारण

4. यदि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकघ) या (iiiकङ) या (vi) या (viक) के अधीन छूट का दावा किया जाता है तो संकलित वार्षिक प्राप्तियों की रकम का विवरण दीजिए

5. पूर्त या धार्मिक या शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्यों/क्रियाकलापों की प्रकृति का विवरण दीजिए

6. क्या आप धन-कर के लिए निर्धारिती हैं ?

हां ☐ नहीं ☐

(यदि हां, तो इस विवरणी के साथ धन-कर विवरणी फाइल करें)

अनुसूची झ-धारा 11(2) के अर्थान्तर्गत पिछले ग्यारह वर्ष में अर्थात् चालू निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष और दस पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष में संचित/पृथक की गई रकमों का ब्यौरा

संचयन का वर्ष	संचित रकम	क्या धारा 11(5) के उपबंधों के अनुसार विनिधान की गई है	संचयन का प्रयोजन	वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकमें	उपयोजन के लिए उपलब्ध अतिशेष रकम	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थांतर्गत समझी गई आय की रकम

अनुसूची ञ- धारा 115ञख के अधीन खाता लाभ

1. पूर्व सुसंगत वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में यथादर्शित शुद्ध लाभ-धारा 115ञख(2) 000

2. समायोजन (यदि कोई हो)-धारा 115ञख(2)के पहले और दूसरे परंतुक द्वारा 000
3. समायोजन -धारा 115ञख(2) के स्पष्टीकरण द्वारा 000

मद की प्रकृति	जोड़ें	घटाएं

4. कुल समायोजन [(2)+(3)] 000

5. अतिशेष खाता लाभ [(1)+(4)] 000

6. खाता लाभ का 15% 000

अनुसूची ञक : धारा 115ञकक के अधीन जमा कर

क्रम सं.	मद	निर्धारण वर्ष 2010-11	निर्धारण वर्ष 2011-12
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	धारा 115ञख के अधीन कर		
2.	अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर		
3.	115ञख के अधीन अधिक कर		
		[1(iii)-2(iii) यदि 1(iii) 2(iii) से अधिक है + एवाई + 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए प्रत्यय एमएटी अग्रनीत किया जाए = 3 (v)]	[1(iv)-2(iv) यदि 1(iv) 2(iv) से अधिक है]
4.	अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिक कर		
			[2(iv)-1(iv) यदि 2(iv) 1(iv) से अधिक है]
5.	धारा 115ञकक के अधीन जमा कर (3(iii) और 4(viii) से अन्यून)		

अनुसूची ट- न्यास या संस्था की सभी निधियों के, जो पूर्ववर्ष के अंतिम दिन थी, विनिधान को दर्शाते हुए विवरणी

भाग क- धारा 11(5) के अधीन किए गए विनिधान/निक्षेपों के ब्यौरे (पृथक पन्ने पर दिए जा सकेंगे यदि जगह समुचित नहीं है)

भाग ख- पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान [उस संबंध में जिसमें धारा 13(3) में किसी सारवान हित को रखने वाले व्यक्ति निर्दिष्ट हैं]

क्र0सं0	संबद्ध का नाम और पता	जहां संबद्ध, कोई कंपनी है, तो शेयरों की सं0 और वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ 4 की रकम पूर्ववर्ष के

					दौरान संबद्ध की पूंजी का 5 प्रतिशत से अधिक है- हां/नहीं लिखें
1	2	3	4	5	6
		योग			

भाग ग- अन्य विनिधान, जैसे पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के अंतिम दिन थे

क्र0सं0	संबद्ध का नाम और पता	जहां संबद्ध, कोई कंपनी है, तो धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान की सं0 और अभिहित मूल्य
1	2	3	4

अनुसूची ठ - संस्था के न्यास के कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों)/न्यासी(न्यासियों)/प्रबंधक(प्रबंधकों),आदि के संबंध में विशिष्टियों की विवरणी

1. कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों) का(के) नाम और पता (पते), यदि जीवित है(हैं)

2. वह तारीख जिसको न्यास सृजित किया गया था या संस्था स्थापित की गई थी या कंपनी निगमित की गई थी

3. पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के दौरान उस(उन) व्यक्ति (व्यक्तियों) का(के) नाम जो न्यासी/प्रबंधक था (थे)

4. उस व्यक्ति का (उन व्यक्तियों के) नाम जिसने/जिन्होंने धारा 13(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में सारवान अभिदाय किया है।

5. नातेदार का (नातेदारों के), कर्ता का (कर्ताओं के) संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासियों), प्रबंधक (प्रबंधकों) का(के) नाम और सारवान अभिदाय (अभिदायों) और जहां कोई ऐसा कर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान अभिदायकर्ता हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का है तो कुटुम्ब के सदस्यों और उनके नातेदारों के नाम भी दीजिए

अनुसूची ठक (राजनैतिक दल के मामले में)

1. क्या लेखा पुस्तक रखी जाती है ? हां नहीं

2. क्या बीस हजार रुपए से अधिक प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख रखा जाता है
(व्यक्ति का नाम और पता जिसने ऐसा अभिदाय किया है) हां नहीं

3. क्या लेखा की संपरीक्षा की जाती है,
यदि हां, तो संपरीक्षा की तारीख हां नहीं

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा(3) के अधीन रिपोर्ट जमा की गई है

हां नहीं

आ.क.वि-5 **पावती** **नि.वर्ष 2011-12**

..... से कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आ.क.वि.सं. 1(सहज) 2 3 4स(सुगम) 5 6 में आय की विवरणी सधन्यवाद प्राप्त की, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है

क1 प्रथम नाम क2 मध्य नाम

क3 अंतिम नाम क4 स्थायी खाता संख्या

क5 लिंग क6 जन्म तिथि क7 आयकर वार्ड/सर्किल

0 पुरूष 0 स्त्री

क8 फ्लैट/ द्वार/मकान क9 सड़क/गली

क10 क्षेत्र/अवस्थान क11नगर/गली/शहर

क12 राज्य क13 पिन कोड

क14 केवल एक भरें फाइल की गई नियत तारीख से पहले 0नियत तारीख के पश्चात् सुसंशोधित विवरणी-139(5) या सूचना के उत्तर में 142(1) 148 153क/153ग

आय की संगणना और कर विवरण केवल पूर्ण रुपए में

यदि हानि दर्शित करना हो तो बांई ओर कोष्ठक में ऋण चिन्ह लगाएं

ख1	सकल कुल आय	ख1( )
ख2	अध्याय 6-क के अधीन कटौती	ख2
ख3	कुल आय	ख3( )
ख4	चालू वर्ष क्षति (यदि कोई हो)	ख4( )
ख5	कुल निवल संदेय कर	ख5
ख6	संदेय ब्याज	ख6
ख7	कुल संदेय कर और ब्याज	ख7
ख8	कुल संदत्त अग्रिम कर	ख8
ख9	कुल संदत्त स्व निर्धारण कर	ख9
ख10	कुल स्रोत पर कर कटौती	ख10
ख11	कुल स्रोत पर कर संग्रहण	ख11
ख12	कुल संदत्त कर (ख8+ ख9+ ख10+ ख11)	ख12
ख13	संदेय कर (ख7-ख12, यदि ख7 >ख12)	ख13
ख14	प्रतिदाय (ख12- ख7, यदि ख12> ख7)	ख14

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

प्राप्ति सं. की मुहर

प्राप्त करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर, मुहर और तारीख

[अधिसूचना सं. 18/2011/फा. सं. 142/02/2011-टीपीएल]

पवन के. कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. का.आ. 647(अ) तारीख 29-3-2011 के तहत आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।